

# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एन/एन/एन, सीएचए-18, नया राष्ट्रीय अंतराज्यीय मार्ग, दिल्ली-नयापूर (एन)

ई-मेल : [eeaa@eeaa.gov.in](mailto:eeaa@eeaa.gov.in)

**विषय:-** राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एसईएसी), छत्तीसगढ़ की दिनांक 27/05/2020 को संख्या 323वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एसईएसी), छत्तीसगढ़ की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020 को की गई थी। अतः, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में सम्मेलन हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों में पत्र किया -

1. श्री सीतल लाल अहवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अदीप कुमार शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री श्रीराम चरण राठौर, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री सुभाषकुमार शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री दीपक मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री सीतल लाल अहवाल, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

की अध्यक्षता में द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही के अन्तर्गत की अध्यक्षता की गई। समिति द्वारा दस्तावेजों में संशोधित विषयों पर निम्नलिखित विचार किया गया -

**एन/एन/एन क्रमांक-1:** 318वीं, 319वीं, 320वीं, 321वीं एवं 322वीं बैठक क्रमांक दिनांक 12/05/2020, 13/05/2020, 14/05/2020, 15/05/2020 एवं 18/05/2020 बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुसूचन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एसईएसी), छत्तीसगढ़ की 318वीं, 319वीं, 320वीं, 321वीं एवं 322वीं बैठक क्रमांक दिनांक 12/05/2020, 13/05/2020, 14/05/2020, 15/05/2020 एवं 18/05/2020 को सम्मेलन हुईं की। समिति द्वारा कार्यवाही के अन्तर्गत की कार्यवाही विवरण का अनुसूचन किया गया।

1. गैराई की आर. आइएनू मनीराज (पीएलएडी लेवल गाईड, प्राय-पीएलएडी, लालीज व गिरा-दुर्ग) एन.एन.डी.एस. कैंडीनी, सेक्टर-8, गिराई, गिरा-दुर्ग (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 1031)

ऑनलाईन आवंटन - प्रयोजन क्रमांक - एनआईए/ सीडी/ एफआईएन/ 12/131 / 2018, दिनांक 28 / 11 / 2018। परिशिष्टता प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवंटन में त्रुटि होने का कारण दिनांक 05 / 12 / 2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशिष्टता प्रस्तावक द्वारा वरीष्ठित जानकारी दिनांक 20 / 12 / 2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

परराज का विवरण - यह परराजित है। अद्यतन (ग्रीन बिल्डिंग) है। यह अद्यतन प्राय-पीएलएडी, लालीज व गिरा-दुर्ग गिरा गाई ग्रीन सुपर क्रमांक 822 गुरु ग्रीन कोड 4-238 डीआईएन में प्रस्तावित है। परराजित गिरा-दुर्ग नदी से किछा जल प्रभावित है। अद्यतन की आवंटित राशिकत क्रमांक-80,000 गारुमेंटर प्रोडक्ट है।

बैचकों का विवरण -

(अ) गारुमेंटि की 2018-डी बैचक दिनांक 18 / 01 / 2020

गारुमेंटि द्वारा प्रस्ताव की नक्शे एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा परराजित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. यह परराजित हेतु परराजित अद्यतन पर प्रति गारुमेंटर 4 गिराई का दिष्ट परराजित, परराजित में दिष्ट अद्यतन के अद्यतन Level, लेवल दिष्ट गिरा में प्रयोजित कर प्रस्तुत किया जाये। एन.एन.डी.एस. हेतु कम से कम 2 गिराई लेवल कार्य (Construction TBM structure) निर्धारित किया जाये। एन.एन.डी.एस. गारुमेंटि (TBM) में अद्यतन, सी-ऑरिनेटर (C-orientation) अद्यतन किया जाये। दिष्ट गिरा में एन.एन.डी.एस. गारुमेंटि (TBM) को भी परराजित एवं अद्यतन निम्न से अद्यतन अद्यतन परराजित गारुमेंटि गारुमेंटि/परराजित प्रस्तुत किया जाये।
2. यह परराजित हेतु परराजित अद्यतन पर परराजित में परराजित का ही गारुमेंटि अद्यतन को दिष्ट, प्रति गारुमेंटर में अद्यतन से कम एक गारुमेंटि (एन) परराजित अद्यतन परराजित गारुमेंटि का भाग कर अद्यतन निम्न से अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाये। यह ही परराजित गारुमेंटि हेतु परराजित की प्रस्तुत किया जाये।
3. परराजित अद्यतन अद्यतन की अद्यतन एवं गारुमेंटि तथा नदी के अद्यतन की गारुमेंटि की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. यदि पूर्ण में अद्यतन अद्यतन पर अद्यतन हेतु अद्यतन पर परराजित अद्यतन निर्धारित अद्यतन एन.एन.डी.एस. (एन.एन.डी.एस.), परराजित अद्यतन अद्यतन अद्यतन अद्यतन निर्धारित अद्यतन (सी.ई.एस.एस.), परराजित अद्यतन अद्यतन परराजित स्वीकृति में गारुमेंटि को पूर्ण में अद्यतन अद्यतन स्वीकृति की अद्यतन एवं अद्यतन अद्यतन में अद्यतन कार्यवाही की जानकारी परराजित गारुमेंटि प्रस्तुत की जाये। अद्यतन ही परराजित की अद्यतन गारुमेंटि की अद्यतन गारुमेंटि प्रस्तुत की जाये।

5. यदि वादान पूर्व ही संघटित है, तो लिखत नहीं है कि वह एक व्यवस्था की कार्यात्मक भाग की आवश्यकता के लिए किनसे ही संघटित करा जा सकता है।
6. वादा व्यवस्था, परिचालन, जन और व्यवसाय परिचालन, व्यवस्था, नई दिल्ली के अद्यतन दिनांक 01/05/2020 के अनुसार गैर-लाभ (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
7. यदि निर्देशक एवं परिचालन प्रशासक को वादान में ही ही संघटित (Lovers, जन और सौजन्य (Barneyor) के साथ आगामी भाग की आवश्यकता के लिए आवश्यक संसाधन सुसंगत आवश्यकता / वसतिगृह (वादान संघटितकरण) सौजन्य आवश्यकता विधि करने हेतु निर्देशित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशक एवं परिचालन प्रशासक को एसईएसी, कार्यालय के अद्यतन दिनांक 01/01/2020 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सूचित किया गया।

**(क) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020**

प्रस्तुतकरण हेतु नतीजा की प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचालन प्रशासक के एक दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अतिरिक्त कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी भाग के आवश्यकता के लिए प्रस्ताव करने हेतु अनुमति दिया गया है।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिचालन प्रशासक को आगामी भाग के आवश्यकता के लिए प्रस्ताव करने हेतु निर्देशित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशक एवं परिचालन प्रशासक को एसईएसी, कार्यालय के अद्यतन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ख) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 26/02/2020**

प्रस्तुतकरण हेतु नतीजा की प्रतिनिधि उपस्थित उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित वादान में ही भाग के संघटित करने की नतीजा होने के कारण से समिति के समस्त प्रस्तुतकरण विधि आवश्यक नहीं है। अतः आगामी भाग के आवश्यकता के लिए प्रस्ताव करने हेतु अनुमति दिया गया।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि यदि निर्देशक एवं परिचालन प्रशासक को आगामी भाग के आवश्यकता के लिए प्रस्ताव करने हेतु निर्देशित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशक एवं परिचालन प्रशासक को एसईएसी, कार्यालय के अद्यतन दिनांक 08/03/2020 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ग) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 12/05/2020**

प्रस्तुतकरण हेतु नतीजा की प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचालन प्रशासक के एक दिनांक 12/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अतिरिक्त कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी भाग के आवश्यकता के लिए प्रस्ताव करने हेतु अनुमति दिया गया है।

समिति द्वारा तालाबस सर्वसम्पत्ति से निर्माण किया गया था कि अधिकांशतः प्रयोगकर्ता को जमाती नष्ट के आवेगित वेस्ट से दूर से खड़ी हुई समिति-जलसंधी एत समस्त सुसंरक्षित जलसंधी / प्रयोगकर्ता समिति प्रस्तुतियोग्य वि० जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

तालाबस अधिकांशतः प्रयोगकर्ता को एम.डी.ए.सी., तालाबस के ज्ञापन दिनांक 29/05/2018 द्वारा प्रस्तुतियोग्य हेतु सुचित किया गया।

(3) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020:

प्रस्तुतियोग्य हेतु की प्रयोग सुचारु संचालित अभिवृत्त प्रविष्टि अधिकांशतः सु. अधिकांशतः द्वारा समस्त प्रस्तुत जलसंधी का प्रयोगकर्ता एत प्रविष्टि करने का निम्न स्थिति पाई गई-

1. धान संसाधन का अनुसंधान प्रमाण पत्र - सेत जलसंधी के समस्त से धान संसाधन प्रमाणपत्र का दिनांक 29/07/2018 का अनुसंधान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित - कर्मचारी कर्मचारी समिति द्वारा धान प्रमाण पत्र अनुसार यह जलसंधी विन्यासित/सीमांकित का समस्त समस्त जलसंधी प्रस्तुत की गई है।
3. धानसंधी सीमांकित - राष्ट्रीय जल प्रस्तुत किया गया है, जो सेत जलसंधी (सी.डी.), जलसंधी, सीमांकित तथा सीमांकित प्रयोगकर्ता के ज्ञापन प्रमाण पत्र दिनांक 29/07/2018/सेत (विद्यालय)/न.ज.डी.डी./2018 तथा प्रमाण पत्र दिनांक 29/07/2018 द्वारा अनुसंधान है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित जलसंधी - कर्मचारी कर्मचारी (सीमांकित प्रमाण पत्र) दिनांक-दूर के ज्ञापन प्रमाण पत्र दिनांक 29/07/2018/सेत जलसंधी/2018 दूर, दिनांक 29/10/2018 के अनुसार अनुसंधान जलसंधी से 500 मीटर के भीतर अनुसंधान अन्य सेत जलसंधी की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सर्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कर्मचारी कर्मचारी (सीमांकित प्रमाण पत्र) दिनांक-दूर के ज्ञापन प्रमाण पत्र दिनांक 29/07/2018/सेत जलसंधी/2018 दूर, दिनांक 29/10/2018 द्वारा जलसंधी प्रमाण पत्र अनुसार जलसंधी से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सर्वजनिक क्षेत्र जैसे बंदर, मसगा, कर्मचारी, पुन, बंध, एसी.सी.सी. राष्ट्रीय प्रमाण पत्र एत अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान है।
6. एल.डी.आई. का विवरण - एल.डी.आई. कर्मचारी कर्मचारी (सीमांकित प्रमाण पत्र) दिनांक-दूर के ज्ञापन प्रमाण पत्र दिनांक 29/07/2018/सेत (विद्यालय/सेत (विद्यालय)/2018 दूर, दिनांक 29/10/2018 द्वारा जलसंधी की गई, जलसंधी जलसंधी 02 वर्ष हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - जलसंधी, कर्मचारी, एत जलसंधी अधिकांशतः प्रमाण पत्र दिनांक-दूर के ज्ञापन प्रमाण पत्र दिनांक 29/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - जलसंधी जलसंधी धान-सीमांकित 0.18 कि.मी., समस्त धान-सीमांकित 0.3 कि.मी., एत जलसंधी धान-सीमांकित 0.39 कि.मी. की दूरी का किया है। राष्ट्रीय प्रमाण पत्र 0.78 कि.मी. दूर है। जलसंधी से 250 मीटर की दूरी पर जलसंधी से स्थित है।



अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिती के द्वारा विचार से कार्य करवाये गिनाए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
63.5	2%	1.27	Following activities at Government Primary & Middle School Village-Piparchhedhi	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.27
			<b>Total</b>	<b>1.27</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि स्वयं निर्माण के कार्यों सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विचार प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. वेत परामर्श से मुक्त विधि से दूरी बढ़ाई का कार्य जीएल द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक परामर्श की अनुमति मांगी है। अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र में परामर्श किए जाने वाले क्षेत्र की अधिक वेत भूमिगत सहायी अवस्था कार्य एवं संबंधित जानकारी का मांगवला नहीं किया गया है। विद्यमान नदी बड़ी नदी है तथा इसमें जलस्तर में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई में अधिक वेत का पुनर्स्थाप होने की संभावना है, लेकिन अधिक में कम वेत का भी गहराई सीमाई 1.8 मीटर है।

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाए गए सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया -

1. आवेदन अर्थात् (पत्र-पिपारछेदी) का क्रमांक 4838 होना चाहिए। अर्थात् की लंबाई में 500 मीटर की अधिकि में सीमित/समाहित करवायी का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण का अर्थात् की-2 धरो की मांगी नहीं।
2. **बुझावनीकरण कार्य** - परियोजना के अर्थात् पर नदी तट पर कुल 2,000 मम मात्र - 1,250 मम अर्थात् की सीमा तथा क्षेत्र 1,250 मम (अर्थात् अर्थात्, अर्थात्, अर्थात्) नहीं अर्थात् अर्थात्। इसके अतिरिक्त अर्थात् अर्थात् पर 1,200 मम सीमा अर्थात् अर्थात्।
3. परियोजना प्रस्तावक वेत अर्थात् अर्थात् में अर्थात् 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Investigation Study) करवायेगा ताकि वेत के पुनर्स्थाप (Replenishment) काया करी अर्थात्, वेत अर्थात् अर्थात् का नदी, नदीअर्थात्, स्थानीय अर्थात्, जीव एव अर्थात् सीमा पर अर्थात् तथा नदी के नदी की पुनर्स्थाप का वेत अर्थात् अर्थात् के अर्थात् की करी अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्।
4. **जीव क्षेत्र की गहराई का बेसलाईन कार्य** -







समिति द्वारा उत्सवगत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिचालन प्रस्तावक को अगामी मास के अर्थात्गत वेतक में पूर्ण में जारी नई अधिसूचनाओं एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार सवि निर्देशक एवं परिचालन प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. कार्यालय के द्वारा दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 26/02/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु की मांग अद्यतन अधिसूचना अधिनियम उपस्थित हुए। समिति द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित नया सुदान में नए वेतक के अभाव का कोई भी होने का कारण है समिति से मांग प्रस्तुतीकरण दिया जाने संभव नहीं है। जब अगामी मास के अर्थात्गत वेतक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने हेतु अनुमति किया गया।

समिति द्वारा उत्सवगत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सवि निर्देशक एवं परिचालन प्रस्तावक को अगामी मास के अर्थात्गत वेतक में पूर्ण में जारी नई अधिसूचनाओं एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार सवि निर्देशक एवं परिचालन प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. कार्यालय के द्वारा दिनांक 08/03/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 13/03/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी अधिसूचना उपस्थित नहीं हुए। परिचालन प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 12/03/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अर्थात्गत वेतक में समिति के मांग वेतक में प्रस्तुतीकरण हेतु अधिसूचना होने संभव नहीं है। जब अगामी मास के अर्थात्गत वेतक में समय प्रदान करने हेतु अनुमति किया गया है।

समिति द्वारा उत्सवगत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिचालन प्रस्तावक को अगामी मास के अर्थात्गत वेतक में पूर्ण में जारी नई अधिसूचनाओं एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिचालन प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. कार्यालय के द्वारा दिनांक 25/03/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(इ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/03/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु की मांग अद्यतन अधिसूचना अधिनियम उपस्थित हुए। समिति द्वारा समी. प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं अधिसूचना दिखे जाने हेतु निर्णय लिया गया है -

1. धारा संशोधन को अनुमति प्रमाण पत्र - नए उत्सवगत के मास में धारा संशोधन को अगामी मास दिनांक 23/04/2018 का अर्थात्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



2. विन्यासित/सीमांकित - अर्थात्गत उत्सवगत समिति के मास में धारा संशोधन पत्र अनुसार नए उत्सव विन्यासित/सीमांकित का अधिसूचना दिखे जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

3. अनुमति योजना - राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया है जो उप संशोधन (सं. 2) उत्सवगत समिति तथा अधिसूचना कार्यालय के द्वारा अनुमति-समिति

10822/सवि 02/81 (खदान)/न.ज.319/2018 मसुदा संशुद्ध अंश का संशोधन दिनांक 13/11/2018 को अनुमोदित है।

2. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्पोरेट कॉलेज (सवि.ज. 81-82), जिला-दुर्ग के अंश क्रमांक 10822/सवि.ज.02/सं/2018 दुर्ग, दिनांक 28/10/2018 के अनुसार अधिसूचित खदान में 500 मीटर के वृत्त परिधिवाले अंश का खदानों की संख्या निम्न है।
3. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षणाधीन – कार्पोरेट कॉलेज (सवि.ज. 81-82), जिला-रायपुर के अंश क्रमांक 10822/सवि.ज./सं/दिनांक/सं/2018 दुर्ग, दिनांक 28/10/2018 द्वारा जारी अंश एवं अनुसार अंश खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र क्षेत्र मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पुस्तकालय, एन.एच., राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य अनुमोदित अति प्राथमिक क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
4. एन.ओ.आई का विवरण – एन.ओ.आई कार्पोरेट कॉलेज (सवि.ज. 81-82), जिला-दुर्ग के अंश क्रमांक/सं/सवि.ज./सं (विशेष निर्दिष्ट)/2018 दुर्ग, दिनांक 13/10/2018 द्वारा जारी की गई, जिलाधी अधिसू. 02 का हेतु निम्न है।
5. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – भूगता संकलन, सर्वेक्षण, कल और अंततः परिष्कृत संचालन नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट अंश में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति उपलब्ध की गई है।
6. सार्वजनिक संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय घन-खेती 1.8 कि.मी., स्कूल घन-खेती 1.7 कि.मी. एवं सार्वजनिक घन-विकास 1.8 कि.मी. की दूरी का विवरण है। राजमार्ग 1.88 कि.मी. दूर है। एन.एच. खदान में 100 मीटर की दूरी का अनुरोध में किया है।
7. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – पर्यावरण प्रदूषण द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में कार्पोरेट क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, औद्योगिक इलाका निवास क्षेत्र द्वारा निर्मित किरायेदार कॉन्स्ट्रक्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने पर्यावरण विवरण है।
8. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – अंशगत अनुमान खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 250 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई – 200 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 180 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर बताई गई है। खदान की नदी तट की किनारे से दूरी अधिकतम 60 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है।
9. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – अंशगत अनुमान स्थल पर रेत की मोटाई – 4 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित मोटाई – 2 मीटर बताई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा – 12,800 म.मी. है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर परिसर में उपलब्ध रेत खदान की मोटाई खनने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 1 म.मी. (1M) अधिकतम लंबाई प्रस्तावित मोटाई का सामान कर, सवि.ज. विभाग की प्रस्तावित जलवाही प्रस्ताव की गई है। इससे अनुसार रेत की उपलब्धता अधिक मोटाई 1.8 मीटर है। रेत की प्रस्तावित मोटाई हेतु संकलना की प्रस्तावित निम्न रक्त है।

- 12 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खंड में जो पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- 13 खदान क्षेत्र में रेत संचयन की संकल्पना – इस परियोजना के अंतर्गत 09 अस्थापित खानों का प्रस्तावित खदान क्षेत्र अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम से 100 मीटर की दूरी एवं 25 मीटर गुण 25 मीटर के बीच किनारों पर विस्तार 14 / 08 / 2020 को जो इस खदान क्षेत्र परियोजना (Levels) केबल सभी स्थापित विवरण से इसकीकृत परिसर को स्वीकृत किया जाता है/संशोधित प्रस्ताव किया गया है।
- 14 कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – एनएच आरटी, पर्यावरण, वन और जलसंधु, एनवीएम संसाधन, नई दिल्ली के अधिन विभाग 01 / 09 / 2018 के अनुसार कोर्पोरेट दायित्व (Corporate Environmental Responsibility) की समिति के द्वारा विवरण से एनएNH निर्माण परियोजना प्रस्ताव प्रस्ताव किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government School Village-Piparchhed	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation with fencing	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

15 समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य उजाह कि –

- a) नए Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 की अनुसंधान –

“Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (s) of a bridge/public over structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 350 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.”



- b) वर्तमान में जिला एनवीएम से 100 मीटर की दूरी पर स्वीकृत है, जो राष्ट्रीयसंयोजित अनुसार स्वीकृत है। वर्तमान में अपरस्ट्रीम से एनवीएम से कम से कम 300 मीटर क्षेत्र चौड़ा बनाया जाएगा है। जब जिला के अधिनविध 320 मीटर केबल 10 मीटर अपरस्ट्रीम क्षेत्र शामिल कर प्रस्ताव प्रस्ताव की जाती होगी। स्वीकृत प्रस्तावों में वर्तमान की केबल 300 मीटर है, जो वर्तमान में अधिनविध 320 मीटर केबल के

सेर-माइनिंग क्षेत्र सम्बंधित किये जाने पर शीकूल एंड ड्रीजिंग क्षेत्र में सेर-माइनिंग की दिशु क्षेत्र क्षेत्र नहीं होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श अवसंध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि -

1. नवी Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 अनुसार का उपखनन क्षेत्र अधिकतम 300 मीटर लंबाई का सेर-माइनिंग क्षेत्र घोषित किया जाये पर शीकूल एंड ड्रीजिंग क्षेत्र में सेर-माइनिंग से दिशु क्षेत्र क्षेत्र नहीं होगा। का उपखनन क्षेत्र नवीकरण/सर्वसम्मति तारी किये जला समय नहीं है।
2. उपखनन की दि-दिशु/निर्माण किये जाने की अनुमति की गई।

उक्त बात परावरण परभाव निर्धारण प्रतिकल्प (एन.ई.आई.ए), प्रशासनिक की अनुमति सुचित किया जाए।

2. बैराई की वैभव मजुजा (खाननरवा क्षेत्र, गाईन्, शर-खाननरवा, लखीस 4 जिला-राजस्थान), गौकुल ब्लॉक, डिहकानिया रेंजकी, जिला-राजपुर (सकियालय का नसी क्रमांक 1178)

डीन.गाईन् आवेदन - प्रकरण संख्या - राजगाईन् / सीडी / एम्प्लॉय / एम्प्लॉय / 2020, दिनांक 18/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सेर-माइनिंग (सीडी) है। यह उपखनन क्षेत्र-खाननरवा, लखीस 4 जिला-राजस्थान किये गाईन् अधिक उपखनन क्षेत्र 75 गुन सीमा क्षेत्र 4.5 हेक्टर से प्रस्तावित है। उपखनन कियेगा गरी से किये जला प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उपखनन क्षमता - 88,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैराई का विवरण -

(ब) समिति की 117वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

समिति द्वारा उपखनन की नसी एवं प्रस्ताव सामगरी का शीकूल तथा उपखनन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपखनन क्षेत्र क्षेत्र की लंबाई एवं शीकूल जला नसी का घट की शीकूल की उपखनन प्रस्ताव की जाये।
2. सेर-माइनिंग क्षेत्र अधिकतम 300 मीटर लंबाई का उपखनन क्षेत्र 100 मीटर की नसी तक 25 मीटर गुन 25 मीटर का विवरण प्रस्तावित किये जाने पर सेर-माइनिंग Levels, लेवल किये सेर से प्रस्तावित कर प्रस्ताव किये जाये। उपखनन Levels सेर जला से जला 2 टेम्पलेट सेर-माइनिंग (Consolidated TBK structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पलेट सेर-माइनिंग (TBK) से जला, की-कोऑर्डिनेट (Co-ordinates) किये किये जाये। विवरण सेर सेर-माइनिंग (TBK) सेर सेर-माइनिंग, जला समिति विभाग से प्रस्तावित कर प्रस्तावित किये जाये।
3. नसीक से खदान की सीमा की नसी न्यूनतम 10 मीटर का नसी का घट की शीकूल का 10 प्रतिशत (10 से अधिक हो) कयी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के गुन क्षेत्र में उपखनन किये जाये जला 10 से 10 सेर-माइनिंग क्षेत्र जला नसी नसी से प्रस्तावित, इसका उपखनन माइनिंग क्षेत्र में प्रस्तावित का सेर-माइनिंग



जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विदे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए एवं इस संबंध में प्रमाण के माध्यम से सुचना दी जाए।

परिचयना प्रस्तावक को सूचना एवं ई-सेल के माध्यम से सूचित किया गया।

**(स) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु बोर्ड में प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचयना प्रस्तावक को इस दिनांक 15/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अधूरी होने के कारण ही समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। जब जानकारी मांग की आवश्यक बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा प्रस्तावक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिचयना प्रस्तावक को समस्त मांग के आवश्यक बैठक में सुनने का ही अधिकार प्रदान किया जायेगा एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विदे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानुसार परिचयना प्रस्तावक को एस.ई.टी. कार्यालय को सूचना दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु बोर्ड में प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचयना प्रस्तावक को ई-सेल दिनांक 27/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अधूरी होने के कारण ही समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। जब जानकारी मांग की आवश्यक बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श प्रस्ताव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधिक एवं परिचयना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तावना प्रस्तावक के माध्यम उपस्थित बैठक दिनांक 08/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट किया जाए एवं इस संबंध में प्रमाण के माध्यम से सुचना दी जाए।

परिचयना प्रस्तावक को समस्त सूचित किया जाए।

#### 4. मेसर्स श्री मेहनत ज्वेलर्स जोधपुरी (कोटवाडार रोड मार्टिन, धान-कोटवाडार, लखनौ-जोधपुर, जिला-राजनादगांव), बीएनसी मिला कॉलोनी, जिला-राजनादगांव (समितिना का नशीली क्रमंक 1807)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नम्बर - एनआईटी/ लखौ/ एनआईटी/ 12/142/2019, दिनांक 28/11/2019। परिचयना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में समिति को के के प्रमाण दिनांक 08/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिचयना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित जानकारी दिनांक 17/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित वेतन बढ़ाने (लीम खनिज) है। यह प्रस्ताव धान-कोटवाडार, लखनौ-जोधपुर, जिला-राजनादगांव मिला मार्टे ऑफ लखनौ क्रमांक 518, प्लॉट सीमा क्षेत्र 24 इलाका में प्रस्तावित है। प्रस्तावित विवरण गयी से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव की आवश्यक प्रमाण क्रमांक-02,000 प्रस्तुत प्रस्तुत है।



अनुमोदन के बाद भी काल समय पराधीन अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हों। प्रतिदिन द्वारा जारी प्रस्ताव अनुमोदन के अंतर्भाव एवं पंजीयन करने पर किन्तु किन्हीं कांटे पंटे-  
पंटे-  
पंटे-

1. **ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र** - रैत सहायक को संभव में ग्राम पंचायत अधिकारियों का दिनांक 12/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया है।
2. **विन्दुकिरा/सीमांकित** - सावजनिक कलेक्टर, (दार्जिलिग गण्डक) ने ग्राम प्रधान एवं अनुसार का अनापत्ति/विन्दुकिरा/सीमांकित का प्रेषित है।
3. **जलदायक योजना** - जल पंक्ति प्रस्ताव किया गया है, जो एक सावजनिक विंडु [सहायक सावजनिक भूमि] तथा (दार्जिलिग, पालीगण्ड) के ग्राम अनुमोदित प्रमाण 23/02/2018/24/11/2018/नक 219/2018 एवं लालपुर जलदायक ताल, दिनांक 18/11/2018 का अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - सावजनिक कलेक्टर (दार्जिलिग गण्डक) जिला-सावजनिक के ग्राम अनुमोदित प्रमाण 29/11/2019 सावजनिक दिनांक 22/11/2019 के अनुसार अनुमोदित खदान से 500 मीटर के भीतर अनापत्ति एवं खदानों की रचना किया है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - सावजनिक कलेक्टर (दार्जिलिग गण्डक) जिला-सावजनिक के ग्राम अनुमोदित प्रमाण 29/11/2019 सावजनिक दिनांक 22/11/2019 काट जारी प्रमाण एवं अनुसार काट खदान से 200 मीटर की परिधि में खदानों की सार्वजनिक क्षेत्र जैसे परिवार, मण्डल, जलदायक, लाल, पुन, क्षेत्र, क्षेत्र, एकीकृत एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.टी.आई. का विवरण** - एन.टी.आई. सावजनिक कलेक्टर (दार्जिलिग गण्डक) जिला-सावजनिक के ग्राम अनुमोदित प्रमाण 21/02/2019 सावजनिक दिनांक 08/10/2019 काट जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष है।
7. **विन्दुकिरा सर्वे रिपोर्ट** - सावा सावजनिक, जलदायक, वन और जलदायक पंचायत में अनुमोदित, नई रिपोर्ट की अनुमोदित दिनांक 28/08/2018 द्वारा विंडुकिरा खदान में विन्दुकिरा सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **गहलसूत संरचनाओं की दूरी** - विंडुकिरा खदानों एवं-कलेक्टर 5.5 कि.मी. एवं अनुमोदित खदानों 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अनुमोदित 3 कि.मी. की दूरी है। अनुमोदित का खदान के अनुमोदित में 500 मीटर की दूरी पर दूर स्थित है। अनुमोदित की दूरी 500 मीटर से अधिक है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैविकीयता संवेदनशील क्षेत्र** - परिसीमा जलदायक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अनुमोदित क्षेत्र, राष्ट्रीय खदान, अनुमोदित जैविकीय प्रस्ताव विंडुकिरा काट का अधिकारित विंडुकिरा प्रस्ताव, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का अधिकारित क्षेत्र स्थित नहीं है। अनुमोदित विंडुकिरा
10. **खदान रचना पर रैत की नोट्स** - अनुमोदित खदान एवं रैत की नोट्स - 3 मीटर तथा रैत खदान की अनुमोदित नोट्स - 2 मीटर नोट्स रहे हैं। अनुमोदित नोट्स एवं अनुमोदित खदान से अनुमोदित रैत की रचना - 50,000 अनुमोदित है। रैत अनुमोदित अनुमोदित एवं अनुमोदित में अनुमोदित रैत खदान की नोट्स खदानों के लिए प्रति खदान में अनुमोदित रैत एवं नोट्स नोट्स (नोट्स)



संबंधित सरकारी/अर्धसरकारी निकायों का सहयोग कर, सामाजिक, विभागीय से प्रयोजित जलसंचाली प्रकल्प नहीं की गई है।

11. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय एकीकृति संबंधी विवरण— पूर्ण में इस अवधि हेतु पर्यावरणीय एकीकृति जारी की गई थी जसका नतीजा जारी जलसंचाली प्रकल्प नहीं की गई है।
12. अवधि से पूर्व वित्त सहाय की व्यवस्था— इस अवधि में हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति संवत्सरा 4 विद्युतों का विद्युत संचालन परियोजना में प्रो-मोशन (Pro-Motion) केन्द्र विभाग 29/08/2018 को जो प्रकल्प की योजना Layout की जलसंचाली/पर्यावरण प्रकल्प किया गया है।-सर्वे रिपोर्ट में उपरोक्त संरचना से संबंधित कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस विद्युतों को विद्युत विद्युत से उपलब्ध कर नहीं किया गया है। वर्तमान स्थिति उपरोक्त क्षेत्र मार्ग को जो प्रकल्प अवधि में परिष्कृत होना संभवित है। समिति अतिरिक्त सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
13. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)— जल संचालन परियोजना को जो अवधि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। जो अवधि 21/05/2018 में अनुसंधान नीति-कार (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति से संबंधित रिपोर्ट से पर्यावरण विभाग/पर्यावरण प्रभाग प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 12	2%	Rs. 0.24	Following activities at Nearby Government Primary School, Village Kottanar	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.45
			<b>Total</b>	<b>Rs. 0.45</b>

समिति द्वारा पर्यावरण प्रभाव को निर्दिष्ट किया गया कि जो अवधि (Corporate Environment Responsibility) का विवरण प्रभाग प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा अवधि संबंधित रिपोर्टों में निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया था—

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पूरा जल एकीकृत पर जल संचाली प्रकल्प की पूरी तरह जलसंचाली प्रकल्प की जाए।
2. इस अवधि में हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति संवत्सरा 4 विद्युतों का विद्युत संचालन, परियोजना में जो संचालन के संचालन Layout लेना विद्युत से प्रयोजित कर प्रस्तुत किया जाये। प्रकल्प प्रस्ताव Layout हेतु जल से जल 2 संवत्सरी क्षेत्र मार्ग (Concrete TBM structure) निर्दिष्ट किया जाये। संवत्सरी क्षेत्र मार्ग (TBM) में संचालन को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। विद्युत से प्रयोजित क्षेत्र मार्ग (TBM) को जो प्रयोजित, जो संबंधित विभाग से पर्यावरण प्रभाग/पर्यावरण संरक्षण जलसंचाली/पर्यावरण प्रभाग प्रस्तुत किया जाये।
3. इस अवधि में हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध जल की संचाली प्रकल्प के लिए प्रति संवत्सरा में जल से जल एक संचाली प्रकल्प संचालन प्रकल्प प्रयोजित

3. खण्डों का सामान कर, स्थानिक विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। तब ही आचार्यिक समिति हेतु परामर्श की प्रस्तुत किया जावे।
4. प्रस्तावित स्थान क्षेत्र की खण्डों एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आचार्यिक स्थल पर स्थान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्साधान विधिलय आविष्करण (एन.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीयपट्ट अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्साधान विधिलय आविष्करण (डी.ई.आई.ए.ए.) आविष्करण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जहाँ पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों का पालन में की गई जानकारी की जानकारी पर्यावरण सचिव प्रस्तुत की जाए। तथा ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी पर्यावरण सचिव प्रस्तुत की जाए।
6. यदि स्थान पूर्व से संबंधित है, तो विगत वर्ष में किए गए उपस्थान की आचार्यिक माक की जानकारी स्थानिक विभाग से प्रमाणित करत कर प्रस्तुत की जाए।
7. पर्यावरण सम्साधान की अद्यतन समस्त पूर्व जानकारी / आचार्यिक (अद्यतन पर्यावरण) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

एन.ई.ए.डी. आविष्करण के अद्यतन दिनांक 12/09/2020 के अधिलेख में पर्यावरण सम्साधान द्वारा दिनांक 06/05/2020 के माक से जानकारी प्रस्तुत की गई।

**(ग) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020**

समिति द्वारा मंत्री, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पूर्व, बीच, पश्चिम एवं उत्तर आसूरी खोरा की पूरे माक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. क्षेत्र उपस्थान हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में उपस्थित क्षेत्र का क्षेत्र की चौड़ाई सामने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 2 मीटर (2m) खोराके उसकी आचार्यिक महत्त्व का स्थान कर, स्थानिक विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार क्षेत्र की उपस्थित खोरा चौड़ाई 18 मीटर से 2 मीटर है। क्षेत्र की आचार्यिक महत्त्व हेतु परामर्श की प्रस्तुत किया गया है।
3. स्थान क्षेत्र में क्षेत्र का क्षेत्र लेवलिंग – क्षेत्र उपस्थान हेतु प्रस्तावित स्थल एवं आचार्यिक स्थल से जेनरल एवं स्पेशल में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर तथा 25 मीटर के लिए विस्तार पर दिनांक 05/02/2020 को क्षेत्र का क्षेत्र की उपस्थित लेवलिंग 2.5m के लिए, उन्हें स्थानिक विभाग से प्रमाणिकता पर्यावरण पर्यावरण सचिव जानकारी / आचार्यिक प्रस्तुत किया गया है।
4. स्थान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं स्थान की नदी तट से दूरी – स्थान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिलेखित 100 मीटर अनुसार 185 मीटर तथा स्थान स्थल की चौड़ाई – अधिलेखित 65 मीटर, अनुसार 30 मीटर चौड़ाई गई है।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस स्थान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। यह एक नई स्थान है।

समिति द्वारा आभार्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है—

1. प्रस्तावित खदान से निकटतम पुल, बांध, एनीकाट एवं अन्य आसूरी संरचना की दूरी अर्थात् आवश्यक प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकाट की दूरी खदान से अपस्ट्रीम से न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम से न्यूनतम 250 मीटर एवं अन्य आवश्यक है। यदि बीच बीच आवश्यकानुसार दूरी के अंतर स्थित हो तो प्रस्तावित खदान पर खदान हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकानुसार सभी पर विहित कर लगाया जाये पर सीमांकन तथा सर्वेक्षण खदान से उक्त बाधा उपलब्ध किया जाए।
2. पर्यावरण प्रभावक को पर्यावरण संरक्षण एवं आवश्यक / इकायें (अव्यक्त सीटीआरएन) के साथ आसानी सह की प्रस्तावित खदान से अनुवीक्षण विधि एवं हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सबसेप्रकार पर्यावरण प्रभावक को एस्टीमेटरी, कालीराइ के खदान विभाग 22/06/2020 द्वारा अनुवीक्षण हेतु सुचित किया गया।

(द) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020:

अनुवीक्षण हेतु की विचार बोधों अभिसुत होनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्ताव आवश्यकता का उपलब्ध एवं परीक्षण करने पर निम्न शिर्षक चर्चा हुई -

1. पुल खदान से 500 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम से एवं एनीकाट खदान से 250 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम से स्थित है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य जाया कि -

- a. सभी Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार-

"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides or five times (5x) of the span (s) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a maximum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side."

- a. खदान से बीच एनीकाट से 255 मीटर की दूरी पर संयोजन है। एवं सड़क/एनीकाट अनुसार स्वीकृत वेग खदान से अपस्ट्रीम से एनीकाट से कम से कम 500 मीटर बीच बांध बांध आवश्यक है। एवं बीच में अतिरिक्त 125 मीटर अर्थात् की वेग सर्वेक्षण क्षेत्र घोषित एवं एनीकाट प्रस्ताव की जारी जारी एवं अनुसार सर्वेक्षण खदान से आवश्यक न्यूनतम खाने होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्भर किया गया-

1. सभी सड़क/एनीकाट अनुसार वेग उपलब्ध हेतु अतिरिक्त 125 मीटर की वेग सर्वेक्षण क्षेत्र घोषित सभी हेतु वेग सर्वेक्षण क्षेत्र की घोषणा की जाए। वेग सर्वेक्षण क्षेत्र एवं सर्वेक्षण क्षेत्र को सीमांकन एवं सर्वेक्षण विभाग से अनुवीक्षण आवश्यकता जाए तथा सर्वेक्षण सर्वेक्षण धरम प्रस्ताव की जाए।

2. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

✍

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समझ सूची जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आरंभिक बैठक में प्रस्तुत/समस्त रिपोर्ट एवं अनुमोदन किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को परामुखर सुनिश्चित किया जाए।

5. गैराल बुनारी कबिता मिथा (बखरापुर रोड गाईन, धाम-बखरापुर, तहसील-नवागढ़, जिला-जाधवीर-बाधा), धाम-अमौरा, तहसील-नवागढ़, तहसील 4 जिला-मिलाहापुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1103)

ऑनलाइन आवेदन - प्रस्तावक नाम - एरगाईन / बीपी / एरगाईन / 143804 / 2020 दिनांक 15/02/2020। सचिवालय प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अंतिम होने से आगम दिनांक 22/02/2020 द्वारा आनकरी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। सचिवालय प्रस्तावक द्वारा तयित जानकारी दिनांक 22/02/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित एक खदान (मीन खनिज) है। यह खदान धाम-बखरापुर, तहसील-नवागढ़, जिला- जाधवीर-बाधा मिथा आगरा-अमौरा 534, कुल बीजे क्षेत्रफल 9 एकड़ पर प्रस्तावित है। अद्यतन खदान मशीन से किया जाने प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उपकरण क्षमता-25,000 टन/दिनांक प्रतिदिन है।

**बीतकी का विवरण -**

(अ) सचिवालय की 22वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

सचिवालय द्वारा खदान की नक्का एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा आगम्य सर्वेक्षण से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की नक्का एवं बीतकी तथा नदी के पास की बीतकी को आनकरी प्रस्तुत की जाए।
2. यह खदान क्षेत्र प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान से अग्रेस्टम तथा अग्रेस्टम से 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर तथा 25 मीटर का विद्यमान आनकरी क्षेत्र में क्षेत्र क्षेत्र को लेवल (Level) लेकर विद्यमान क्षेत्र में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया जाये। द्वारा अतिरिक्त खदान क्षेत्र को खदान / नदी का (दोनों क्षेत्र) से 100 मीटर तथा के क्षेत्र में नदी तथा के पास (Level) पर भी सर्वे किया जाये। तथा लेवल (Level) हेतु कम से कम 2 टेंपरीटरी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्देशित किया जाये। टेंपरीटरी बेंच मार्क (TBM) में आनकरी को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। विद्यमान क्षेत्र टेंपरीटरी बेंच मार्क (TBM) को भी टेंपरीटरी बेंच अंकित निर्देशित के प्रस्तावित तथा खदान फोटोग्राफ सहित आनकरी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाये।
3. खदान से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी के पास की बीतकी पर 10 मीटर (10 मी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में खदान विस्थापन कार्य तथा न-हो हो प्रस्तावित खदान का, नक्का एवं प्रस्तावित खदान नक्का गाईनियर प्लान में अतिरिक्त रूप से खदान जाये। खदान के अन्दर क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र पर बीतकी का सचिवालय से अतिरिक्त प्रस्तावित प्रस्ताव कर प्रस्तावित किया जाए।
4. प्रस्तावित खदान से निकलने वाला क्षेत्र एरगाईन एवं जल आपूर्ति नदी की दूरी तथा आनकरी प्रस्तुत की जाए। कुल / एरगाईन की दूरी खदान से अग्रेस्टम से

न्यूनतम 200 वीटन तथा मासिकपट्टी में न्यूनतम 200 वीटन तक प्रांगण आवंटित है। यदि जीएन-सीक कारपोरेट/मुसाद दुरी की अंश किताब हो, तो कारपोरेट अकाउंट पर चलन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को अपारवायवन्तुसात कराके पर विधित कर, टासाका सीके पर सीककजन तथा साईनिंग परान में इके अंशतः तालेकत विगत जग।

1. लेा कारपोरेट हेतु कारपोरेट अकाउंट पर अंशकल में कारपोरेट केत की सीकई अकाउंट के विगत जति उंशकाल में काम ले काम एक मद्राक (कन) सीककजन अकाउंट कारपोरेट अकाउंट का अंशत कर, अकित विगत में अकित विगत अकककारी अकतुता की गता। लेा की कारपोरेट अकाउंट हेतु परामाण की अकतुता किताब जगै।
2. यदि दुरी में अकित विगत अकाउंट पर चलन हेतु राक्य काय पराीकगत अकाउंटत विधित पराीकजन (एस.ई.आई.ए.ए.), अकककगत अकाउंट विगत अककक पराीकगत अकाउंटत विधित पराीकजन अकितकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), अकककगत अकाउंटतगत विधितक की मद्राक हो, तो दुरी में जगै पराीककगत विधितक की जगै दुरी अकित विगत अकाउंट में की मद्राक अकककारी की अकककारी अकककगत अकित अकतुता की जगै। साथ ही अकककगत की अककगत विधित की अकककारी अकककगत अकित अकतुता की जगै।
3. यदि अकाउंट दुरी हो अकककित है, तो विगत अकाउंट में विगत अकाउंट अकाउंटत की अकककगत मद्राक की अककककै अकककत विगत हो अकककित परान कर अकतुता की जगै।
4. मद्राक अकाउंट, मद्राकगत, लन अकाउंटत पराीकगत मद्राकगत मद्राक विगत में अकाउंट विगतक 01/05/2018 की अकककत सी.ई.सी. (Corporate Employment Responsibility) हेतु अकककत अकतुता किताब जगै।
5. यदि विगतक दुरी अकककगत अकाउंटत की अकाउंट में लेा की अकाउंट (Levels) लेा दुरी अकाउंट (Surveyor) के साथ अकाउंट ताल की अकककगत मद्राक में अकककगत अकाउंट अकककगत अकककारी / अकककगत (अकाउंट अकककगत) अकित अकककगत विगत अकक हेतु विधित किताब जगै।

अकककगत यदि विगतक दुरी पराीककगत अकाउंटत की अकककत सी.ई.सी. अकककगत अकाउंटत विगतक 23/05/2020 दुरी अककककगत हेतु अकककत किताब जगै।

**(ब) अकककत की अकककी मद्राक विगतक 27/05/2020**

अककककगत हेतु की परान अकाउंट विगत अकककगत पराीककत मद्राकगत दुरी। अकककत दुरी अकाउंट अकककगी का अकककगत दुरी पराीककत अकाउंट ता विगत अकककत दुरी मद्राक —

1. दुरी अकाउंटत का अकककगत अकाउंटत मद्राक — दुरी अकककगत में अकाउंट में दुरी अकाउंटत अकककगत का विगतक 27/05/2020 का अकककत अकाउंटत मद्राक अकककत किताब जगै है।
2. विगतक/अकककगत — अकककगत अकाउंटत अककक अकाउंट अकाउंट अकाउंटत का अकाउंट विगतक/अकककगत का अकककत है।
3. अकककगत अकककगत — अकककगत अकाउंट अकककत किताब जगै है जो अकाउंट अकाउंटत (यदि अकाउंट) विगत-अकाउंट के अकाउंट अकाउंट 247/अककक-क/2020 अकककत, विगतक 23/05/2020 दुरी अककककत है।

 100 वीटन की अकककत में विगत अकाउंटत — अकककगत अकाउंटत अकककत अकाउंटत अकाउंट विगत-अकाउंटत-अकाउंट के अकाउंट अकाउंट 2000/अककक / 01/01/2018-20

जासकीय दिनांक 13/02/2020 के अनुसार आवंटित खदान से 520 मीटर की सीमा उपस्थित अन्य दो खदानों की सीमा स्थित है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), थिसर-जासकीय-बाबा के खाने कमरा क्रमांक 2004/बा. वि./आ./2018-20, जासकीय दिनांक 13/02/2020 के द्वारा जारी इमान एवं अनुमान तथा खदान से 200 मीटर की परिधि में सीढ़ी, बरफट, अल्पसाह, सड़क, पुल बांध, एसीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एन जेन अगुनि आदि प्रतीयोजित बांध स्थित नहीं है।
6. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), थिसर-जासकीय-बाबा के खाने कमरा क्रमांक 2004/बा. वि./आ./2018-20, जासकीय दिनांक 25/01/2020 द्वारा जारी की गई थिसकी आवधि 2 वर्ष सेटु के है।
7. नव विमान का अस्थापित प्रमाण पत्र - कार्यालय उपमहासंचालिका, जासकीय-बाबा कलेक्टर, बाबा के खाने कमरा क्रमांक 2004/बा. वि./आ./2018-20 की जारी अस्थापित प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित नूनि नव बांध की सीमा से 12.7 कि.मी. की दूरी पर है।
8. सिस्टीक सर्वे रिपोर्ट - मान्य सरकार, जासकीय, नव जीव अस्थापित प्रतीयोजित भवन, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/01/2018 द्वारा विहित प्रमाण से सिस्टीक सर्वे रिपोर्ट Contour Survey Report, को प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. गडबकून संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आकारों वाले गडबकून 1.428 कि.मी., 1.428 कि.मी. तथा 0.52 कि.मी., एवं अल्पसाह बांध 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.42 कि.मी., एवं राजमार्ग 10.9 कि.मी. दूर है। अधिसूचित क्षेत्र खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एसीकट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - पारिस्थितिक संसाधन द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आसानीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अल्पसाह, केंद्रीय प्रमुख निवहन क्षेत्र द्वारा स्थित स्थितिकीय सिस्टीक सर्वे, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का स्थित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं क्षेत्र प्रतीयोजित स्थित है।
11. खाने स्थल पर नदी के बाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवंटित अनुसार खाने स्थल पर नदी के बाट की चौड़ाई - अधिसूचित 200 मीटर, अनुमान 240 मीटर तथा खाने स्थल की चौड़ाई - 200 मीटर, खाने चौड़ाई - 180.87 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिसूचित 240 मीटर, अनुमान 180 मीटर है।
12. खदान स्थल पर नदी की मोटाई - अधिसूचित अनुसार खाने पर नदी की चौड़ाई - 4.18 मीटर तथा नदी प्रस्थानित मोटाई - 2 मीटर चौड़ाई गई है। अनुमानित मोटाई नदी अनुसार खदान में मोटाई नदी की मोटाई - 85.200 फुटमीटर है। नदी उपखाने से प्रस्थानित स्थल पर मोटाई में उपखाने से नदी की मोटाई खाने की लिए उपस्थित खाने पर 2 मीटर (178) अधिसूचित नदी सार्वजनिक मोटाई का मान्य पत्र, अग्निज थिसर से प्रस्थानित

जलवाही प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुमानित गति की गणना औसत गहराई 4.15 मीटर है। वेग की कार्यात्मक गहराई हेतु गणना भी प्रस्तुत किया गया है।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खण्ड में पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. खण्डन क्षेत्र में रेत संचयन की अनुमति – इस खण्डकृत हेतु प्रस्तावित खण्ड पूर्व प्रस्तावित खण्ड की तुलना में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुद्रा 25 मीटर के गिरा बिन्दुओं पर दिनांक 20/01/2020 को रेत संचयन के परीक्षण लेवल (Levels) किन्तु, एकीकृत विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत उचित अवधायी/व्यवधान प्रस्तुत किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – खण्ड संस्कार परीक्षण, एवं और अन्यदायित्व परियोजना संश्लेषण, एवं दिनांक की ओ एम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार की गई है। (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रतिदिन 1 लाख रुपया खर्च से इसे खण्ड निम्नानुसार विभिन्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.5	2%	1.13	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Barbaspur	
			Rain Water Harvesting System	1.48
			Plantation	0.15
			Total	1.55

16. वेग प्रमाणन अनुमान विधि से हम प्राप्त कर जल जल प्राप्त किया गया प्रमाणित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक खण्डकृत की अनुमति नहीं है। अनुमानित खण्डकृत खण्डकृत में खण्डकृत किन्तु जल जल क्षेत्र की पर्यवेक्षण से अनुमान संबंधी खण्डकृत खण्ड 15 तकसुखी खण्डकृत का खण्डकृत नहीं किया गया है। इसकी एकीकृत एकीकृत है खण्ड द्वारा खण्डकृत में खण्डकृत 1.5 मीटर गहराई से खण्डकृत वेग का अनुमान होने की संभावना है।

समिति द्वारा निम्न विषयों उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. आवेदित खण्डकृत (खण्ड-खण्डकृत) का खण्डकृत 5 कैलेंडर है। खण्डकृत की गहराई के 500 मीटर की परिधि में खण्डकृत/संश्लेषित खण्डकृत का खण्डकृत खण्डकृत 5 खण्डकृत का खण्डकृत खण्डकृत की खण्डकृत खण्डकृत की 2 खण्डकृत की खण्डकृत खण्डकृत।



**पुनर्विचारण कार्य** – प्रस्तावित खण्डकृत का खण्डकृत खण्डकृत खण्डकृत खण्डकृत खण्डकृत 1 लाख 50 हजार रूपये - 150 हजार खण्डकृत का खण्डकृत खण्डकृत 150 हजार (खण्डकृत खण्डकृत, खण्डकृत, खण्डकृत







7. यदि खास पूं से बनाया है, तो विश्व बैंक में किए गए अध्ययन की तकनीक का उपयोग की जा सकती है, जो प्रारंभिक चरण से प्रभावित अंश को प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, राज्य सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन संस्थान, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/08/2019 के अनुसार सी.ई.एम (Corporate Environment Responsibility) से जुड़े प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि विश्व बैंक एवं परिशिष्ट संस्थाओं को खदान से वेत के स्तरों (Levels) जैसे गहरे खनिज (Minerals) के साथ जलसमी-पट्ट की आवधिक सेवा में उपयोगिता समान सुदृढ़ता जानकारी / पत्राचार (प्रदान की जाती है) राष्ट्रीय प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार यदि विश्व बैंक एवं परिशिष्ट संस्थाओं को एनईएसी, प्रस्तुतिकरण के अधिनियम दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

#### **(ग) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020**

प्रस्तुतिकरण हेतु की प्रस्तुतिकरण प्रस्तावों, प्रस्तावों पर समिति द्वारा जारी प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत एक परिशिष्ट जारी कर निम्न विधि गई है—

1. **राज्य सरकार का प्रस्तावित प्रस्ताव पत्र** — राज सरकार के अधिनियम के अंतर्गत जारी प्रस्ताव दिनांक 20/08/2020 का अंतिम अंश प्रस्तुत किया गया है।
2. **विश्व बैंक / सी.ई.एम** — भारतीय कर्तव्य, अधिनियम से प्राप्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर, अंतिम अंश दिनांक / सी.ई.एम से प्राप्त है।
3. **पर्यावरण संरक्षण** — राष्ट्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो एन-संरक्षण दिनांक-अंश के अंतर्गत अंश 20/08/2020 अंश दिनांक 27/05/2020 द्वारा अंतिम है।
4. **300 मीटर की परिधि में विश्व खदान** — भारतीय कर्तव्य (अंतिम अंश) दिनांक-अंश-अंश के अंतर्गत अंश 21/08/2020-20, अंतिम दिनांक 20/08/2020 के अनुसार अंतिम अंश के 300 मीटर की परिधि अंतिम अंश के अंतर्गत जारी किया गया है।
5. **200 मीटर की परिधि में विश्व सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण** — भारतीय कर्तव्य (अंतिम अंश) दिनांक-अंश-अंश के अंतर्गत अंश 21/08/2020-20, अंतिम दिनांक 20/08/2020 द्वारा जारी अंश प्रस्तुत कर अनुसार अंश अंश के 200 मीटर की परिधि में जारी की सार्वजनिक क्षेत्र में जारी प्रस्ताव अंतिम अंश प्रस्तुत कर अंश एनईएसी एवं जल अंतिम अंश अंतिम अंश अंतिम अंश है।
6. **एन.सी.आई का विवरण** — एन.सी.आई भारतीय कर्तव्य (अंतिम अंश) दिनांक-अंश-अंश के अंतर्गत अंश 20/08/2020/अंश अंतिम/अंतिम/अंतिम/अंतिम अंतिम दिनांक 21/08/2020 द्वारा जारी की गई, अंतिम अंश 2 वर्ष हेतु है।
7. **वन विभाग का अंतिम अंश पत्र** — भारतीय कर्तव्य (अंतिम अंश) दिनांक-अंश-अंश के अंतर्गत अंश 21/08/2020 द्वारा जारी





आदि, वीरे लागू करेंगे। इसकी अतिरिक्त प्रत्येक साल पर 1,000 रु. वीरे लागू करेंगे।

3. परिशिष्ट प्रत्येक सेट काटने से पहले 1.5 मी. में विस्तृत गड्ढे का अध्ययन (Disturbance Study) करायेगा, ताकि सेट के पुनर्स्थापन (Replenishment) के लिए प्रत्येक सेट का अध्ययन हो सके। नदीका, स्थानीय जनसंख्या वीरे एवं वृक्ष वीरे का प्रभाव क्या नदी के घाटी की सुरक्षा पर है। अध्ययन के प्रभाव की सभी जानकारी देना हो सके।

4. वीरे क्षेत्र की सुरक्षा का बेसलाइन आटा -

i. परिशिष्ट प्रत्येक द्वारा अध्ययन के पूर्व प्रत्येक क्षेत्र में वीरे / गड्ढे गड्ढे (वीरे क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सभी Levels का ही सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के सभी Levels का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

ii. वेड अन्वेषण के अन्वेषण समय में पूर्व (पूर्व) में वीरे क्षेत्र / गड्ढे में सुदृष्टि वीरे क्षेत्र तथा वीरे क्षेत्र के अन्वेषण द्वारा अन्वेषण में 100 मीटर तक तथा वीरे क्षेत्र के अन्वेषण / नदी सतह (वीरे क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सभी Levels का ही सर्वे किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार वेड-अन्वेषण में वीरे अध्ययन द्वारा वीरे क्षेत्र के पूर्व तथा अन्वेषण द्वारा वीरे क्षेत्र के वेड अन्वेषण Levels का अध्ययन किया जाएगा।

iv. वेड क्षेत्र के पूर्व सिटीफिड किए किये गए वेड क्षेत्र के वेड Levels के अध्ययन का कार्य आगामी 1 वर्ष तक निरन्तर किया जाएगा। वेड-अन्वेषण के अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तथा वेड-अन्वेषण के अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अन्वेषण रूप में एन.डी.ए.ई.ए.ए., अन्वेषण के प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. वीरे क्षेत्र के वीरे क्षेत्र के वेड अन्वेषण में वीरे क्षेत्र के वेड अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तथा वेड-अन्वेषण के अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अन्वेषण रूप में एन.डी.ए.ई.ए.ए., अन्वेषण के प्रस्तुत किए जायेंगे।

वेड क्षेत्र के वेड अन्वेषण अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तथा वेड-अन्वेषण के अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अन्वेषण रूप में एन.डी.ए.ई.ए.ए., अन्वेषण के प्रस्तुत किए जायेंगे।

7. वेड क्षेत्र के वेड अन्वेषण अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तथा वेड-अन्वेषण के अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अन्वेषण रूप में एन.डी.ए.ई.ए.ए., अन्वेषण के प्रस्तुत किए जायेंगे।

वेड क्षेत्र के वेड अन्वेषण अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तथा वेड-अन्वेषण के अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अन्वेषण रूप में एन.डी.ए.ई.ए.ए., अन्वेषण के प्रस्तुत किए जायेंगे।





/2020 (आवृत्ति: दिनांक 21/01/2020 द्वारा जारी की गई, दिल्ली अधिनियम 4 का हिस्सा है।)

7. **वन विभाग का जलसंचय प्रमाण पत्र** - जलसंचय जलसंग्रहणविभागी, जलसंचय-सहायक कमिश्नर, वन के द्वारा जमाना क्र.28/2018/10877 संकेत दिनांक 20/11/2018 को जारी जलसंचय प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित भूमि 200 बीघा की सीमा से 245 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **जिस्ट्रीज्ड नदी रिपोर्ट** - भारत सरकार, वाटरलॉस, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली को अधिनियम दिनांक 20/01/2018 द्वारा निर्दिष्ट जमाना नं. जिस्ट्रीज्ड नदी रिपोर्ट (Demand Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **सहजपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निम्नलिखित आंकड़े मान-संरचनाएं 1.22 कि.मी. (अनुमानित 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है) स्थित इन संरचनाओं की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एलेक्ट्रिक लाइन नहीं है।
10. **परिस्थितीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परिभाषित इलाक़े द्वारा 10 कि.मी. की सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलवायु, संरक्षित इलाक़े नियंत्रण क्षेत्र द्वारा स्थित क्रिस्टलली, पीसुटोड एरिया, परिस्थितीय संवेदनशील क्षेत्र या स्थित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नदी तट पर स्थित/स्थित किया है।
11. **स्थान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं सड़क की नदी तट की दूरी** - आवंटित अनुसंधान स्थल स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकांश 1500 मीटर, अनुसंधान 1000 मीटर तथा स्थान स्थल की चौड़ाई - 400 मीटर, अधिकांश चौड़ाई - 110 मीटर चौड़ाई गई है। सड़क की नदी तट में दूरी अधिकांश 300 मीटर, अनुसंधान 200 मीटर है।
12. **सड़क स्थल पर रेत की चौड़ाई** - आवंटित अनुसंधान स्थल पर रेत की चौड़ाई - 5 मीटर तथा रेत जमाने की प्रस्तावित चौड़ाई - 4 मीटर चौड़ाई गई है। अनुसंधान स्थिति पर अनुसंधान उद्यान में सड़क/रेत रेत की चौड़ाई - 100,000 घनमीटर है। रेत जमाने हेतु प्रस्तावित स्थल पर अधिकांश में उपलब्ध रेत सड़क की चौड़ाई जमाने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 मीटर (1000 घनमीटर) उसकी जलसंचय चौड़ाई पर संपन्न कर, स्थित स्थान में अधिकांश जमाने की प्रस्ताव की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध चौड़ाई चौड़ाई 4-15 मीटर है। रेत की जलसंचय चौड़ाई हेतु जमाना की प्रस्ताव किया गया है।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** - इस सड़क की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. **सड़क क्षेत्र में रेत सड़क के लेवलिंग** - रेत जमाने हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में असाइनिंग तथा सड़क/रेत में 100 मीटर की दूरी तक, 40 मीटर गुना 40 मीटर के लिए सिन्थेटिक रेत दिनांक 02/02/2020 को रेत सड़क के अधिकांश जमाना Levee क्षेत्र, एवं स्थित स्थल में प्रस्तावित जमाना आठवां/आठवां स्थित जमाना/दस्तावेज प्रस्तुत किए गये हैं।
15. **ऑथरिटेड पर्यावरणीय दायित्व (E.E.A.)** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली को अधिनियम दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Compliance Environmental Responsibility) हेतु समिति के लक्ष्य विचार से सभी जमाने सिन्थेटिक जमाने प्रस्ताव किया गया है-



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.5	2%	0.75	Following activities at Neerby Government Primary School Village-Karakachhar	
			Rain Water Harvesting System	
			Outdoor Drinking water Facility	1.50
			Running water facility for Toilet	
			Plantation	
			<b>Total</b>	<b>1.50</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि कूल निवेश के कारण की ई.आर (Corporate Environmental Responsibility) का निरतुा प्रमाण एक मॉड में प्रस्तुत किया जाए।

16. री-वेजमेंट मैनुअल विधि से एक नहरों का कार्य जलवा द्वारा कराया गया प्रस्तावित है।

17. विद्यमान प्रस्तावक द्वारा 4 मीटर की गहराई तक वेजमेंट की अनुमति मांगी है। अनुमोदित वेजमेंट योजना में वेजमेंट निरू जल वाले क्षेत्र को अधिक से अनुमोदित सभी वेजमेंट कार्य एक सारकारी जगहों का समूहक नहीं किया गया है। वेजमेंट नदी नदी नदी है तथा इसमें वेजमेंट से सम्बंधित 1.5 मीटर गहराई से अधिक सेल का पुनर्स्थापन होने को संभव है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्पति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. अनुमोदित वेजमेंट (एक-लीनवेजमेंट) का एक 5 (पांच) है। वेजमेंट की गहराई से 600 मीटर की गहराई से स्वीकृत/अनुमोदित कराने का कुल क्षेत्रफल 5, वेजमेंट का लंबाई एक होने को कारण यह वेजमेंट की-2 नहीं हो सकती।

2. वृक्षादीपन कार्य - समितिगत के अनुसार एक नदी तट पर कुल 1,500 का क्षेत्र - 250 मीटर लंबाई के क्षेत्र तथा क्षेत्र 250 मीटर (कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्र 250) क्षेत्र होगा। इसके अतिरिक्त लंबाई मांग का 250 मीटर लंबाई लंबाई लंबाई।

3. परियोजना प्रस्तावक को वेजमेंट क्षेत्र में आधारी 1.5 ली में निरतुा नदी वेजमेंट (Detailed Study) समीक्षा करके री-वेजमेंट (Replenishment) मांगू लगी जाकर, री-वेजमेंट का नदी, नदीतट, स्थायी वेजमेंट, क्षेत्र एवं कुल क्षेत्र का प्रमाण एक नदी री-वेजमेंट की योजना का री-वेजमेंट की अंतिम की गती योजनाओं द्वारा हो सके।

4. नीच क्षेत्र की सतह का वेजमेंटिंग करके -

- क. अधिकतम असावक द्वारा अस्वल्प से पूर्ण स्वल्प सीमा के बाहर / नदी तट (बैंक जोर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी जमाद से साठे (Levee) का भी सर्वे किया जाएगा। उपरोक्त नदी नदी जमाद की पार (Levee) के सर्वे 25 गुना 25 मीटर के आयत (Grid) में किया जाएगा।
- ख. क्षेत्र स्वल्प के उपरोक्त मानकूल की पूर्ण (सर्वे) तक की अंतिम असावक / (गुण) में सर्वोच्च सीमा क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र के असावकीय एवं अस्वल्प में 100 मीटर तक तक स्वल्प सीमा के बाहर / नदी तट (बैंक जोर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी जमाद से साठे (Levee) का भी पूर्ण निश्चित किए विन्दुओं पर किया जाएगा।
- ग. इसी प्रकार बंधक-बंदखुल में किए अस्वल्प बाहर करने के पूर्ण सब (असावक) इसी किए विन्दुओं पर 100 मीटर के अंतराल Levee में सर्वे किए जाएगा।
- घ. इस जमाद के पूर्ण निश्चित किए विन्दुओं पर सेल जमाद के अंतराल Levee के माध्यम से सर्वे असावकी 3 वर्ष तक विस्तार किया जाएगा। बंधक-बंदखुल के सर्वे के दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं बी-बंदखुल के सर्वे के दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अनिश्चित रूप से एच.ई.आई.ए. असावक की अनुसूचित किए सर्वे।
- इ. समिति द्वारा किए किए अंतराल सर्वेक्षणों से बीसवीं माध्यम सर्वे, एम-1 असावक सर्वे सर्वे, असावक सर्वे 375, बाम-सेलजल, तहसील-तहसील, जिला-जाजनी-बाम, कुल सीमा क्षेत्र 5 इंचोपर क्षेत्र में, सेल अस्वल्प अंतराल 1.5 मीटर की असावक तक सीमित सभी हुए, कुल 25,200 वर्गमीटर अंतराल से असावक सेल परिवर्धक-04 में अंतिम सर्वे की अंतिम सर्वेक्षणों से सर्वेक्षण, अंतराल क्षेत्र के 02 वर्ष तक की सर्वेक्षण सेल किए जाने की अनुसूचना की गई। सेल की सर्वेक्षण भूमिगत सर्वे (Manually) की जाएगी। किए सेल (Seal Sheet) में सभी जमादों का प्रवेश अंतराल क्षेत्र। सीमा क्षेत्र में किए सेल सर्वेक्षण (Excavation) असावक में अंतराल सर्वेक्षण तक सेल का परिवर्धक अंतराल द्वारा किया जाएगा।

असावक सेल सर्वेक्षण असावक निश्चित सर्वेक्षण (एच.ई.आई.ए.) असावक के अनुसूचित किए किए।

4. बीसवीं की सुगीत सुवर्ण कन्दा (पी-2 मांजरसुई सर्वे सर्वे, बाम-मांजरसुई, तहसील-बाम, जिला-जाजनी-बाम), तहसील-बाम, जिला-जाजनी-बाम (सर्वेक्षण का नववीं कमाक 1287)

अंतराल अंतराल - अंतराल अंतराल - एच.आई.ए. / सीमा / एच.आई.ए. / एच.आई.ए. / 2020, दिनांक 17/08/2020।

असावक का विवरण - यह अंतराल सेल असावक (सीमा अंतराल) है। यह असावक बाम-मांजरसुई तहसील-बाम, जिला-जाजनी-बाम जिला असावक कमाक 02, कुल सीमा क्षेत्र 5 इंचोपर में अंतराल है। असावक अंतराल के किए असावक अंतराल है। असावक की अंतराल अंतराल अंतराल -1.51,200 वर्गमीटर अंतराल है।

बीसवीं का विवरण -

(2) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 18/06/2020



9. **महा सख्तम, गांववाले, जल और पर्यावरण विभाग, मजहरा, लुई जिले के** क्षेत्र- दिनांक 04/06/2020 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) से जुड़ाव प्रस्तुत किया जाए।

10. **जमि निर्माण एवं परिवर्तन प्रस्तावक को** आवान में रोल के नियम (Laws) जैसे जमी संपदा (Zamindari) के साथ आगामी मह की आवंटित काल में आवंटित समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (संबंधित फोटोकॉपी) सहित दस्तावेजगत विवरण देने ज्ञान हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

द्वयनुराग अति निर्माण एवं परिवर्तन प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी, एन.एच.ए. के द्वारा दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ग) सभिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील कुमार शर्मा आवंटित सभिति आवंटित हुए। सभिति द्वारा जमी, प्रस्तुत जानकारी का आलोचना एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय लगे।

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – गा.सख्तम के काल में एक पंचायत सिलेक्शन का दिनांक 11/06/2018 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **विभाजित/सीमांकित** – गांववाले कलेक्टर (ग्रामिण शाखा में प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार गा.सख्तम विभाजित/सीमांकित पत्र प्रेषित है।
3. **पंचायत सीमा** – सभिति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो एक संकल्प (ग्रामिण प्रमाण) जिता-एन.ए. के द्वारा क्रमांक 828/सी-8/2020 द्वारा दिनांक 09/08/2020 द्वारा अनुमति है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – गांववाले कलेक्टर (ग्रामिण शाखा) जिता-एन.ए. के द्वारा क्रमांक 2885-4/सी.ए. /सि/2018-20 जांचनी, दिनांक 07/02/2020 के अनुसार आवंटित खदान में 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य जल खदानों की संख्या निम्न है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – गांववाले कलेक्टर (ग्रामिण शाखा) जिता-एन.ए. के द्वारा क्रमांक 2888-2/सी.ए./सि/2018-20 जांचनी, दिनांक 07/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार पत्र आवान में 200 मीटर की परिधि में सड़क, पंचायत, अनापत्ति, मूल, गैर, एन.ए. एवं जल संपत्ति आदि आवंटित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.डी.आई. का विवरण** – एन.डी.आई. गांववाले कलेक्टर (ग्रामिण शाखा) जिता-जांचनी के द्वारा क्रमांक 2888/गैर (ग्रामिण/सीमांकित/स.क./2020 जांचनी, दिनांक 25/04/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी आवंटित 2 ली. हेतु है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – गांववाले वनविभाग/जांचनी, जांचनी-एन.ए. के द्वारा क्रमांक 148/सी/2018 जांच, दिनांक 20/11/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित भूमि एक हेक्टर की सीमा में 30 कि.मी. की दूरी पर है।



		Rupies)	(in Lakh Rupies)	
81.33	2%	1.23	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Manjarkhand	
			Rain Water Harvesting System	0.82
			Potable Drinking water Facility	0.23
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.08
<b>Total</b>			<b>1.27</b>	

8) कि उपरोक्त निम्नलिखित विधि के एक चरणों का कार्य जीवन द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

9) परियोजना का आयतन मात्र 1.25 मीटर की गहराई तक उपखनन की अनुमति मांगी है। अनुसंधान उपखनन योजना में उपखनन किए जाने वाले क्षेत्र की स्थिति से प्रस्तावित नदी का आयतन बराबर एवं समझौते आधारों का समर्थन नहीं किया गया है। गहानदी बड़ी नदी है तथा इसमें प्रवाहावस्था में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई के अधिक होना प्रस्तावित होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसाधारणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. आवेदित खदान (जल-संग्रहण) का आयतन 3 मीटर है। खदान की सीमा से 100 मीटर की परिधि में स्थित/संलग्न खदानों का कुल आयतन 3 मीटर से अधिक कम होने का प्रस्ताव यह खदान की-2 मीटर की गहरी नहीं।

2. भूखनीकरण कार्य - प्रस्तावित खदान पर नदी तट पर कुल 1.25 मीटर चौड़ाई - 100 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र तथा 100 मीटर (जामुन, कणज, बाल, जल अदि) पीने लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त लंबे क्षेत्र पर 200 मीटर चौड़ाई लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक को खदान क्षेत्र में जमाती 1.5 वर्ष में निष्कृत याद अध्ययन (Disposal Study) करवाना ताकि क्षेत्र की पुनर्स्थापना (Rehabilitation) कार्य जारी आकर, यह अध्ययन का नदी, नदीतट, सामूहिक संस्थाओं, जीव एवं वृक्षों की संरक्षण तथा नदी के धारा की पुनर्स्थापना पर क्षेत्र उपखनन के प्रस्ताव की गयी अनुमति प्राप्त हो सके।

4. जीवन क्षेत्र की सीमा का बेसलाइन खाना -

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपखनन की पूर्व खनन जीवन क्षेत्र सीमा / नदी तट (100 मीटर) से 100 मीटर तक का क्षेत्र में नदी तटों के साथ (Lands)

का भी सर्वे किया जाएगा। उपरोक्त सभी नदी घाटों की स्तर (Levels) का भी 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

- ii. दो बांधों के समस्त बांधखुरों के पूरे (पूर्व तथा उत्तरी) बांधों के अंतिम बांधखुर / खुरों में स्टेडियम लेवल बांध तथा लेवल बांध के अन्तर्गत एवं बांध-स्टेशन में 300 मीटर तक तथा बांध-स्टेशन के बांध / खुरों तक (दोनों बांधों में 100 मीटर तक) के बीच में नदी घाटों के स्तर (Levels) का भी पूरे विस्तारित चिह्न विन्दुओं पर किया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार वेस्ट-बांधखुर में दो बांधखुरों द्वारा बांधों के पूरे एवं अन्तर्गत इसी चिह्न विन्दुओं पर दो बांधों के विस्तार Level का मान किया जाएगा।
- iv. दो बांधों के पूरे विस्तारित चिह्न विन्दुओं पर इन बांधों के अंतिम (Levels) का मान का सर्वे अगामी 3 वर्षों तक किया जाएगा। वेस्ट बांधखुरों के अन्तर्गत विस्तारित 2020, 2021, 2022 एवं ई-बांधखुरों में अन्तर्गत 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एल.ई.आई.ई.ए. तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
5. अधिष्ठित द्वारा विस्तार दिशा में समस्त कार्यवाही में भी सुनील कुमार शर्मा पी-2 मजदूरों एवं मजूरों, बांधों अन्तर्गत 01 ग्राम-मजदूरों (राहील-अग्र, चिह्न-बांधखुर-बांध, कुल लेवल अन्तर्गत 6 अन्तर्गत बांधों में) का सम्पूर्ण अधिकार 10 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 15,000 घण्टीय अधिकार का सम्पूर्ण अनु परिशिष्ट-05 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत पर्याप्तता की पूर्ति करते दिनांक से 02 वर्षों तक की जाती हेतु चिह्न बांधों की अनुमान की भू-तल की सुरक्षा समिति द्वारा (Manually) की जाएगी। चिह्न बांध (Main Band) में भी बांधों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लेवल बांध में चिह्न दो सुरक्षा पट्टे (Excavation pass) से अन्तर्गत मजूरों तक दो-दो प्रतिबंधित क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा।

उक्त सभी कार्यवाही समस्त विस्तार अधिकार (एल.ई.आई.ई.ए.) तकनीक का सम्पूर्ण सुचित किया जाए।

6. वेस्ट की सुनील कुमार शर्मा (पी-1 सुरक्षाधी बांध मजूरों, बांध-सुरक्षाधी, राहील-अग्र, जिला-बांधखुर-बांध), राहील-अग्र, जिला-बांधखुर-बांध (अधिकार का नतीजा क्रमांक 1268)

सीनलाईन आवेदन - प्रमाणित नम्बर - एम्.आई.ए. / सी.पी. / एम्.आई.ए. / 140480 / 2020, दिनांक 18/08/2020।

प्रमाण का विवरण - यह प्रमाणित क्षेत्र बांध (मान स्टेडियम) में। यह बांध बांध-सुरक्षाधी राहील-अग्र जिला-बांधखुर-बांध जिला-बांध अन्तर्गत 100 मीटर तक लेवल बांध 6-वेस्ट में प्रमाणित है। बांधखुर-बांधों में किया गया प्रमाणित है। बांधों की अन्तर्गत सम्पूर्ण बांध-1,01,280 घण्टीय अधिकार है।

वेस्टों का विवरण -

(अ) समिति की 127वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा प्रमाण की नतीजा एवं प्रमाणित क्षेत्रों का अधिकार तथा सम्पूर्ण कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट से चौड़ाई की अनुमति प्रस्तुत की जाए।
2. क्षेत्र व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की अनुमति तथा अनुमतिपत्र में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर मुखा 25 मीटर का रिटर्न कनाक्टर, परिसर में सेट बैक के लिये Level, लेजर किंग पीस में उपस्थित कर प्रस्तुत किए जाएं। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी घाट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी घाट के लार्सी (Larson) का भी राई किया जाए। खनन लेवेल (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्पलेट लेव-सार्सी (Consolidated TBM structure) निर्दिष्ट किए जाएं। टेम्पलेट लेव-सार्सी (TBM) में आर-एन को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किए जाएं। रिटर्न पीस में टेम्पलेट लेव-सार्सी (TBM) की भी प्रतिकर, सभी अंकित विभाग में प्रस्तावित/अनुमति प्राप्त/अनुमतिपत्र सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।
3. नदीघाट से खनन की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत (50% अधिक हो) नहीं करनी है। यदि इसका अनुपालन खनन में कुछ क्षेत्र में संभवतः किया जाया संभव न हो तो उसकी गणना कर, नदी पर प्रतिकर इसका संतुलित भाईनिंग प्लान में अंकित/अंकित का हो कराया जाए। खनन के खनन क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र को चौड़े पर अंकित विभाग में संतुलित/अनुमति प्राप्त/अनुमतिपत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित खनन से निकलता कुल धातु, एनीकट एवं पत्थर जागृति नदीघाट की दूरी खनन अनुमतिपत्र प्रस्तुत की जाए। कुल / एनीकट की दूरी खनन की अनुमतिपत्र में न्यूनतम 100 मीटर तथा अनुमतिपत्र में न्यूनतम 250 मीटर का अनुमति/अनुमतिपत्र है। यदि खनन क्षेत्र अनुमतिपत्र/अनुमति दूरी को अंतर किया हो, तो उपरोक्त अंतर पर खनन हेतु अतिरिक्त क्षेत्र को अनुमति/अनुमतिपत्र सहित एवं निर्दिष्ट कर, इसका चौड़े का निर्माण तथा भाईनिंग प्लान में इस अंतर संतुलित किया जाए।
5. क्षेत्र व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित खनन पर अंकित में उपरोक्त क्षेत्र की चौड़ाई खनन के रिटर्न प्रति क्षेत्रों में कम से कम एक मटर (1M) को प्रतिकर उसकी अनुमति/अनुमतिपत्र सहित का नाम एवं अंकित विभाग में प्रस्तावित/अनुमतिपत्र प्रस्तुत की जाए। क्षेत्र की अनुमति/अनुमतिपत्र हेतु अनुमतिपत्र की प्रस्तुत किया जाए।
6. यदि पूर्व में अनुमति/अनुमतिपत्र पर खनन हेतु राज्य सार्वजनिक-समाधान निर्धारित अनुमति/अनुमतिपत्र (एन.ई.आई.ए.ए.) अनुमति/अनुमतिपत्र अंतर किता अनुमति/अनुमतिपत्र अनुमति/अनुमतिपत्र (एन.ई.आई.ए.ए.), अनुमति/अनुमतिपत्र द्वारा अनुमति/अनुमतिपत्र की गई हो तो पूर्व में जारी अनुमति/अनुमतिपत्र की प्रति एवं अतिरिक्त क्षेत्रों को खनन में की गई अनुमति/अनुमतिपत्र की अनुमति/अनुमतिपत्र सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही अनुमति/अनुमतिपत्र की अनुमति/अनुमतिपत्र की अनुमति/अनुमतिपत्र सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खनन पूर्व में अनुमति/अनुमतिपत्र है, तो रिटर्न परी में रिटर्न एवं अनुमति/अनुमतिपत्र की अनुमति/अनुमतिपत्र की अनुमति/अनुमतिपत्र में अनुमति/अनुमतिपत्र का कर प्रस्तुत की जाए।
8. नदीघाट सार्वजनिक परीक्षण, इन क्षेत्र अनुमति/अनुमतिपत्र सहित, नई रिटर्न के एन.ई.आई.ए.ए. के अनुसार की गई/अनुमति/अनुमतिपत्र (Corporate Environment Responsibility) हेतु अनुमति/अनुमतिपत्र प्रस्तुत किया जाए।



6. यदि निर्देशक एवं परिशिष्टित असावक को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अतनुसार यदि निर्देशक एवं परिशिष्टित असावक को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(iv) समिति की आधी बैठक दिनांक 27/05/2020

अनुमोदित दिने की सुविधा सुचारु रूप से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रमुख मामलों का अवरोधन एवं परिधान करने का निम्न विधि अनुमोदित-

1. धाम भवावात का असावकित प्रमाण पत्र - को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. विन्दावित/सीमावित - कार्यलय कलेक्टर (अभियंता सेवा) को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. असावक सीमाव - गाईविन पत्र अनुमोदित किया गया है जो को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित सडक - कार्यलय कलेक्टर (अभियंता सेवा) विन्दा-आवासीय-धाम को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सडकवाट - कार्यलय कलेक्टर (अभियंता सेवा) विन्दा-आवासीय-धाम को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई. कार्यलय कलेक्टर (अभियंता सेवा) विन्दा-आवासीय-धाम को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. धाम विभाग का असावकित प्रमाण पत्र - कार्यलय कलेक्टर/अभियंता, आवासीय-धाम अनुमोदित, धाम को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।
8. विन्दावित सर्वे रिपोर्ट - गाहा सेवा, कार्यलय, धाम को जमाने में देर हो जाएगी (Levies) तब उसे सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ आवासीय ग्राहकों की आवेदित सेवा के उपरोक्त समस्त सुविधाएं उपलब्धी / उपलब्ध (अवश्य कोटेशन/प्रस्ताव) सहित अनुमोदित दिने जाने हेतु निर्देशित किया गया।



9. गण्डकान्त-सर्वभस्मों की दूरी - सिवालिक जलवादी घाट-सुल्हाटी 0.21 कि.मी., तासलीय सुल्हा सुल्हाटी 0.88 कि.मी. एवं जलवादी जलवा 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राजमार्ग 348 कि.मी. की दूरी पर है। सीकन को खदान से 1 कि.मी. की दूरी पर पुनः/परीक्षण किया गया है।

10. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संबंधित शोध - परिभाषित खदानों द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अक्षांशगत शोध, राष्ट्रीय खदान, अक्षांशगत, राष्ट्रीय प्रमुख निवास क्षेत्रों द्वारा प्रथित विविधता परीक्षणों परीक्षा पारिस्थितिकीय संबंधित शोध पर प्रथित जीवविविधता शोध स्थित नहीं होने प्रतीतित किया है।

11. खदान स्थल पर नदी के घाट की सीढ़ाई एवं खदान की नदी घाट की दूरी - खदान सुल्हा खदान स्थल पर नदी के घाट की सीढ़ाई - अधिनियम 850 मीटर, न्यूनतम 320 मीटर एवं खदान स्थल की सीढ़ाई - 380 मीटर, खदान की सीढ़ाई - 129.88 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी घाट की सीढ़ाई किनारे की दूरी अधिनियम 80 मीटर, न्यूनतम 32 मीटर है।

12. खदान स्थल पर रेत की सीढ़ाई - खदान सुल्हा खदान पर रेत की सीढ़ाई - 4.43 मीटर एवं रेत खदान की प्रस्तावित सीढ़ाई - 2.25 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित सर्वेक्षण प्रथम अनुसार खदान में स्तम्भित रेत की मात्रा - 101.280 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर खदान में उपलब्ध रेत मात्रा की सीढ़ाई खदान के लिए प्रस्तावित खदान पर 8 मीटर एवं खदान खदान की प्रस्तावित सीढ़ाई का खदान पर, खनिज विभाग के प्रस्तावित खनिजों प्रस्तावित की गई है। इसकी अनुसार रेत की प्रस्तावित खदान सीढ़ाई 4.43 मीटर है। रेत की प्रस्तावित सीढ़ाई हेतु प्रथम की प्रस्तावित किया गया है।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय प्रतिक्रिया संबंधी निवृत्त-

क. पूर्व में राज्य, वन विभाग सुल्हाटी के नाम से रेत खदान खदान प्रस्ताव 147, क्षेत्रगत 10 क्षेत्रगत खदान-1,00,000 घनमीटर प्रथम हेतु खदान पर पर्यावरण संबंधित निर्देशित प्रतिक्रिया, पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय प्रतिक्रिया दिनांक 08/10/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की नहीं गयी।

ख. पूर्व में खदान पर्यावरणीय प्रतिक्रिया की जारी की प्रथम से ही पूर्व पर्यावरण की प्रतिक्रिया प्रस्तावित की गई है। खदान प्रस्तावित प्रस्तावित नहीं की गई।

ग. कर्माचार कर्माचार (खनिज विभाग), दिनांक-खनिज-विकास के प्रथम प्रस्ताव 216/खनि/व.क/2020 खनिज विभाग 22/09/2020 में अनुसार वर्ष 2018-19 में 30,000 घनमीटर एवं 2018-19 में 21,300 घनमीटर खदान किया गया है।

घ. निर्देशित प्रस्तावित प्रस्तावित नहीं किया गया है।

14. खदान क्षेत्र में रेत खदान की खदान - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के खदानों एवं खदानों में 100 मीटर की दूरी तक 28 मीटर पुनः 25 मीटर के लिए खनिजों पर दिनांक 14/02/2020 के लिए

संगत की वर्धमान लेवलस Levels) लेवन, उन्ही सन्निध विभाग क प्रस्ताविकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित सम्बन्धी/सम्बन्धित दस्तावेज किने गये हैं।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – मूला संरक्षण, पर्यावरण, एवं और प्राकृतिक संपत्तियों के संरक्षण, नई दिल्ली के औद्योगिक विभाग-01/05/2016 के अनुसार कॉर्पोरेट दायित्व (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समस्त विभाग की सभी उपरोक्त विनियुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
64.13	2%	1.38	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Manjhidara (Khurghatti)	
			Rain Water Harvesting System	1.18
			Plantation with timing	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			<b>Total</b>	<b>1.33</b>

16. वेतन संयोजन समुदाय विधि की एक मशीन का कार्य सीमा द्वारा करना जल्द कार्यान्वित है।

17. परिसीमा प्रस्तावक द्वारा 3.25 मीटर की गहराई तक अवसथन की अनुमति नहीं है। अनुसंधान उपकरणों के माध्यम से अवसथन किए जाने वाले क्षेत्र की अधिक से पुनःस्थापन संबंधी अवसथन कार्य एक सालकी अवधि में कार्यान्वित नहीं किया गया है। मरुभूमि नहीं गहरी है तथा इससे पर्यावरण में अवसथन 1 & 2 मीटर गहराई की अधिक सेत का पुनःस्थापन होने की आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदन खदान (गुल-सुल्तानपुरी) का खनन 5 हेक्टर तक है। खदान की सीमा में 500 मीटर की समिति ने सीमित/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर तक या उससे कम होने की अवधि तक खदान की-3 क्षेत्रों की मान्यता की।

**प्राथमिक कार्य** – अवसथन के अवसथन पर-नयी गट पर कुल 3000 लघु पौधे - 1.500 लघु अमरुत के पौधे तथा एक 1.500 लघु (अमरुत) अलग-अलग कार्य करके सीमा सेनाएं की। इसके अतिरिक्त कुल कार्य पर 200 लघु सीमेंट अमरुत कार्य।



प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित नए खदान (डॉम खनिज) है। यह खदान घास-फूसीघाटी, घासीख-मथराखी, चिऊ-आपरी किता पक्ष पर कुल 400 मीटर लंबा क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदानमें आगदी से किता खाना प्रस्तावित है। खदान की आवधिक आसन्नता सम्यक-88,200 मीटर पर निर्धारित है।

**बीतकी का विवरण -**

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा खदान की नयी एवं प्रस्तुत आसन्नता का वर्गीकरण तथा साधना सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के बगल की चौड़ाई की आसन्नता प्रस्तुत की जाए।
2. इस खदानमें हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खानों के आसन्नता संबंध आसन्नतामें से 150 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गूणा 25 मीटर का डिंड आकार (कोमान से गैर क्षेत्र के लेवल्स Levels लेखा किता में प्रस्तुत कर प्रस्तुत किता जावे। इसकी अधिकतम खान लंबाई के बराबर 7 मीटर पर खाना (की) की 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी पक्ष के आगे Levels का भी कार्य किता जावे। इसका लेवल्स Levels हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बंध नहीं (Covered TBM structures) निर्धारित किता जावे। टेम्पलेट क्षेत्र नाम (TBM) से आसन्नता को कोऑर्डिनेट (Co-ordinates) अधिक किता जावे। डिंड भाग में टेम्पलेट क्षेत्र को (TBM) को भी बराबर नदी खनिज किता से प्रभावीकरण आसन्नता कोऑर्डिनेट अधिक आसन्नता, प्रस्तावित प्रस्तुत किता जावे।
3. नदीपक्ष से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर या नदी के बगल की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (10%) की अधिक हेतु नहीं जावे है। यदि इसकी अनुसार खदान में कुल क्षेत्र में खदान किता खानों आसन्नता में ही जो प्रस्तावित खाना कर नहीं पर बराबर इसका अधिकतम खाना में अधिकतम कर ही आसन्नता जावे। खदान की खान क्षेत्र एवं अधिकतम क्षेत्र को सीमा का खनिज किता से कोऑर्डिनेट बराबर, इसका एक प्रस्तुत किता जावे।
4. प्रस्तावित खान के निकटतम कुल कम, अधिकतम एवं कम आसन्नता खानों की दूरी खान आसन्नता प्रस्तुत की जाए। कुल 7 मीटर की दूरी खदान के आसन्नता में न्यूनतम 500 मीटर तक आसन्नता में न्यूनतम 250 मीटर तथा खान आसन्नता है। यदि खान क्षेत्र प्रभावीकरण दूरी के अंतर किता हो, तो खानों में अंतर पर खदान हेतु अधिकतम क्षेत्र को आसन्नता अनुसार नहीं पर विभिन्न रूप, आसन्नता क्षेत्र का कोऑर्डिनेट तथा खान में कुल खानों खानों किता जावे।
5. क्षेत्र आसन्नता हेतु प्रस्तावित खान का क्षेत्रों में खानों क्षेत्र की मोटाई खानों का किता की कोऑर्डिनेट में कम से कम एक मीटर (1m) कोऑर्डिनेट प्रस्तावित खानों का नाम एवं खनिज किता से प्रस्तावित आसन्नता प्रस्तुत की जाए। क्षेत्र की आसन्नता मोटाई हेतु प्रस्तावित की प्रस्तुत किता जावे।



यदि दूरी में अधिकतम खान पर खानों हेतु खानों खान प्रभावीकरण आसन्नता किता प्रभावीकरण (कोऑर्डिनेट), प्रभावीकरण खानों किता खानों प्रभावीकरण आसन्नता किता प्रभावीकरण (कोऑर्डिनेट), प्रभावीकरण खानों प्रभावीकरण खानों की नदी की या दूरी में खानों प्रभावीकरण खानों की की ही एवं अधिकतम खानों का खान

में की गई बर्खास्तगी की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्गठन की अवगत स्थिति की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि वापस पूर्व से संबंधित है तो विगत वर्षों में बिंदु 6ए के अंतर्गत की जानकारी साथ ही पानपत्रों सहित विवरों से अवगत करवा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भूदाता एवं/वाला, कर्तव्य, इन और अन्यथा परिभाषित प्रकार के नई दिशों की ओर दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Enhancement Responsibility) हेतु प्रभाव प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि विद्यार्थी एक परिवार/अवसरों की अवस्था में रहे तो लेवल (Level) जैसे जैसे कर्तव्य (Duty) की साथ आगामी वर्ष की अपेक्षित दिनांक में अपेक्षित समय अनुसार जानकारी / विवरण (अवगत कोटीकरण) सहित प्रस्तुत/अवगत विवेक करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

प्रदान/अवगत सभी विद्यार्थी एक परिवार/अवसरों की एक ही दिनांक, अपेक्षित है। प्रदान दिनांक 25/05/2020 द्वारा अनुसूचित/अवगत हेतु सुनिश्चित किया गया।

**(ख) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020**

अनुसूचित/अवगत हेतु की प्रदान एवं अवसरों प्रतिनिधि सुनिश्चित है। समिति द्वारा सभी प्रदान जानकारी एवं अवसरों एवं परिणाम करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. प्रदान प्रभावों का अवसरों प्रदान एवं - वेतन प्रदान की दिनांक में प्रदान प्रदान अवसरों (अवसरों) के दिनांक 28/05/2018 का अवसरों प्रदान एवं प्रदान किया गया है।
2. विनियमित/सीमांकित - अवसरों अवसरों, स्थिति प्रदान में प्रदान प्रदान एवं अनुसार एवं अवसरों विनियमित/सीमांकित का प्रदान है।
3. अवसरों सीमांकित - अवसरों प्रदान प्रदान किया गया है, जो सभी अवसरों (अवसरों) दिनांक-प्रदान अवसरों के प्रदान अवसरों 11/23/अवसरों/अवसरों 15/05/2018-20/अवसरों, दिनांक 27/05/2020 द्वारा अनुसूचित है।
4. 800 सीटर की परिधि में स्थित अवसरों - अवसरों अवसरों (अवसरों) दिनांक-अवसरों के प्रदान अवसरों 300 अवसरों, दिनांक 18/05/2020 के अनुसार अवसरों प्रदान में 800 सीटर की स्थिति अवसरों अवसरों प्रदान की प्रदान प्रदान है।
5. 200 सीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/अवसरों - अवसरों अवसरों (अवसरों) दिनांक-अवसरों के प्रदान अवसरों 300 अवसरों, दिनांक 19/05/2020 द्वारा प्रदान प्रदान एवं अनुसार प्रदान प्रदान की 200 सीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र अवसरों, प्रदान, प्रदान, प्रदान, प्रदान सार्वजनिक अवसरों, अवसरों एवं अवसरों अवसरों अवसरों अवसरों अवसरों नहीं है।
6. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई. अवसरों अवसरों (अवसरों) दिनांक-अवसरों के प्रदान अवसरों 123/अवसरों/अवसरों/2020 अवसरों, दिनांक 25/05/2020 द्वारा प्रदान प्रदान की गई, प्रदान अवसरों 6 प्रदान हेतु प्रदान है।



13. **खदान क्षेत्र में रेत खानों की संरचना** – रेत खानों में रेत प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान से बायीं तरफ में 100 मीटर की दूरी तक 20 मीटर गूना 20 मीटर की विशुद्ध बंधु दिनांक 14/02/2020 को रेत खान की अधिकतम स्तरीय Levels खनन एवं खनित किया हो प्रस्तावित खानों पर पर्यावरण सहीत जलसंधि/संसाधन प्रस्तावित किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वायु और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/03/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) को अंगिका के समक मंत्रालय से सभी कारखाने निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है –

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.3	2%	82.6	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Kareli chhos	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.18
			Running water facility for Toilets	0.17
			Plantation with fencing	0.25
<b>Total</b>			<b>1.00</b>	

कमिटी द्वारा पर्यावरण प्रभावक को निर्दिष्ट किया गया कि कारखाने द्वारा कारखाने सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत खानों में खनन गति को एक महीने का कार्य जोड़कर द्वारा पर्यावरण प्रभाव प्रस्तावित है।

16. पर्यावरण प्रभावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति नहीं है। अनुमति प्राप्त खनन क्षेत्र में खनन किए जाने वाले क्षेत्र की अधिकतम खनन गहराई अधिकतम कार्य एवं खनन की अधिकतम गहराई नहीं किया गया है। खनन की गहराई 3 मीटर है तथा इससे अधिकतम में खनन गहराई 1.5 मीटर गहराई में अधिकतम रेत का खनन कार्य को सम्भव है।

कमिटी द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय किया गया –

- 1. **अधिकतम खनन (घास-कटोरी/कॉरी)** का लम्बा 4.8 मीटर है। खदान की सीमा में 100 मीटर की चौड़ाई में स्तरीय/संयोजित खदानों का खनन क्षेत्र 5 मीटर का लम्बाई तक होने से खान में खदान की-2 मीटर की गहराई।





**प्रस्तावित नया विवरण** – यह प्रस्तावित नया खदान (मिना खुदिया) है। यह खदान काम-करौलीकी, खारौया-समरौया, विना-उपारी किला नगर जिला के तहसील में 4.30 एकर क्षेत्र में प्रस्तावित है। वर्तमान खानगी से विना खाना प्रस्तावित है। खदान की आवधिक उत्पादन क्षमता-84,800 टन/माह निर्धारित है।

### **बीडकी का विवरण –**

#### **(क) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 18/05/2020**

समिति द्वारा उपरोक्त की नवी एवं प्रस्तुत कामकाजी का परीक्षण तथा आवश्यक सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खाना क्षेत्र की ऊँचाई एवं नीचाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. नदी उपखनन हेतु प्रस्तावित खाना एवं प्रस्तावित खाना के आसपास तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी तथा 20 मीटर तथा 25 मीटर का विना क्षेत्र, समेत नदी तथा नदी के उपर *Levels* लेकर विना क्षेत्र में प्रस्तावित एवं प्रस्तुत किया जाने। इसमें अविरत खनन क्षेत्र के ऊपर / नदी का (टीभी) क्षेत्र से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी काट के पर्याय (*Levels*) का भी सर्वे किया जावे। नदी क्षेत्र *Levels* हेतु काम से काम 2 टैगरी केव गाड़ी (*Controlled FBM structure*) निर्धारित किया जावे। टैगरी केव गाड़ी (*TRM*) में काम करने, को-ऑर्डिनेट (*Co-ordinates*) अवधि किया जाने। विना क्षेत्र में टैगरी केव गाड़ी (*TRM*) को भी परीक्षण, वहाँ अवधि विना से प्रस्तावित खाना क्षेत्र का परीक्षण सेटिंग जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया जावे।
3. सर्वेक्षण से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत क्षेत्र को अवधि हेतु सर्वे जानी है। यदि इसको अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उपखनन किया जाना संभव न हो तो उपरान्त अपना मत तथा परीक्षण इसमें अवधि सर्वेक्षण खाना में अवधि क्षेत्र से अवधि जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं अवधिगत क्षेत्र को नदी का अवधि विना से सीमागत क्षेत्र, प्रस्तावित क्षेत्र किया जाए।
4. प्रस्तावित खाना से निकलना कुल क्षेत्र, पूर्णतः एवं नदी आसपास क्षेत्र की दूरी खाना क्षेत्रों की प्रस्तुत की जाए। कुल / एरिया की दूरी खदान के आसपास में न्यूनतम 100 मीटर तथा आसपास में न्यूनतम 200 मीटर तथा खाना क्षेत्रों की दूरी क्षेत्रों के परीक्षण नदी के क्षेत्र किया जावे। नदी परीक्षण खाना क्षेत्र में अवधि क्षेत्र प्रस्तावित क्षेत्र को अवधि अनुसार नदी पर विना क्षेत्र, अवधि क्षेत्र को अवधि तथा सर्वेक्षण खाना में इस क्षेत्र परीक्षण किया जाए।
5. नदी उपखनन हेतु प्रस्तावित खाना पर अवधि से परीक्षण क्षेत्र की चौड़ाई खाना के क्षेत्र प्रति टैगरी में कम से कम एक मीटर (1m) अवधि खाना क्षेत्रों परीक्षण क्षेत्रों या अवधि क्षेत्र, अवधि विना से अवधि खाना क्षेत्र प्रस्तुत की जाए। नदी की परीक्षण नदी हेतु अवधि में प्रस्तुत किया जावे।
6. यदि पूरे में अवधि क्षेत्र तथा खाना हेतु खाना क्षेत्र परीक्षण खाना क्षेत्रों परीक्षण क्षेत्रों (एरिया) अवधि क्षेत्रों के क्षेत्रों में अवधि क्षेत्रों परीक्षण क्षेत्रों (एरिया) अवधि क्षेत्रों परीक्षण क्षेत्रों की नदी की, नदी क्षेत्र में अवधि क्षेत्रों की प्रति एवं अवधि क्षेत्रों के खाना

न की गई कार्रवाई की जानकारी प्रोटीक्शनर लीग प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रमाणपत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रोटीक्शनर लीग प्रस्तुत की जाए।

7. यदि सचिव पृथक से संचालित है, तो विगत वर्ष में विद्युत सप्लाई व्यवस्था की वारंटिक ग्राहक की जानकारी व्यक्तिगत विभाग से प्राप्तित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, क्लाइमेट और ऊर्जा (पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) दिनांक 01/03/2018 के अनुसार ग्रीडिंग (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निर्देशक एक परियोजना प्रस्तावक को अद्यतन में डा. क. लेखा (Lawyer) और डा. बायो (Biologist) के साथ जगती कर भी अर्थात् वेबक में अपलोड करके सुरक्षा जानकारी / प्रमाणपत्र (अद्यतन कार्यालय) लीग प्रस्तुत करने दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सातवां बार यदि निर्देशक एक परियोजना प्रस्तावक को 01/01/2021, अर्थात् दिनांक 01/01/2021 द्वारा प्रस्तुत किया हेतु निर्देशित किया गया।

**(4) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020**

प्रस्तुतियां हेतु की जानकारी के अतिरिक्त (अतिरिक्त सूची) समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एक परियोजना करने पर निम्न स्थिति पाई गई -

1. **एन.पी.आर. का अद्यतन प्रमाण पत्र** - डा. राधाकर के द्वारा न.रा. प्रमाण, अर्थात् दिनांक 28/03/2017 का अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **विन्यायिक/सीमांकित** - अद्यतन अर्थात्, अर्थात् डा. क. से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह सचिव विन्यायिक/सीमांकित कर घोषित है।
3. **अद्यतन योजना** - अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, डा. अर्थात् अर्थात् (अर्थात् डा. क.), दिनांक-03/05/2020 के द्वारा प्रमाण 1132/अर्थात्/अर्थात् दिनांक 01/01/2019-20 अर्थात्, दिनांक 01/01/2020 द्वारा प्रस्तुतित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित अद्यतन** - अद्यतन अर्थात् (अर्थात् डा. क.), दिनांक-अर्थात् के द्वारा प्रमाण 305 अर्थात्, दिनांक 28/03/2020 के अनुसार अद्यतन अद्यतन में 500 मीटर की सीमा अद्यतन अद्यतन डा. क. द्वारा की अद्यतन प्रमाण है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - अद्यतन अर्थात् (अर्थात् डा. क.), दिनांक-अर्थात् के द्वारा प्रमाण 307 अर्थात् दिनांक 28/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार अद्यतन अद्यतन की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं प्रमाण पत्र डा. क. अर्थात् अद्यतन अद्यतन, अद्यतन अद्यतन एक अद्यतन अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् नहीं है।
6. **एन.पी.आर. का विवरण** - एन.पी.आर. अद्यतन अर्थात् (अर्थात् डा. क.), दिनांक-अर्थात् के द्वारा प्रमाण 142/अर्थात्/अर्थात्/2018 अर्थात् दिनांक 28/01/2020 द्वारा जारी की गई जानकारी अर्थात् 2 परी हेतु प्रमाण है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - भारत सरकार, सर्वेक्षण, वन और जलसंधु विभाग  
 भारत सरकार, सर्वेक्षण की अधिकृतता, दिनांक 25 / 07 / 2016 द्वारा विहित प्रणय में  
 डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **भूसाधन सर्वेक्षणों की दूरी** - निम्नलिखित आंकड़े (वन-अवधि) 0.8  
 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग-सिन्धुवादी 0.80 कि.मी. एक अग्रवर्गीय कृषि 12 कि.मी. की  
 दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यस्तरीय 3 कि.मी. दूर है।  
 सर्वेक्षण क्षेत्र का क्षेत्रफल 1.1 कि.मी. की दूरी एक कुट/एकीकृत किया नहीं है।
9. **परिस्थितिकीय/जैववैज्ञानिक सर्वेक्षणशील क्षेत्र** - परिस्थितिकीय प्रभावक द्वारा  
 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ताराष्ट्रीय, अन्तरीय  
 प्रमुख निर्यात बंदे द्वारा सीमित क्षेत्रिकली सीन्ट्रैड एरिया, परिस्थितिकीय  
 सर्वेक्षणशील क्षेत्र या अन्तरीय सीमावर्ती क्षेत्र किताब नहीं क्षेत्र-प्रतिबंधित किया  
 है।
10. **खदान स्वतंत्र पर नदी की घाट की सीढ़ाई एवं खदान की नदी तट की  
 दूरी** - आवेदन अनुसार खदान स्वतंत्र पर नदी की घाट की सीढ़ाई - अधिकतम  
 600 मीटर, न्यूनतम 300 मीटर एवं खदान स्वतंत्र की सीढ़ाई - 200 मीटर,  
 अधिकतम सीढ़ाई - 1000 मीटर देखाई गई है। खदान की नदी तट की दूरी  
 किताब से दूरी अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है।
11. **खदान स्वतंत्र पर नदी की सीढ़ाई** - आवेदन अनुसार खदान पर तट की सीढ़ाई  
 - 40 मीटर एवं तट खदान की अंतर्गत सीढ़ाई - 3 मीटर देखाई गई है।  
 अनुसंधान प्राधिकरण किताब अनुसार खदान में सीढ़ाई पर तट की सीढ़ाई - 30.000  
 ममीटर है। तट खदान तट अंतर्गत खदान पर खदान में अन्तर्गत तट सीढ़ाई  
 की सीढ़ाई अन्तर्गत तट, अंतर्गत खदान पर 3 ममीटर किताब आवेदन खदान  
 अंतर्गत सीढ़ाई 80 ममीटर एवं खदान किताब से अंतर्गत खदान की प्रस्तुत की  
 गई है। इसके अनुसार तट की अंतर्गत खदान सीढ़ाई 42 मीटर है। तट की  
 अंतर्गत सीढ़ाई तट खदान की प्रस्तुत किया गया है।
12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**
- पूर्व में खदान पर पर्यावरण पर्यावरण की तट की तट खदान खदान  
 अन्तर्गत 01, अन्तर्गत 8, अन्तर्गत, अन्तर्गत-60.000 ममीटर अन्तर्गत तट  
 खदान तट पर्यावरण खदान पर्यावरण पर्यावरण, अन्तर्गत खदान द्वारा  
 पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 08 / 04 / 2016 के द्वारा जारी किया है 3  
 वर्षों तक की अवधि तट जारी की गई है।
  - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की तट की तट खदान में की गई आवेदन  
 की अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। तट खदान किताब प्रस्तुत नहीं की  
 गई।
  - अन्तर्गत अन्तर्गत (अन्तर्गत खदान), किताब-अन्तर्गत की खदान अन्तर्गत  
 080/अन्तर्गत/अन्तर्गत/2020 अन्तर्गत, दिनांक 20/08/2020 के  
 अनुसार तट 2016-17 में 18.000 ममीटर, 2017-18 एवं 2018-19 में  
 तट अन्तर्गत किताब गया है।
  - अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत नहीं किताब गया है।
13. **खदान क्षेत्र में तट खदान की अन्तर्गत** - तट खदान तट अन्तर्गत खदान एवं  
 अन्तर्गत खदान की तट तट में 100 मीटर की दूरी तट, 20 मीटर तट 20

कीमत के लिए सिंगल पर दिनांक 12/02/2020 को दो लाख के अधिकतम लेखांक लेवल के लिए, सभी संबंधित विभागों से अप्रतिबंधित अथवा अप्रतिबंधित प्रतिबंधित/पर्याप्त प्रस्ताव विद्यमान हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, अधिनियम, 2014 और राजस्थान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1987 दिनांक 01/08/2018 के अनुसार की है। (Corporate Environment Responsibility) को धरती के साथ विचारों से सब संसाधन निरन्तर रूप से सुरक्षित रखना है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
79.85	2%	1.55	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Karoli badi:	
			Ren. Water Harvesting System	1.10
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Running water facility for Toilet	0.10
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
<b>Total</b>			<b>1.60</b>	

15. यह उपकरण नियोजन विधि से एक तरह का लोच लेना द्वारा असाध्य काम प्रदर्शित है।

16. पर्यावरण संरक्षण द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उपकरण की अनुमति नहीं है। अनुमति उपकरण योजना में उपकरण किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक क्षेत्र पुनर्भरण कार्य के अन्तर्गत कार्य कर उपकरणों के अन्तर्गत नहीं किया गया है। अन्तर्गत कार्य नहीं है तथा इसके अन्तर्गत में सम्मानित 1.5 मीटर गहराई में अधिक क्षेत्र का पुनर्भरण नहीं की संभवता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श पर्याप्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. आवेदन अधिनियम (ग्राम-करोलीबडी) का प्रस्ताव 4.85 हेक्टर है। अधिनियम की धारा 2 300 मीटर की परिसर में स्वीकृत/अनुमति उपकरणों को पूरा संरक्षण 5 हेक्टर या उससे कम होने के कारण यह अधिनियम की 2 धारा की भांगे नहीं।

2. **पुनर्भरण कार्य** – पर्यावरण के अधिनियम पर नहीं है पर कुल 3,000 लक्ष रुपये - 1,000 लक्ष रुपये से अधिक तथा 1,000 लक्ष रुपये (अनुमति, असाध्य, कार्य, आदि)

अर्थात् शीघ्र अग्रगण्य जायेंगे। इनकी अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग में गर 500 पर कीये अग्रगण्य जायेंगे।

3. परियोजना कार्यालय के अधीन क्षेत्र में अगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत माह अध्ययन (Detailed Study) करावेगा, ताकि देश के मुख्यभाग (Major Regions) कायम हो सके जायें, कि अध्ययन कर नदी, नदीतट, तटबंधन, तटसंगी, ज्वार एव मुख्य जल से प्राप्त तथा नदी के किनारे की मुख्यता पर देश अध्ययन से अग्रेसर की सभी जानकारी प्राप्त हो सक।

4. नीचे क्षेत्र की सहाय कर बेनसाईन साटा -

i. देश विकास की उपरोक्त समग्रता की पूर्व (पूर्व भाग के अतिम अग्रगण्य / पूर्व) में स्थायीत क्षेत्र क्षेत्र तथा क्षेत्र क्षेत्र की अग्रगण्य एवं अग्रगण्य में 100 मीटर तक तथा परत क्षेत्र की परत / नदी तट (टीसी क्षेत्र) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी साटा के साथ (Levees) का सभी पूर्व निर्धारित विवर विस्तृत पर किया जायेगा।

ii. इनके अग्रगण्य क्षेत्र-समग्रता में कि अध्ययन प्राप्त करने की पूर्व यह अग्रगण्य सभी विवर विस्तृत पर देश साटा के अध्ययन (Levees) का भाग किया जाएगा।

iii. देश साटा के पूर्व निर्धारित विवर विस्तृत पर देश साटा के अध्ययन (Levees) के भाग पर कार्य अगामी 2 वर्षों तक निरंतर किया जाएगा। क्षेत्र-समग्रता के अग्रगण्य दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं क्षेत्र-समग्रता के अग्रगण्य अग्रगण्य 2020, 2021, 2022 तक अतिरिक्त का से एन.ई.आई.ए.ए. अग्रगण्य को प्राप्त किया जायेंगे।

4. समिति द्वारा विवर विवर अग्रगण्य अग्रगण्य से की क्षेत्र विवर प्रत्येक अग्रगण्य क्षेत्र-समग्रता तथा क्षेत्र-समग्रता, तटबंधन-समग्रता, जल-समग्रता, कुल क्षेत्र क्षेत्र 4.50 सेक्टर क्षेत्र में, देश साटा अतिरिक्त 1.5 मीटर की तटबंधन तक निर्धारित क्षेत्र कुल 75,000 सेक्टर क्षेत्र में क्षेत्र अग्रगण्य से परियोजना-08 में अतिरिक्त क्षेत्र के अतिरिक्त अग्रगण्य अग्रगण्य, क्षेत्र विवर से 02 वर्ष तक की अग्रगण्य क्षेत्र विवर करने की अनुमति की गई। से क्षेत्र सुधार विवर (Manuals) की जाएगी। विवर क्षेत्र (River Bed) में सभी क्षेत्र का क्षेत्र अतिरिक्त क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्र में विवर क्षेत्र सुधार कर अतिरिक्त क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्र तक से से अतिरिक्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

साटा तथा अग्रगण्य अग्रगण्य निर्धारित अतिरिक्त (एन.ई.आई.ए.ए.) अग्रगण्य को अग्रगण्य सुविधा किया जाए।

12. नदी क्षेत्र की अग्रगण्य सुधार (सीमा क्षेत्र-समग्रता, जल-समग्रता, तटबंधन-समग्रता, जल-समग्रता) क्षेत्र-04, कार्य नं. 43, मिलाई, जल-सुष (राज्यपाल का नदी अग्रगण्य 1221)

अतिरिक्त अग्रगण्य - अग्रगण्य साटा - एन.ई.आई.ए.ए. / क्षेत्र / अग्रगण्य / 1/4/77/2020, दिनांक 02/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह अतिरिक्त देश साटा (सीमा अतिरिक्त) है। यह साटा जल-सीमा, तटबंधन-समग्रता, जल-समग्रता तथा अग्रगण्य अग्रगण्य 04, कुल क्षेत्र









14. **कॉर्पोरेट जवाबदारीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार कायदा, उन और संलग्ग परिष्कृत नियमों, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) की समिति के द्वारा निम्न के पदों पर प्राप्त विनियुक्त निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.05	2%	1.05	Following activities at Nearby Government Middle School Village- Saung	
			Rain Water Harvesting System	1.11
			Plantation with fencing	0.10
			<b>Total</b>	<b>1.21</b>

15. इस उपरोक्त विनियुक्त विधि से पूर्व नहरों का कार्य जीवन शुरू करारा जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की नहरों तक उपकरण की अनुमति नहीं है। अनुमति उपकरण योजना में उपकरण किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक क्षेत्र पुनर्वास कार्य के अंतर्गत कार्य एवं नहरों की क्षति को संभाल नहीं किया गया है। नहरों की नदी से एक इंच की गहराई में सांच-पट्टे 1.5 मीटर नहरों से अधिक क्षेत्र का पुनर्वास होने की आवश्यक है।

**समिति द्वारा निम्न विषयों अन्तर्गत सर्वसम्पत्ति से विनियुक्त निर्णय किया गया -**

1. **अधिकतम खदान (घास-खीर) का खनन & डंपिंग** है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में सीमित/समाप्त खदानों का कुल क्षेत्रफल & डंपिंग पर कसने का होने के कारण यह खदान की-2 वाली की गयी गयी।
2. **बुझाईयत कार्य** - प्रथमिकता के अन्तर्गत पर नदी पर एक साल 3,000 मर गये - 1,500 का अनुमान है वही साथ ही 1,500 मर जामुन, खरीब, बरस आदि वीरे जामुन करीब। इसके अतिरिक्त वृद्ध मात्र 500 मर वीरे जामुन करीब।
3. **परियोजना प्रस्तावक के खदान क्षेत्र में अन्तर्गत 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Investment Study) करायेगा,** जहाँ का ही पुनर्वास (Rehabilitation) कार्य वही करीब, इस उपकरण का नदी, गरीब, खनीय उपकरणों, जीव एवं वृद्ध जीव पर प्रभाव तथा नदी के पानी की पुनर्वास पर यह उपकरण के प्रभाव की वही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **जीव क्षेत्र की खास का बेसलाइन कार्य -**
  1. इस काम के अन्तर्गत अनुमान के पूर्व नहरों का क्षेत्र के अन्तर्गत/वृद्ध में राष्ट्रीय जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र के अन्तर्गत एवं अन्तर्गत में 100



प्रस्तुत किये जाएँ। प्रत्येक अतिरिक्त खनन सीक के बाहर / मधी मर (दोनों ओर) में 100 मीटर तक की बाहर में गरी सड़क से लाठी (Levels) का भी सर्वे किया जाए। उक्त योजना Level का हेतु कम से कम 2 टैपस्टे वेव मार्क (Concrete TBM structure) निर्दिष्ट किया जाए। टैपस्टे वेव मार्क (TBM) में बाएण्ड को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किये जाएँ। यह मध्य में टैपस्टे वेव मार्क (TBM) को भी दर्शाकर सभी समिन्त डिब्बों के प्रभावीकरण संबंधित फोटोग्राफ सबीत जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएँ।

3. नदी/नद से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी के पार की बंधाई पर 10 अतिरिक्त (को भी अधिक हो) गडी खानी है। यदि इससे अनुमूल्य खदान के कुछ क्षेत्र में उपस्थित किया जाना संभव न हो तो पर्यायी गलना कर, नदी का दर्शाकर, दुसका उपलब्ध सादृशिक खान में अतिरिक्त का से प्रस्ताव जाये। खदान के खनन का एक अतिरिक्त क्षेत्र को सीक पर समिन्त डिब्बों के सीमांकन करवाकर प्रमाण पत्र बना किया जाए।
4. प्रस्तावित खान से निकलना पुर, बाद, एसीकट एवं मल आधुनी नदी/नदी की दूरी बाहर खान/खाने प्रस्तुत की जाए। पुर / एसीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम से न्यूनतम 500 मीटर तक डाउनस्ट्रीम से न्यूनतम 250 मीटर रहा जाना आवश्यक है। यदि बीच क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी से अलग किया हो, तो फलदेका प्रस्ताव का खनन हेतु अतिरिक्त क्षेत्र को अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम नदी/नदी पर निर्दिष्ट कर, प्रमाण पत्रों पर सीमांकन तथा सादृशिक खान में इन बाधक उपलब्ध किया जाए।
5. सेल उपस्थित हेतु प्रस्तावित खान पर पर्याप्त से उपलब्ध हो को बंधाई खानों के लिए, यदि बांधाई में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर खानों के अतिरिक्त गड्ढाई का मापन कर, समिन्त डिब्बों के अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की जाए। सेल की अतिरिक्त बांधाई हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि दूरी में अतिरिक्त खान पर खनन हेतु राज्य का पर्याप्त प्रमाण प्रमाण निर्दिष्ट प्रतिक्रिया (एम.ई.आई.ए.ए.), फलीलगत अथवा किता खानों के प्रमाण प्रमाण निर्दिष्ट प्रतिक्रिया (पी.ई.आई.ए.ए.), प्रतीक/का इला पर्याप्त/सीक संबंधित ही गई हो, तो दूरी में जारी पर्याप्त/सीक प्रतिक्रिया को यदि एक अतिरिक्त खान के खनन में भी गई कार्यवाही की जानकारी पर्याप्त/सीक साकी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रमाण पत्र की अथवा निर्दिष्ट की जानकारी फोटोग्राफ सबीत प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पुर से संबंधित है, तो डिब्बों खानों में किन्हीं एक परखनन की अतिरिक्त खान की जानकारी अतिरिक्त डिब्बों के अतिरिक्त खान का प्रस्तुत की जाए।
8. साथ ही पर्याप्त, पर्याप्त, एक और उपलब्ध अतिरिक्त संबंधित, नई डिब्बों के जो एम. डिब्बों 25/28/2018 में अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निर्दिष्ट एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र को खदान में सेल की सीमांकन (Levels) सेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आधुनी माह की अतिरिक्त डिब्बों में अतिरिक्त प्रमाण प्रमाण जानकारी / दस्तावेज (अथवा फोटोग्राफ) सबीत प्रस्तुत/प्रमाण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार यदि निर्दिष्ट एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र को एम.ई.आई.ए.ए., फलीलगत की प्रमाण निर्दिष्ट 25/28/2018 द्वारा प्रस्तुत/प्रमाण हेतु सुविधा किया जाए।





			Following activities at nearby Government Middle School Village-Hasda	
58.2	2%	1.18	Rain Water Harvesting System	1.05
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Plantation	0.15
			<b>Total</b>	<b>1.50</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सार्व निर्वहण से उपरोक्त सी ई आर (Corporate Environment Responsibility) का विचार बनाते हुए सबूत से प्रस्तुत किया जाए।

10. **वीर साईनिंग क्षेत्र** – नदी के तट की औसत ऊंचाई 880 मीटर का अनुमान – 840 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अनुमान 820 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के तट की औसत का अनुमान 10 प्रतिशत कम करिए। अब साईनिंग खदान से नदी तट से अनुमान 88 मीटर से 94 मीटर औसत ऊंचाई का विचार जमा प्रस्तावित है, जिसमें 1.800 वर्गमीटर वीर साईनिंग काय रखा गया है। इस प्रकार का प्रस्ताव का कार्बन क्रेडिट 4.34 क्रेडिट्स वीर से किया जमा प्रस्तावित है।

11. इस प्रस्तावक से मुख्य विधि से एक नयाई का कार्बन क्रेडिट 2.00 जमा जमा प्रस्तावित है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक खदान की अनुमति मांगी है। अनुमति प्राप्त करने के लिए खदान के खोले वाले क्षेत्र की अधिकतम 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल को खदान के तट से दूर रखना आवश्यक है। यह नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में खदान से 2 मीटर गहराई से अधिक पानी का प्रवाह होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्देश दिया गया -**

1. अपेक्षित खदान (दाल-खदान) का लंबाई 5 क्रेडिट्स है। खदान की लंबाई से 800 मीटर की दूरी से निकाली, संयोजित खदानों का दूरी औसत 5 क्रेडिट्स का उपाय कम होने के कारण यह खदान से-2 क्षेत्रों को नहीं रखे।

2. **पुनरावस्थापन कार्य** – प्रस्तावित की खदान पर नदी तट पर कुल 2.800 म.मी. पीछे - 1.200 म.मी. की पीछे तथा क्षेत्र 1.200 म.मी. (विस्तृत क्षेत्र, बांध, जल, आदि) पीछे लगाए जायें। इसके अतिरिक्त गांधी मार्ग पर 500 म.मी. पीछे लगाए जायें।



परियोजना प्रस्तावक को खदान क्षेत्र में आधुनिक 1.5 जी से विस्तृत गांधी प्रस्ताव (Mitigation Study) सम्पन्न कराने के लिए खदान (Responsibility) काय रखा जायें, इस प्रस्तावक को नदी-नदीतट, आधुनिक प्रस्तावित, जल एवं वृक्ष क्षेत्रों का प्रस्ताव तथा नदी की तटों की पुनर्स्थापना पर इस प्रस्तावक को उपाय से नदी प्रस्तावित प्रस्ताव हो सके।

3. **वीर क्षेत्र की सार्व का वीरसाईन बांध -**







5. भारत सरकार, नवी दिल्ली, एम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से दिनांक 01/06/2018 के अनुदान सौदेबाजी (Corporate Environment Responsibility) हेतु असाधारण प्रस्ताव किया गया।
6. एमि निवेशक एवं परिचालन प्रस्तावक को एस्टिम के रेट के लेवल्स (Levels) सेने काक सॉरीट (Surveyor) की सहायता से सभी जगहों की जांच के माध्यम से उपलब्ध समस्त सूचनाएं प्राप्त करी / सहायक (जलम सौदेबाजी) सही प्रस्तुत/कलम दिने काम हेतु निर्दिष्ट किया गया।

उपरोक्त एमि निवेशक एवं परिचालन प्रस्तावक को एस्टिम की प्रतिक्रिया के माध्यम दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुत/कलम हेतु सुविधा किया गया।

**(ख) समिती की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020**

प्रस्तुत/कलम हेतु की अर्थात् सुचना, अधिदान निर्दिष्ट समिती द्वारा समिती द्वारा सही, प्रस्तुत/कलम की आलोचना एवं परीक्षण करने पर निम्न विषयों पर चर्चा हुई—

1. **पान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — पान पंचायत के सचिव ने एक अनापत्ति प्रस्ताविका दिनांक 12/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **विन्दकित/सीमांकित** — कार्यालय असेक्टर (समिति सचिव) ने पान पंचायत का अनुदान प्रमाण विन्दकित/सीमांकित रूप प्रेषित है।
3. **आवृत्ति योजना** — अधिनियम पान प्रस्तुत किया गया है, जो एमि अधिदात्री, निम्न-पत्रा के माध्यम से प्रमाण अनापत्ति 1114/समिति/अनापत्ति/अनु/पान/2018-20 माध्यम, दिनांक 27/06/2020 द्वारा अनुप्रेषित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय असेक्टर (समिति सचिव) निम्न-पत्रा के माध्यम अनापत्ति अनापत्ति 401 अनापत्ति, दिनांक 26/06/2020 के अनुदान अधिदात्री खदान से 500 मीटर की भीतर अधिनियम अनापत्ति खदानों की सूची प्रेषित है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय असेक्टर (समिति सचिव) निम्न-पत्रा के माध्यम अनापत्ति 358 अनापत्ति, दिनांक 26/06/2020 द्वारा सही प्रमाण पत्र अनुदान अनापत्ति से 200 मीटर की परिधि में सचिव की सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अनापत्ति, सचिव, पान, कोट, संरचनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक क्षेत्र अनापत्ति आदि अधिनियम क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.डी.आई का विवरण** — एन.डी.आई कार्यालय असेक्टर (समिति सचिव) निम्न-पत्रा के माध्यम अनापत्ति 310/समिति/निम्न/अनापत्ति/2018 अनापत्ति, दिनांक 06/06/2020 द्वारा सचिव की सही, निम्न अधिदात्री 3 वर्ष हेतु किया है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — भारत सरकार, नवी दिल्ली, एम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 26/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण से डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. **महापूरण संरचनाओं की दूरी** — निम्नलिखित अनापत्ति प्रमाण-अनापत्ति 835 कि.मी, अनापत्ति सचिव प्रमाण-अनापत्ति 835 कि.मी एवं अनापत्ति अनापत्ति 6 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.15 कि.मी एवं अनापत्ति 38 कि.मी दूर है। अधिदात्री के अनापत्ति के 1 कि.मी की दूरी तक पान/एन.डी.आई स्थित नहीं है।

8. **परिस्थितिशील/वैकल्पिकता संवेदनशील होना** - परिस्थिति-अनुकूल द्वारा 10 किमी की सीमा में क्षेत्र-स्तरीय सीमा, राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर निर्धारित होना शामिल विभिन्न वैश्वीय परिदृश्यों, पर्यावरण-संबंधी संवेदनशील होना या स्थिति-वैकल्पिकता होना किता नहीं होना शामिल किया है।

9. **खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी घाट की दूरी** - अधीन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकांश 120 मीटर, न्यूनतम 750 मीटर तक खदान स्थल की लंबाई - 255 मीटर, अधिकांश चौड़ाई - 182.18 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी घाट के समीप स्थित है। दूरी अधिकांश 15 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर है। जबकि इसकी नदी घाट के दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 18 प्रतिशत होना चाहिए।

10. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** - अधीन अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 4.17 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित भूविज्ञान खान अनुसार खदान में भूविज्ञान रेत की मोटाई - 82.771 क्यूमीटर है। रेत प्रत्येक अनुसंधित खान पर खानों में आवश्यक रेत मात्रा की मोटाई खनने के लिए प्रस्तावित खान पर 8 लाख 820 करोड़ प्रत्येक वार्षिक वार्षिक मोटाई का मांग कर, स्थिति-विभाग से प्रस्तावित प्रस्तावित प्रस्ताव की गई है। इसकी अनुसार रेत की आवश्यकता होना 4.17 मीटर है। रेत की वार्षिक मोटाई है। प्रस्तावित की प्रस्तावित किया गया है।

11. **पूरे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**

- i. पूरे में खदान, खान पर्यावरण स्वीकृति के मांग के लिए खदान पर्यावरण प्रस्ताव 738, क्षेत्रांक 4.9 हेक्टर, अंश-75,000 पर्यावरण प्रस्ताव 10 दिना स्वीकृति पर्यावरण प्रस्ताव निर्देश अधिकांश, विभाग-खनन द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/10/2018 के द्वारा जारी दिनांक 01/11/18 को जारी है।
- ii. पूरे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के मांग में की गई प्रस्तावों की प्रस्तावित प्रस्ताव की गई है। बाद अनुसार विभाग प्रस्ताव नहीं की गई।
- iii. पर्यावरण अधिकांश प्रस्ताव प्रस्ताव, विभाग-खनन के द्वारा अंश-781/स्थिति/प्रस्ताव-04/2020 खनन, दिनांक 28/08/2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 7,858 पर्यावरण प्रस्ताव दिनांक 01/11/18 है।
- iv. निर्देशित पर्यावरण प्रस्ताव नहीं किया गया है।

12. **खदान क्षेत्र में रेत संचयन स्वीकृति** - रेत प्रस्तावित अनुसंधित खान पर प्रस्तावित खान के मांग खान में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुण 25 मीटर के लिए निर्दिष्ट पर दिनांक 13/02/2020 को रेत खान के निर्माण प्रस्ताव Levels लेवल, उनके स्वीकृति विभाग से प्रस्तावित प्रस्ताव प्रस्तावित स्वीकृति/प्रस्तावित प्रस्ताव किया गया है।



**संशोधित पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - खान पर्यावरण प्रस्ताव, अंश-781/स्थिति/प्रस्ताव-04/2020 खनन, दिनांक 28/08/2020 के अनुसार की ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) अनुसंधित के प्रस्तावित दिनांक के जारी प्रस्ताव निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रस्ताव किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby Government Mode School Village-Parsuli	
			Rain Water Harvesting System	1.22
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
<b>Total</b>			<b>1.37</b>	

15. **बैठ भाड़निंग बीब** - नदी क बाट की बीबाड़ अधिकतम 275 मीटर एव न्यूनतम - 250 मीटर है। जबकि खदान की नदी बाट से दूरी न्यूनतम 89 मीटर है। खदान की नदी बाट से दूरी नदी से बाट की बीबाड़ का न्यूनतम 10 मीटर का होना चाहिए। जब भाड़निंग खदान में नदी बाट से न्यूनतम 27 मीटर से 75 मीटर अधिकतम अन्ततम किछा जलवा प्रस्तावित है, जिसमें 201 परसिटर में 1 भाड़निंग क्षेत्र बना गया है। इस प्रकार के अन्ततम का कार्य करीब 4.80 हेक्टेयर क्षेत्र में किछा जलवा प्रस्तावित है।
16. इस अन्ततम नैजुक्त सिटि से एव नदी का कार्य सीकर द्वारा कराया जलवा प्रस्तावित है।
17. परिसीजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की नदीबाड़ तथा अन्ततम की अनुमति जारी है। अनुमतिगत अन्ततम परिसर में अन्ततम किछा जलवा जलवा क्षेत्र की अधिकतम न्यूनतम लंबाई अन्ततम कार्य एव अन्ततमी अन्ततमी का अन्ततमी नदी किछा जलवा है। अन्ततमी अन्तमी है तथा इससे अन्ततमी में अन्ततमी 1.5 मीटर नदीबाड़ से अधिक क्षेत्र का अन्ततमी होने की अन्ततमी है।

सिपि सि द्वारा किछा किछा अन्ततमी अन्ततमी से अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी

1. अन्ततमी अन्ततमी (अन्ततमी-अन्ततमी) का अन्ततमी 4.8 हेक्टेयर है। अन्ततमी की अन्ततमी से 200 मीटर की अन्ततमी में अन्ततमी, अन्ततमी अन्ततमी का अन्ततमी अन्ततमी 3 हेक्टेयर का अन्ततमी अन्ततमी है। अन्ततमी अन्ततमी है-3 अन्ततमी की अन्ततमी गरी।
2. **अन्ततमी अन्ततमी** - अन्ततमी अन्ततमी से अन्ततमी एव नदी बाट का अन्ततमी 2,000 मीटर अन्ततमी - 1,500 मीटर अन्ततमी से अन्ततमी तथा अन्ततमी 1,500 मीटर अन्ततमी अन्ततमी, अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी। अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी 300 मीटर अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी।
3. परिसीजना प्रस्तावक के अन्ततमी अन्ततमी में अन्ततमी 1.5 अन्ततमी में अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी (Stratoc Study) अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी अन्ततमी (Replacement) अन्ततमी अन्ततमी



## बीचों का विवरण –

(ग) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 19/09/2020

समिति द्वारा व्यवस्था की गयी हर जगह आगबारी का परीक्षण तथा व्यवस्था संबंधितगति की विन्ना-नुसार निर्धारित किया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा गभीरता का परीक्षण की जांचकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सेल व्यवस्था में प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की आगबारी का आगबारी में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25-मीटर का चिह्न आगबारी, परीक्षण में सेल खनन की लंबाई (Levels) खनन चिह्न क्षेत्र में प्रस्तावित खनन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के खनन / गभीरता (दोनों क्षेत्रों) की 100 मीटर तक के क्षेत्र में गभीरता के स्तरों (Levels) का भी चिह्न चिह्न किया जाए। खनन क्षेत्रों (Levels) की गंभीरता का परीक्षण (Compacted IIM structure) निर्धारित किया जाए। खनन क्षेत्र का भी (IIM) में आगबारी को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) निर्धारित किया जाए। चिह्न क्षेत्र में खनन क्षेत्र का भी (IIM) का भी निर्धारित, उन्हें समिति विभाग से प्रस्तावित/अनुमति प्राप्त होना चाहिए। खनन क्षेत्रों/प्रस्तावित प्रस्तुत किए जाएंगे।
3. खनन क्षेत्र के खनन की चौक की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का गभीरता का परीक्षण की चौक प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए। यदि इसके अनुसार खनन क्षेत्र में खनन क्षेत्र का खनन क्षेत्र न हो तो खननी खनन क्षेत्र, लम्बाई एवं चौड़ाई, इसके अतिरिक्त न्यूनतम खनन में अतिरिक्त खनन में खनन क्षेत्र। खनन क्षेत्र का परीक्षण क्षेत्र की चौक का अतिरिक्त विभाग से निर्धारित खनन, खनन क्षेत्र का भी चिह्न किया जाए।
4. प्रस्तावित खनन से निकलने वाला खनन एवं खनन आगबारी खनन की दूरी खनन आगबारी प्रस्तुत की जाए। खनन / खनन की दूरी खनन से आगबारी में न्यूनतम 500 मीटर तथा आगबारी में न्यूनतम 250 मीटर तथा खनन क्षेत्रों का भी। यदि खनन क्षेत्र प्रस्तावित/नुसार दूरी के खनन क्षेत्र हो तो खननी खनन क्षेत्र का भी प्रस्तावित क्षेत्र का भी खनन/नुसार खनन पर निर्धारित कर, खननी क्षेत्रों का निर्धारित तथा निर्धारित खनन में इस खनन खनन क्षेत्र किया जाए।
5. सेल व्यवस्था में प्रस्तावित खनन पर खनन में खनन क्षेत्र की चौक खनन क्षेत्रों के लिए, यदि खननी क्षेत्र में खनन क्षेत्र खननी क्षेत्र (P) खननी क्षेत्रों का खननी क्षेत्रों का खनन क्षेत्र, खननी क्षेत्रों से प्रस्तावित खननी क्षेत्र प्रस्तुत की जाए। सेल क्षेत्रों प्रस्तावित खननी क्षेत्र खनन क्षेत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. यदि खनन में अतिरिक्त खनन पर खनन क्षेत्र खननी क्षेत्र प्रस्तावित खननी क्षेत्रों प्रस्तावित (एच.ई.आई.ए.ए.), खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों प्रस्तावित खननी क्षेत्रों (डी.ई.आई.ए.ए.), खननी क्षेत्रों द्वारा खननी क्षेत्रों की चौक हो, तो खनन में खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों की चौक एवं अतिरिक्त खननी क्षेत्रों खनन में खननी क्षेत्रों की खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों प्रस्तुत की जाए। खननी क्षेत्रों की खननी क्षेत्रों की खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खनन क्षेत्रों की खननी क्षेत्रों की चौक खननी क्षेत्रों में खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों की खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों की खननी क्षेत्रों खननी क्षेत्रों प्रस्तुत की जाए।

8. नगर सचिव, पर्यावरण एवं जल संचयन विभागाध्यक्ष, नई दिल्ली के आदेश, दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) सेटु जमाने प्रस्तुत किया जाए।

9. जेएन सिटीविक एवं परिशोधन प्रत्येक को प्रदान के सेट के लेवल (Levels) से जे जे सर्वेयर (Surveyor) के साथ जगामी नोट की आधारित सेटक से एम्प्लोका जमाना सुरक्षा जमाना / दरगहाना (अवतन कोटा/काथ) जमाने प्रस्तुतीकरण दिने जाने सेटु निर्दिष्ट किया जाए।

सामुदाय जेएन सिटीविक एवं परिशोधन प्रत्येक को एम.ए.ए.सी, जेसीएमएड के प्रदान दिनांक 23/08/2020 द्वारा अनुमतीकरण सेटु सुचित किया गया।

**(4) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/08/2020:**

अनुमतीकरण सेटु की परामर्शदाता समूह अधिसूक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति द्वारा नवीं, प्रस्तुत जागकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न बिंदु नई गई -

1. काम प्रभाव के आसपास प्रमाण पत्र - सेटु प्रत्येक को जमाने के काम के काम प्रभाव परामर्शदाता के दिनांक 25/08/2017 का अधिसूक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. विभाजित/सीमांकित - कार्यलय कार्रवाई जमाने का काम जमाने पर अनुमति पर प्रदान सि-इ-एल/सीमांकित प्रदान प्रदान है।

3. प्रत्येक सीमांकित - जमाने प्रदान प्रस्तुत किया गया है, जो जमाने अधिकारी, जमाने-जमाने प्रदान कार्रवाई के प्रदान जमाने 1118/जमाने/जमाने के अनु / जमाने / 2018-20 कार्रवाई, दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुमति है। प्रत्येक अधिसूक्त जमाने प्रदान किया गया है जो जमाने अधिकारी, जमाने-जमाने प्रदान कार्रवाई के प्रदान जमाने 111/जमाने/जमाने के अनु / जमाने / 2020-21 कार्रवाई, दिनांक 20/08/2020 द्वारा अनुमति है।

4. 500 मीटर की परिधि में सिमा-खदान - कार्यलय कार्रवाई (जमाने जमाने), जमाने-जमाने के प्रदान जमाने 281/जमाने/जमाने/2020 जमाने दिनांक 17/02/2020 के अनुसार अधिसूक्त प्रदान से 500 मीटर की सीमा अधिसूक्त प्रदान सेटु खदान की प्रदान किया है।

5. 200 मीटर की परिधि में सिमा-सार्वजनिक क्षेत्र/सार्वजनिक - कार्यलय कार्रवाई (जमाने जमाने), जमाने-जमाने के प्रदान जमाने 278/जमाने/जमाने / 2020 जमाने, दिनांक 17/02/2020 द्वारा जमाने प्रदान पर अनुमति प्रदान प्रदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जमाने जमाने, प्रदान प्रदान तथा एम्प्लोका जमाने जमाने, जमाने एवं जमाने अधिसूक्त अधिसूक्त प्रदान जमाने नहीं है।

6. एन.जे.आई. का विवरण - एन.जे.आई. कार्यलय कार्रवाई (जमाने जमाने), जमाने-जमाने के प्रदान जमाने 138/जमाने/जमाने/2020 जमाने, दिनांक 20/01/2020 द्वारा जमाने की नई, जमाने अधिसूक्त 2 जमाने सेटु किया है।

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - नगर सचिव, पर्यावरण एवं जल संचयन विभागाध्यक्ष, नई दिल्ली के अधिसूक्त दिनांक 28/02/2018 द्वारा अधिसूक्त प्रदान के डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की अधिसूक्त की नई है।



8. महाकपूर्व संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घाट-भरती 1 कि.मी. (एक मील) और भरती 1 कि.मी. एवं अंतरागत आवासीय 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 54 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 58 कि.मी. दूर है। सीकुरा से आवास के 1 कि.मी. की दूरी तक पूरा/एकीकृत स्थित नहीं है।
9. पारिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - पारिस्थितिक संसाधन द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित प्रकृतिक विरासत क्षेत्र द्वारा घोषित विविधता की संवेदनशील प्रकृतिक पारिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने पर्याप्त स्थित है।
10. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी छत की दूरी - खोदने अनुसार खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अतिन्यूनतम 200 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर एवं खान स्थल की अतिन्यूनतम चौड़ाई - 818 मीटर, न्यूनतम 600 मीटर, अतिन्यूनतम चौड़ाई - 100 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी छत की निर्माण से दूरी 10 मीटर है जबकि इसकी नदी छत से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होने चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - खोदने अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 4 मीटर से अधिक तथा रेत खान की अंतर्राज्यीय परतों - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधान सटीकता के अनुसार खदान में सटीकता से रेत की मोटाई - 74.338 घनमीटर है। रेत का खानन हेतु अंतर्राज्यीय खान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत खान की मोटाई खानने के लिए अंतर्राज्यीय खान पर 1 मीटर से, खोदने आवासीय आवासीय मोटाई का मानक पर, स्थिति विभाग से अंतर्राज्यीय आवास की गई है। इसमें अनुसार रेत की उपलब्ध मोटाई 3.75 मीटर है। रेत की अंतर्राज्यीय मोटाई हेतु पर्याप्त की प्रमाण प्रदान किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-  
 i. पूर्व में संशोधन घाट महाकपूर्व संरचना के नाम के रेत खदान स्थल पर 880 घनमीटर 4.5 इंचोकर आकार-75,000 घनमीटर प्रमाण हेतु विभिन्न राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिकांश, विश्व-आवासीय आवास पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।  
 ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के कारण से की गई पर्यावरणीय की अंतर्राज्यीय प्रमाण की गई है। यह अंतर्राज्यीय निर्देश प्रमाण नहीं की गई।  
 iii. अंतर्राज्यीय आवास अधिकांश संशोधन, विश्व-आवासीय की द्वारा जारी-788/स्थिति/राज्यमार्ग/2020 घनमीटर, दिनांक 21/08/2020 के अनुसार वर्ष-2017-18 में 32,730 घनमीटर पर्यावरण प्रमाण प्रदान है।  
 iv. निर्धारित प्रमाण प्रमाण नहीं किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत खान की स्वीकृति - रेत खानन हेतु अंतर्राज्यीय खान से अंतर्राज्यीय खान के अंतर्राज्यीय खान अंतर्राज्यीय में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर तथा 25 मीटर के लिए विभिन्नता का दिनांक 03/03/2020 का रेत खान के वर्तमान संरक्षण 8,888 संरक्षण रेत स्थिति विभाग से अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय स्वीकृति पर्यावरणीय/अंतर्राज्यीय प्रमाण प्रदान किया गया है।



13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल संधारण परिषद के संवर्धन, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समस्त विचारों से कार्य अनुसार निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	10	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Bherari	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Panitation	0.30
			<b>Total</b>	<b>1.00</b>

14. **नहर गाड़निग क्षेत्र** – नदी के घाट की चौड़ाई अविभाज्य 700 मीटर एवं न्यूनतम – 132 मीटर है, जबकि खदान की नदी घाट से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। खदान की नदी 10 से दूरी, नदी के घाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। जब गाड़निग खदान से नदी घाट से न्यूनतम 20 मीटर से 13 मीटर औसत अंतराफलक किया जाना आवश्यक है, जिससे 2.28 टन प्रतिदिन गैर गाड़निग क्षेत्र प्राप्त गया है। इस प्रकार दिन उत्पादन का कार्य उत्पादन 371 टन प्रतिदिन क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है।

15. **अनुरा गाड़निग खदान से उत्पन्न खदान की खण्ड** – 110 मीटर, चौड़ाई – 100 मीटर चौड़ाई गई है। जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल 8.28 टन प्रतिदिन क्षेत्र है। जबकि उत्पादन 2.5 टन प्रतिदिन के लिए किया गया है। खदान के खण्ड में कि गाड़निग खदान से दक्षिण खण्ड एवं खण्ड से जुड़े है। खदान के उत्पादन का गैर गाड़निग क्षेत्र की गणना की गई है। जब गाड़निग खदान में उत्पादन किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की खण्ड एवं चौड़ाई तथा नदी से घाट की चौड़ाई की कार्यात्मक अनुसंधान प्रारंभ की जाए।
2. गाड़निग खदान से उत्पादन के आधार पर संशोधन अनुसार गैर गाड़निग क्षेत्र एवं उत्पादन गाड़निग क्षेत्र की गणना कर सर्वोत्तम गाड़निग खान प्रस्तुत की जाए।
3. खान निर्माण के अंतर्गत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

पर्यावरण प्रभावों के अनुसंधान सुविधा किया जाए।





6. यदि पूर्व में आवेदन प्राप्त या उत्तर देना बाधक रहा तो आवेदन स्वयंसेवकों विभाग इलाहाबाद (एन.ई.आई.ए.ए.) भारतीयप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यवाही समन्वित निर्देशन इलाहाबाद (सी.ई.आई.ए.ए.), भारतीयप्रदूषण द्वारा पर्यावरणीय स्थिति की गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थिति की प्रति एवं अधिलेखित कार्य को उत्तर में जो गई कार्यवाही की जानकारी पर्यावरण सचिव प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रत्येक वर्ष उत्तर की जानकारी पर्यावरण सचिव प्रस्तुत की जाए।
7. यदि उत्तर पूर्व में तैयार है, तो निम्न तर्कों से किए गए उत्तरों की आवश्यक मात्रा को अनिवार्य प्रतिशत निर्धारण से प्रभावित न होकर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु विभाग सरकार, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आई. (Corporate Environment Responsibility) को प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निरिच्छक एवं पर्यावरण प्रस्तावक को उत्तर में रोक के अभाव में (Lawyer) को जाने सचिव (Surveyor) के साथ उत्तरों को जो आवेदनियों के नवीकरणात्मक रूप से सुनिश्चित करने के लिए / प्रस्तावक (उत्तरों को प्रदान) प्रति प्रस्तुतकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपरोक्त सभी निरिच्छक एवं पर्यावरण प्रस्तावक को एन.ई.आई.सी., भारतीयप्रदूषण बोर्ड द्वारा दिनांक 23/06/2020 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

**(4) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020**

अनुमोदन हेतु की सुनिश्चित किए, अधिपत समिति उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी को उपस्थित एवं पर्यावरण बोर्ड पर निम्न स्थिति प्राप्त हुई -

1. **बाल संरक्षण को अनिवार्य प्रमाण पत्र** - इस प्रस्तावक को उत्तर में प्राप्त प्रस्तावक कोर्टों के दिनांक 15/08/2018 को अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **निर्धारित/सीमांकित** - भारतीयप्रदूषण सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार यह प्रमाण निर्धारित/सीमांकित रूप में है।
3. **संरक्षण सीमांक** - निर्दिष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो यह प्रमाणक (संरक्षण), दिल्ली-दिल्लीपुर के प्रमाण दिनांक 1948/एन.ई.सी./उत्तरांचल प्रदेश/2020 दिनांक, दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदन है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित प्रदान** - भारतीयप्रदूषण (अधिलेखित प्रमाण), दिल्ली-दिल्लीपुर के प्रमाण दिनांक 1948/एन.ई.सी./उत्तरांचल प्रदेश/2020 दिनांक 27/02/2020 के अनुसार अधिलेखित प्रदान में 500 मीटर की सीमा निर्धारित प्रमाण प्रदानों की प्रमाण किया है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित बायोडायनिक क्षेत्र/पर्यावरण** - भारतीयप्रदूषण (अधिलेखित प्रमाण), दिल्ली-दिल्लीपुर के प्रमाण दिनांक 1948/एन.ई.सी./उत्तरांचल प्रदेश/2020 दिनांक 27/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रमाण प्रदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी बायोडायनिक क्षेत्र नहीं प्रमाण प्रदान, प्रमाण एन.ई.सी., राष्ट्रीय प्रमाण प्रदानों एवं जो अनुमोदन अधिलेखित प्रमाण निर्मित नहीं है।

6. **एल.बी.आई का विवरण** - एल.बी.आई कायदिया कलेक्टर (खनिज साखा) जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 1372/स.सि./10 गीसरी/2018 बिलासपुर दिनांक 23/11/2018 द्वारा जारी की गई विस्तारी अर्थात् 2 वर्ष हेतु है।
7. **विस्ट्रीमट सर्वे रिपोर्ट** - अरुण कलेक्टर, बलेश्वर, कम और बलेश्वर उपखण्ड मंडलाब, नई दिल्ली का समिष्टयन दिनांक 28/07/2018 द्वारा सिद्धि क्रमांक 11 विस्ट्रीमट सर्वे रिपोर्ट (Detailed Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **मध्यपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आवासीय जग-बलेश्वर 0.8 कि.मी. आवासीय स्थान जग-बलेश्वर 0.825 कि.मी. एवं अरुण नदी 12 कि.मी की दूरी का विवरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कि.मी. एवं राजमार्ग 78 कि.मी दूर है। पुन खदान से 100 मीटर की दूरी पर डायलस्टीम में स्थित है।
9. **वास्तुविशेषज्ञ/जीवविशेषज्ञ सर्वेदनशील क्षेत्र** - एनिलेन प्रशासन द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आवासीय क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, कृषिक्षेत्र, औद्योगिक प्रशासन निष्पन्न अर्थात् जल धारित क्रियाशील प्लेस्टोसिद्धि विशेष, वास्तुविशेषज्ञ सर्वेदनशील क्षेत्र का धारित क्षेत्रविशेषज्ञ क्षेत्र किया नहीं क्षेत्र विशेषित किया है।
10. **खाने स्थल पर नदी के पार की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - अवेदन अनुसार खाने स्थल पर नदी के पार की चौड़ाई - अधिकतम 60 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर तथा खाने स्थल की चौड़ाई - 248 मीटर अधिकतम चौड़ाई - 21.52 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी तट से विचारों से जारी हुई है, क्योंकि टुकड़ी नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अर्थात् नदी के तट की चौड़ाई का 10 अवेदन क्षेत्राधिकार है।
11. **खदान स्थल पर रेत की चौड़ाई** - अवेदन अनुसार खाने पर रेत की चौड़ाई - 32 मीटर से अधिक तथा खाने की अवेदनित चौड़ाई - 12 मीटर चौड़ाई गई है। अनुसंधान कर्तवित्त जग अनुसार खदान में कर्तवित्त 01 की मात्रा - 8.825 घनमीटर है। या अवेदनित हेतु प्रशासित अर्थात् पर खदान से अवेदनित के पार की चौड़ाई जग के लिए अवेदनित खाने पर 2 मीटर पार अवेदनित जग की वास्तुविशेषज्ञ चौड़ाई का मात्रा पर, अवेदनित विवरण से अवेदनित जग अवेदनित प्रस्तुत की गई है। अवेदन अनुसार खाने की चौड़ाई अवेदनित 3.2 मीटर है। रेत की वास्तुविशेषज्ञ चौड़ाई हेतु अवेदनित में प्रस्तुत किया गया है।
12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**
  - i. पूर्व में अवेदन, जग अवेदनित अवेदनित के नाम से रेत खदान अवेदनित क्रमांक 02, अवेदनित 15 अवेदनित अवेदनित - 21.325 घनमीटर अवेदनित हेतु जिला अवेदनित पर्यावरण अवेदनित निदेशन अवेदनित, जिला-बिलासपुर द्वारा अवेदनित अवेदनित दिनांक 02/02/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवेदनित हेतु जारी की गई थी।
  - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के अवेदन में की गई अवेदनित की अवेदनित प्रस्तुत की गई है। अवेदन अवेदनित प्रस्तुत नहीं की गई।
  - iii. अवेदनित अवेदनित (खनिज साखा, जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 138/स.सि./म.सि./01/2020 बिलासपुर, दिनांक 23/08/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 8.100 घनमीटर, 2017-18 में 3.000 घनमीटर

2018-19 में निर्बंध था। 2019-20 में 1,200 घनमीटर काठानन किया गया है।

iv. निर्धारित कार्यनुसार कुलवैल्यू नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रीव सहाय के लेवलिंग** – रीव सहायन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित सहाय को अडवाइज्ड लैंड डेवलपमेंट में 100 मीटर की दूरी तक 10 मीटर लुगा 10 मीटर के डिग किण्वों पर दिनांक 08/02/2020 को रीव सहाय के परिधि लेवलिंग (Leveling लेवल) एवं खनिज विभाग से प्रामाणिकता प्रदान कीटीकरण सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – खान सहाय, कार्यनुसार एक और कालव्यु परिधिगत मापन एवं दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी ईआ (Corporate Environment Responsibility) हेतु निर्धारित के लिये निम्नलिखित के लिये खदान निष्कासन विद्युत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.80	2%	0.29	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Khodri	
			Rain Water Harvesting System	0.19
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.89</b>

15. **रीव माइनिंग क्षेत्र -**

- a. खानन में खदान नदीजल से लगी हुई है। नदी किता निर्देशों को अनुसार नदी तट से न्यूनतम 2.5 मीटर अथवा नदी के तट की चौड़ाई तक 10 प्रतिशत पूर्ण तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग खानन के अनुसार नदी तट के किनारे से 2.5 मीटर कीदकर काठानन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2780 घनमीटर रीव माइनिंग क्षेत्र लक्ष्य गया है।
- b. पूरा खदान से 100 मीटर की दूरी तक डेवलपमेंट के किया है। नदी माइनिंगनुसार पूरा के डेवलपमेंट में 100 से कम 250 मीटर कीदकर काठानन प्रस्तावित है। अतिरिक्त 150 मीटर लंबाई का रीव माइनिंग क्षेत्र 4.481 घनमीटर क्षेत्र को रीव माइनिंग क्षेत्र लक्ष्य गया है।
- c. राष्ट्रीय माइनिंगनुसार के अनुसार परिधिगत प्रस्तावित 2780 पूरा के अतिरिक्त 150 मीटर लंबाई का रीव नदी तट से न्यूनतम दूरी 2.5 मीटर अथवा नदी के तट की चौड़ाई तक 10 प्रतिशत लक्ष्य हुए रीव माइनिंग क्षेत्र लक्ष्य खानन में पूरा रीव माइनिंग क्षेत्र 2780 घनमीटर प्रस्तावित किया गया है। खान सहायन का नदी अक्षांश 1789 घनमीटर क्षेत्र से किया जाना प्रस्तावित है।









तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक को दस्तावेज को सम्मन से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020-

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 18/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समन अद्यतन करने हेतु अनुमति किया गया है।

समिति द्वारा तत्पश्चात् इकरबन्धनति से निर्णय लिया गया था कि परिचोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में भारी गई सविज्ञ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी, फलीसगढ़ के सम्मन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020-

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 27/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (संबंधित साक्ष्यिक प्रमाण नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः समस्त आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा विचार किया गया अन्तर्गत सबबन्धनति से निर्णय लिया गया कि समिति निर्णयक एवं परिचोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसह) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस कार्य दृष्टांत को सम्मन से सूचना दी जाए।

परिचोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा साइटम क्रमांक-3 अग्रिम बहोदय की अनुमति से अन्ध विधवा।

वेतन भी अनिश्चय विधवा (ईरा सेफ्ट क्राईन, बाम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव), बाम-सोमरी, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नवरी क्रमांक 1038)

ऑनलाइन आवेदन - अद्यतन नम्बर - एच.ई.ए.सी/ सीपी/ एच.ई.ए.सी/ 127008/2018, दिनांक 29/11/2018। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अशुद्धि होने से अद्यतन दिनांक 06/12/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा सविज्ञ जानकारी दिनांक 18/12/2018 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

अद्यतन का विवरण - यह प्रस्तावित वेत अद्यतन (पीन खनिज) है। यह अद्यतन बाम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पाटी ऑफ खनिज क्रमांक 288, कुल सीक क्षेत्र 4.88 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन तिथिअन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आयोजित राखनन वसूला-100,000 रुपये/वर्ष प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 323वीं बैठक दिनांक 18/05/2020 में की अतिरिक्त शिफारी डैरा सेक्टर गाईड, प्लॉट ऑफ खसत क्रमांक 888, हांग-डैरा, तारासीस व जिला-राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्रफल 4.86 हेक्टर पर डैरा में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 72,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु रिजर्वेशन की अनुमति की गई।

राज्य सरकार पर्यावरण संचालित निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आइ.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 37वीं बैठक दिनांक 27/05/2020 में प्रस्ताव पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि प्रस्तुत परमिट अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.5 मीटर से 2 मीटर है। जब रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए अधिकतम 48,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन की अनुमति दिया जाना उचित होगा। समिति द्वारा प्रस्ताव के अन्वय पर प्रस्ताव में धर्ती की गई एवं पाया गया कि परमिट अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.5 मीटर से 2 मीटर बताई गई है। जब रेत उत्खनन 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखा जाना होगा। समिति द्वारा विचार विमर्श चर्चाओं पर सर्वसम्मति से रेत की उपलब्धता के अन्वय पर रेत उत्खनन 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, अधिकतम 48,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु सार्वजनिक रेतों हेतु अनुमति की गई। साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया गया कि समिति द्वारा निर्धारित शर्तों में तदनुसार संशोधन किया जाए।

बैठक अन्वयगत प्रश्नों के साथ संलग्न हुई।

(मोहम्मद जिलास अदिधान)  
सदस्य प्रतिनिधि  
राज्य सरकार विशेषज्ञ अंशक समिति  
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)  
अध्यक्ष  
राज्य सरकार विशेषज्ञ अंशक समिति  
छत्तीसगढ़



से जल सफाई के लिये नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की सड़ नहीं एक (एक से अधिक) की संख्या होना आवश्यक है।

8. सड़ अव्यवस्था नहीं करी से कम से कम 7.5 मीटर अव्यव नहीं की मोटाई को एक इतिहास की सूची को भी शामिल हो-प्रोड्यूसर ही किया जाएगा, जहाँ सड़ नहीं का सफाई न हो। इसलिए अव्यवस्था नहीं की सीमा से न्यूनतम 25 मीटर की दूरी को ध्यान दिया जाएगा। किन्ती की पुलिस, सफाई, सड़, एनीकॉट जल प्रदूषण परामर्श एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारों से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र घोषणा करना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़ अव्यवस्था के कारण नदी घाट का क्षेत्र, एडिक्टरी एवं जल सहाय की संरक्षण पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि अव्यवस्था केवल सड़ क्षेत्र में किया जाए जिससे सड़ निरासरी जल-सफाई को बीच पर कोई भी जीव-जन्तु प्रदूषण से नु-निर्दिष्ट न हो। कस्तुरी के प्रदूषण इकाइयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, जहाँ इन क्षेत्रों के आस-पास सड़ अव्यवस्था नहीं किया जाए।
11. सड़ अव्यवस्था एवं सड़ों / परिवहन विम-के-सफाई ही किया जाए। यह कार्य यदि के समर्थ नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सड़ अव्यवस्था विभिन्न प्रकारों यथा- 'अंतिम' / अन्तर्देश्य आदि से सम्बन्धित होने वाले सड़ों/इकाइयों, सड़ अव्यवस्था के निर्धारण हेतु अनुमति प्राप्त उपरान्त निर्धारण आवश्यक है। जहाँ जल स्रोत/क्षेत्र जहाँ अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। सड़ अव्यवस्था क्षेत्र में परिवर्तित करने की सुझाव सहाय, सड़/सफाई एवं और-जल सड़ परिवर्तित, सफाई, सड़ विजली द्वारा अतिरिक्त सहायता से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. सड़ का परिवहन, सफाई/सिंचन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से टर्कें हुए सड़ों से किया जाए ताकि सड़ सहाय से बाहर नहीं गिरे। सड़/सफाई का परिवहन अन्य सड़ जागों को सहाय से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. अव्यवस्था क्षेत्र में धूमि-प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्रभावितता को अव्यवस्था पर सहाय प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में सड़/सफाई को सहाय की सीकने हेतु कम से कम 300 नम प्रति हेक्टेयर जीव क्षेत्र के अनुसंधान अर्जुन, धामुन, बड़, पीपल, नीम, कर्जूर, रीसू, आम, इमली, सीसम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों को कुल 2,500 बीघों का रोपण नदी सड़ पर सहाय इकाई अतिरिक्त 1,200 नम बीघों पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं कर्मों/सहायता (यथा कार्टेदार सड़ की सड़ का सहाय) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. सड़ सहाय, सड़/सफाई, सड़ और अव्यवस्था परिवर्तित सहाय, सड़ विजली के अंतिम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निर्धारण प्रस्ताव पर जारी किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(in Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Government Primary & Middle School Village Piparchhedi	
			Rain Water Harvesting System	1.00
038	2%	1.27	Potable Drinking Water Facility	0.27
			<b>Total</b>	<b>1.27</b>

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यालय विद्यमान जमान एवं कार्य विवरण एक पत्र में अधिसूचित रूप से उपलब्ध किया जाए। सी.ई.आर. के महत्व संबंधित कार्यवाही 03 पत्र में अधिसूचित रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजनाएं प्रस्तावक संबंधित कंपनी / राज्य सरकार के विभागी, समुदाय एवं अन्य संस्थानों के सेना कार्यालय जमान करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करना। परियोजनाएं प्रस्तावक द्वारा जमा कर लागू अनुमति रिपोर्ट तथा परियोजना महत्व से अनु-समय-समय पर अंग्रेज / राज्य सरकार संबंधित अनुमति रिपोर्ट एवं / पर्यावरण संबंधित संस्था समस्त द्वारा जारी रिपोर्ट / कार्यवाही का प्रत्यक्ष सुनिश्चित किया जाए।
19. पर्यावरण नीति अधिनियम, 2016 राज्य सरकार द्वारा की कार्यलय से अनुमति प्राप्त किया। दिनांक 2/3/2016 के अनुसार/सारी एवं अनुमति जारी किया निर्देश। अनुमति प्राप्त प्रस्तावक एवं पर्यावरण प्रस्ताव प्रस्ताव का प्रत्यक्ष सुनिश्चित किया जाए।
20. जारी पत्र पर यदि कर्मियों अधिक जारी पर जारी जारी है तो एन.एन.एन.के के अनुसार अधिक पर्यावरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। पर्यावरण पर्यावरण कार्यालय पर्यावरण के रूप में ही जारी है, जिसे पर्यावरण पूर्ण होने के उपरान्त जारी कर लेंगे।
21. कर्मियों के लिए जमान जमान पर प्रस्ताव प्रस्ताव निर्धारित सुविधा प्रस्तावक द्वारा जमान यदि की आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. कर्मियों का समय-समय पर अनुमतिपत्र देना अधिसूचित करणें जारी।
23. पर्यावरण नीति कार्यालय जारी एवं अनुमति प्राप्त प्रस्तावक प्रस्ताव के अनुसार अधिनियम प्रस्ताव की प्रस्ताव का अधिसूचित एन.एन.एन.के पर्यावरण / जमान पर्यावरण पर्यावरण पर अंग्रेज सरकार संबंधित अनुमति रिपोर्ट एवं रिपोर्ट की पूर्ण अनुमति के लिए जारी किया जाए।
24. इस पर्यावरण नीति की जारी करने का प्रस्ताव कर्मियों अधिसूचित प्रस्ताव जमान अधिसूचित पर अधिसूचित प्रस्ताव का जारी है एवं एन.एन.के पर्यावरण नीति कर्मियों अधिसूचित की अनुमति प्रस्ताव अधिसूचित अधिसूचित के अधिसूचित प्रस्ताव अंग्रेज राज्य एवं पर्यावरण कार्यालय / कर्मियों के पर्यावरण से अनुमति जमान है।
25. एन.एन.एन.के पर्यावरण पर्यावरण अधिसूचित की अधिसूचित की प्रस्ताव के अधिसूचित प्रस्ताव निर्देश जारी के अनुसार एवं एन.एन.के पर्यावरण नीति जारी है।



31 प्रयोगशाला परीक्षण संकलन संकलन परीक्षणों परीक्षणों की जाने को उनके संबंधित प्रयोगशाला, जिम्मा-व्यवस्था एवं प्रयोग केन्द्र एवं व्यक्तियों/संस्थाओं/संस्थानों के 30 दिनों की अवधि के लिए प्रस्तावित करना।

32 परीक्षणों परीक्षणों के लिए अर्पित पैसागत वीस टिनूयन के साथ, गैरगत वीस टिनूयन एका 2010 की मात्रा 10 में दिए गए प्रयोगशाला अनुसूची, 30 दिन की अवधि अवधि के भी ला सकते हैं।

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.





8. यह जलवाहन नदी घाटी में कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई से 10 प्रतिशत की दूरी को भी अधिक हो जोड़कर ही मिला जाएगा, यदि नदी घाटी का ढाल न हो। इस्तिस्नातक नदी की लंबाई से न्यूनतम 7.5 मीटर की दूरी को माप किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बांधों, पुलों, टर्मिनल, जल प्रवाह व्यवस्था एवं अन्य स्थानीय संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि यह जलवाहन की अंतिम नदी जल का लेव, जमींदारी एवं जल प्रवाह की स्थिति एवं कोई विवाद उत्पन्न न हो।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि जलवाहन केवल तभी होना चाहिए जहां तक शिकार के अर्थ-सहायक क्षेत्र एवं कोई भी जीव-जंतु प्रवास एवं निवास न हो। जंतुओं के प्रवास इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है और इन क्षेत्रों के अंतर्गत कोई बाधक नहीं किया जाए।
11. यह जलवाहन एवं स्टॉक / परिवहन दिन से समतल ही किया जाए। यह कोई स्थिति को उत्पन्न नहीं किया जाए।
12. पर्यावरण प्रभावों का द्वारा यह जलवाहन विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत / अन्तर्गत जल से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण एवं समाजिक के प्रभावों को नियंत्रित एवं समुदाय को अनुचित निराशा प्रभावों से बचाव के लिए जल विभागों के अंतर्गत अन्य समुदाय संरक्षण की जाए। यह जलवाहन क्षेत्र में पर्यावरण एवं की सुरक्षा करना आवश्यक, कठिन, कम और जल को परिवहन, संरक्षण, नदी किनारे द्वारा अतिरिक्त मात्रा में जोड़ना नहीं होने चाहिए।
13. यह का अनिवार्य आवश्यकता अथवा अन्य समुदाय प्रवास से उनके हुए जल को किया जाए ताकि यह जल से बाहर नहीं रहे। अंतर्गत का अनिवार्य एवं जो अंतर्गत को अंतर्गत से अधिक नहीं होना अन्य सुनिश्चित किया जाए।
14. जलवाहन क्षेत्र में जल प्रवाह न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता को अंतर्गत पर खदान प्रवाह द्वारा वर्ष 2020 में नदीघाट की कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नम प्रति हेक्टरवा जीव क्षेत्र को अनुसार अंतर्गत, अंतर्गत, बंध, पीछल, नीम, कर्ज, बीस, आम, इमली, सीसा अदि अन्य स्थानीय प्रजातियों से कुल 1,500 बीघों का रोपण नदी तट पर तथा इसकी अतिरिक्त 750 नम बीघे पर्यंत कार्य में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं सर्वांगीण व्यवस्था (जहां कठोरता एवं की बाध को उपयुक्त) किया जाए। उपरोक्त न्यायोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. जल संरक्षण, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन संरक्षण नदी किनारे के अंतर्गत दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रवास एवं कार्य किया जाए -



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
88.5	2%	1.13	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Barbaspur	
			Rain Water Harvesting System	1.45
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>1.55</b>

17. सीईआर के माध्यम से निर्धारित कार्यवाही 03 फंड में अभिमान चयन से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक स्वयंसेवक वल्लभ / राजम शासन से शिक्षण, कक्षाओं एवं अन्य कार्यवाही से सेल पर्यटनक जालन करने के पूर्व प्रस्तावक सभी अनुमोदित प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर वॉटर / वायु सर्वेक्षण, वैनरीय प्रदूषण नियंत्रण कार्य / इन्टीग्रेटेड पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम द्वारा जारी निर्देशों / सुनिर्देशिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. इन्टीग्रेटेड वॉटर मॅनेज्मन्ट मिशन 2019- राजम शासन द्वारा सेल पर्यटन हेतु जारी निर्देशिका दिनांक 2/3/2018 के प्रावधानों/वर्गीकृत एवं अनुमोदित जारी दिनांक निर्देशों अनुमोदित पर्यटन योजना एवं पर्यावरणीय प्रभावित योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि अधिक बर्षिक कार्य पर लागू होते हैं तो ऐसे बर्षिकों के अभाव में यदि पर्यटन परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी जाएगी। अन्तर्गत पर्यटन प्रस्तावों पर्यटनकारों के साथ में ही रखनी है, फिर परियोजना, पूर्ण होने के पश्चात प्रस्ताव पर लगे।
21. बर्षिकों के लिए राजम स्थल पर अन्तर्गत पर्यटन निमित्तवर्षिक सुविधा योजनाएं उपलब्ध कराने की आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी जाए।
22. बर्षिकों का समय-समय पर जांच/पर्यटन हेतु सुनिश्चित करता जाये।
23. पर्यटन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित पर्यटन योजना के अनुसार बर्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एआईआईएए, इन्टीग्रेटेड / भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल प्रदूषण नियंत्रण संस्थान, नई दिल्ली को पूर्व अनुमोदित के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय सुनिश्चितता को जारी करने का अन्तर्गत किसी पर्यावरण प्रस्ताव को सम्बंधित पर्यावरण प्रभावित का नहीं है पर न ही पर्यावरणीय सुनिश्चितता किसी निर्देशी सम्बंधित का मुहताब पहुँचाने अन्तर्गत अधिकारों के अधिकरण अन्तर्गत वॉटर, समय एवं स्थानीय अनुमोदित / निर्देशों के पर्यटन हेतु अधिकृत करता है।



31. भारतीय राष्ट्र पत्रालयक संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्रीवर्तीय श्रीकृति की प्रति जो उनसे संबंधित कार्योस्य विषय-संबंध एउ स्थानिक केन्द्र एउ प्रलेखन/सहायक/सहायक कार्योस्य से 30 दिनस को अवधि के लिए प्रस्तुति करेगा।
32. पद्मश्रीवर्तीय श्रीकृति क विषय अवधि के दौरान तीन हीप्पुनस को समस्त संभवस तीन हीप्पुनस एउट 30स को एक जे से दिए गए कार्योस्य अनुसार 30 दिन की समय अवधि से की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.

सदस्य, एम.ई.ए.सी.

मैसर्स श्री साहित्यपुर जवाहराडू, देवरी रोड नई दिल्ली  
को सारा क्रमांक 789, कुल लीज क्षेत्र 3.5 हेक्टर, बरम-देवरी,  
ठाडसील-बरोडा, जिला-जाजरगीर-बांधा (झ.प.) में प्रस्तावित नदी से रेत उत्खनन  
सम्बन्धी 32.726 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने  
वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जल्दी विच्छेद हो गी यदि वर्षों को अर्धों हेतु रेत ली।
2. गाढ अभयधन (निलडेशन स्टडी) रिपोर्ट - लीजोत्पन्न प्रस्तावक को अग्रिम चरण में आगामी 1.5 वर्ष में प्रस्तुत गाढ अभयधन (Delineation Study) करवाना, जल्दी से ही अनुमत्या (Notification) वास्तु शाही अधिकाई सेल कावचनन का नदी, नदीमूल, स्थानीय वनसाही, जीव एवं सुंभ जीवों पर प्रभाव तथा नदी के तानी की सुपातत को से उत्खनन के अभाव की शाही परभावों को त्प हो सके। उक्त गाढ अभयधन (निलडेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने से परम्पत ही आगामी अर्धों में लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करी एवं निररर विच्छेद जाएगा।
3. यदि उत्खनन प्रविक्त विच्छेद द्वारा प्रीसङ्गित किसी अग्रररर में ही, अथवा 500 मीटर की भीतर स्वीकृत सेल अर्धों का कुल लब्धा 5 हेक्टर से अधिक होगा है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 3.5 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उत्खनन से रेत का अधिकतम उत्खनन 32.726 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. परिच्छेदन प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन क्षेत्र के सारा 7 नदी तट (टानी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के शाही (Levels) का नदी की किनारे आवेगा। अर्थात नदी तट के सारा (Levels) का शाही 25 गुना 20 मीटर की अर्धत्त (Grid) में किया जाएगा। सेल खनन की उपरान्त मानसून के पूर्व (माई माघ के अर्ध) सारा 7/8, 9 में माइतिन क्षेत्र क्षेत्र तथा क्षेत्र क्षेत्र के अर्धत्त एवं अर्धत्त में 500 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के सारा 7 नदी तट (टानी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के शाही (Levels) का शाही पूर्व निर्दिष्ट किड किन्दुओं का किया जाएगा। इसी अभाव में सेल उत्खनन अन्त करके के पूर्व सारा 7/8, 9, 10 में किड किन्दुओं का सेल तट के सारा Levels का मान किया जाएगा। सेल सारा के पूर्व निर्दिष्ट किड किन्दुओं पर सेल सारा के अर्धत्त Levels के मान का शाही अर्धत्त 3 वर्ष तक निररर किया जाएगा। नदी-मानसून के अर्धों विच्छेद 2020, 2021, 2022 तक की मानसून के अर्धों अन्त 2020, 2021, 2022 तक अर्धत्त लघु से एमईआईएच, किरासांभान को प्रस्तुत किं जाएगा।
6. रेत की सुचारू अर्धत्त द्वारा (Monthly) की जाएगी। इस अर्धत्त से रेत किसी उपकरण सारा (Machinery) जल्दी से सुखी नहीं किया जाएगा। किन रेत में सारी अर्धत्त का प्रेरण प्रविच्छेद होगा। लीज क्षेत्र से किया रेत सुचारू सारा (Excavation pits) से लीजिन साइड तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल विच्छेद, सीमावर्त एवं प्रविक्त क्षेत्र में ही किया जाएगा। यह उत्खनन की अधिकतम साराई 1 मीटर अथवा अधिकतम अन्त सारा की अर्धत्त सारा, क्षेत्रों में से जो अन्त ही से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी प्रविच्छेद



6. इस तरह की नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर चौड़ाई तथा छि-केल नहीं होना (हार्ड रोड) के द्वारा किया जाना आवश्यक है।
7. यह आवश्यक नहीं है कि वे काम से कम 1.5 मीटर ऊपर गरी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की घुटी जो भी अधिक हो आवश्यक ही किया जाएगा ताकि नदी तटा या क्षय न हो। इसलिए आवश्यक नहीं की चौक से न्यूनतम 30 मीटर की दूरी से काम किया जाएगा। किसी भी दुर्घटना, हायरवे, बस, एसीसी, जल संचयन व्यवस्था एवं अन्य स्थायी व्यवस्थाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र होना अन्य अनिवार्य है।
8. यह सुनिश्चित किया जाए कि वेत आवश्यकता के कारण नदी तटा का वेत, लंबाई एवं क्षेत्र क्षय के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र में किया जाए जिसमें उच्च रिजर्वेड जल-पास के क्षेत्र पर कोई भी जल-पास प्रस्ताव अनुमति न हो। कंक्रीट के प्रयोग इकाईयों / क्षेत्रों का प्रयोग आवश्यक है, जल दूध क्षेत्रों के अलावा वेत आवश्यक नहीं किया जाए।
10. यह आवश्यक एवं जरूरी / परिष्कार दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
11. परिष्कार प्रस्तावक द्वारा वेत आवश्यक विभिन्न प्रकारों का लॉन्ग / अनलॉन्ग अर्बि से प्रारम्भ होकर इन क्युवैरिटीय इन्टर-अनलॉन्ग में निष्पन्न होकर प्रस्तावक द्वारा प्रारम्भ निष्पन्न व्यवस्था करें। वेत विस्तार अथवा अन्य उपकरण व्यवस्था की जाए। वेत आवश्यक क्षेत्र में परिष्कार कार्य को सुचारुता में चलाने, पर्याप्त, उन और जल क्युवैरिटीय, गैर-वास्तव, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. वेत का परिष्कार लॉन्ग/अनलॉन्ग अथवा अन्य उपकरण माध्यम से करें हुए वाला ही किया जाए ताकि वेत रहने से क्षय नहीं बिरे। समीक्षा का परिष्कार पर वेत प्रस्तावों को अस्था से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
13. आवश्यक क्षेत्र में काम प्रारम्भ न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
14. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रकरण द्वारा वर्ष 2020 में नदीतटा को कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र को अनुसार क्युवैरिटीय, बस, पीपल, नीम, करज, सीसू, आम, इमली, सीसू आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तटा पर तथा इसके अतिरिक्त 1,000 नम पौधे पर्वत पार्क में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (मजदू कार्टेदार जल की बाध का प्रयोग) किया जाए। उपरोक्त प्रजातीय प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
15. माया सावर, पर्यावरण, जल और जलवायु विभाग, नई दिल्ली के जे.एम. विभाग 01/08/2018 के अनुसार गैर-आय (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund







आपसीकरण / जमा बचत, परिसर, उन और आसपास परिचित संख्या, यह  
दिल्ली की पूरे अनुमति के लिए नहीं किया जाए।

24. आपसीकरण परिसर संरक्षण मानक परिसरों में स्वीकृति की प्रति को उनमें अंतर्गत  
कार्यक्रम, विस्तार-बाधक एवं आर्थिक नीति एवं कार्यक्रम, आसपास परिसरों के  
20 दिनों की अवधि के लिए प्रस्तुत करना।

25. परिसरों में स्वीकृति के दिनांक अर्थात् वेतन में ही स्वीकृति के साथ, वेतन  
में ही स्वीकृति एक्ट 2018 की धारा 14 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की  
अवधि अवधि के भी जा सकते हैं।

~~समर्थन, एन.डी.ए.सी.~~

अवधि, एन.डी.ए.सी.

बेतवा बीगडी बाधना कार्य, एम-1 केंद्रकार्डर रोड गाँव  
 को सुरक्षा क्रमांक 878, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टर, ग्राम-केंद्रकार्डर,  
 तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-बांधा (ज.ग.) में बहनेवा नदी से बेत बाधना  
 क्षमता 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परतावित परामर्श स्वीकृति में दी जाने  
 वाली शर्तें

1. यह परामर्शीय स्वीकृति जमीन विभाजक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु की जाये।
2. बाध क्षमता (सिस्टीम स्टाडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होना  
 में अगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत बाध अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि वेत  
 के पुनर्स्थापन (Replenishment) करना सही प्रकार से सम्भव हो सके। यह अध्ययन का नतीजा, स्थिति,  
 आर्थिक व्यवहार, लीज एर कुल लीज का अंतर तथा नदी के घनी को पुनर्स्थापना  
 पर बेत बाधना के प्रकार को सही जानकारी प्राप्त हो सके। तथा बाध क्षमता  
 (सिस्टीम स्टाडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अगामी अवधि के लिए  
 परामर्शीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि अगला वार्षिक विभाग द्वारा अधिसूचित किसी तालाब में 5, अथवा 100 मीटर  
 के भीतर स्वीकृत बाध घटाने का कुल बचक 5 हेक्टर से अधिक होता है तो  
 परामर्शीय स्वीकृति सन्तुष्ट नहीं होगी।
4. अत्यल्प क्षेत्र 5 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार अत्यल्प दो या दो  
 अधिकतर बाधना 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाधना के पूर्व खनन लीज की कवर / नदी तट (दोनों  
 ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटों को सार्व (Levee) का भी सही विचार  
 जमावे। अंतर्गत सभी नदी तटों के सार्व (Levee) का सही 25 गुण 25 मीटर की  
 अंतराल (Gap) में किया जाएगा। यह खनन के उपरोक्त मानचूत्र के पूर्व (सर्वे) में  
 अधिक अंतराल / अंतर में सड़कियाँ लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र की अन्तर्गत एक  
 अन्तर्गत में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के कवर / नदी तट (दोनों ओर)  
 में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटों को सार्व (Levee) का सही पूर्व निर्धारित  
 डिजाइन प्रस्तुत कर किया जाएगा। इसी प्रकार बाध-क्षमता में किन बाधना प्राप्त  
 करने की पूर्व मात्र अन्तर्गत इसी डिजाइन प्रस्तुत पर बेत तटों के अन्तर्गत (Levee)  
 का कार्य किया जाएगा। बेत तटों के पूर्व निर्धारित डिजाइन प्रस्तुत पर बेत तटों के  
 अन्तर्गत (Levee) के कार्य का कार्य अगामी 3 वर्ष तक विचार किया जाएगा।  
 बाध-क्षमता के अन्तर्गत विभाग 2020, 2021, 2022 एवं बी-मानचूत्र के अन्तर्गत  
 अगला 2020, 2021, 2022 तक अगामी रूप से एम.ई.आई.ए. परामर्श को  
 प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. वेत की सुरक्षा समिति द्वारा (Manualy) की जाएगी। इस बाधना के लिए किसी  
 बाधना कार्य (Mechanically) नहीं का उपयोग नहीं किया जाएगा। किन क्षेत्र में  
 नदी तटों का अंतराल अधिकतम रहेगा। लीज क्षेत्र में किन बेत सुरक्षा गड्ढे  
 (Excavation pits) से लीजिंग प्रारंभ तक वेत का अधिकतम ट्रेक्टर ट्रेसी द्वारा किया  
 जाएगा।
7. वेत का बाधना बाधना निर्धारित, स्वीकृत एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। यह  
 बाधना की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा अधिकतम बाध-तट की अगली कतल,  
 दोनों में से जो कम हो, ही अधिक नहीं होगी। वेत का बाधना किसी भी परिधि  
 में



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.5	2%	0.75	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Kerakachhar	
			Ren Water Harvesting System	0.45
			Potable Drinking water Facility	0.45
			Running water facility for Talena	0.10
			Plantation	0.50
<b>Total</b>			<b>1.50</b>	

17. ग्रीडेंसिबल (Corporate Environment Responsibility) का पर्यावरण मित्रता लक्ष्य एवं कार्य विवरण एक बजट में उल्लिखित कराने में प्रयत्न किया जाए। ग्रीडेंसिबल के लक्ष्य निर्धारित कार्यवाही 23 बजट में उल्लिखित कराने में पूर्ण किया जाए।
18. परियोजनाएं प्रस्तावक समर्पित फंड / राज्य सरकार के विभागीय मण्डलों एवं अन्य संस्थाओं के तहत पर्याप्त आवक करने की पूर्ण आवश्यकता सभी अनुमोदित कार्य कराए। उल्लिखित प्रस्तावक द्वारा चले गए कार्य प्रयुक्त निवेशक एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य-राज्य पर फंड / राज्य सरकार, केंद्रीय प्रयुक्त निवेशक फंड / प्रशासनिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / समर्पणों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. पर्यावरण नीति अन्तिम निष्पत्ति 2018, राज्य सरकार द्वारा देता उपलब्ध हेतु सभी अधिकृत दिनांक 2/3/2018 के अंतर्गत / जारी एवं उपयुक्त जारी किए निर्देशों, अनुमोदित प्रस्तावक संस्था एवं पर्यावरणीय संरक्षण संरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य लक्ष्य का यदि अधिक बर्निक जारी पर लक्ष्य जारी है तो एक बर्निकों के अंतर्गत अधिक आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अंतर्गत पर्यावरण संस्थाओं संस्थाओं के साथ से ही लक्ष्य है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात कराया जा सके।
21. बर्निकों के लिए लक्ष्य लक्ष्य का अंतर्गत पर्यावरण मित्रता लक्ष्य सुनिश्चित भोग्यता पर्यावरण अदि की अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. बर्निकों का समय-समय पर अनुमोदित-नए हेतु सुनिश्चित कराया जाये।
23. पर्यावरण नीति दिनांक, कार्य हेतु एवं अनुमोदित अंतर्गत संस्था की अनुमोदित निर्देशों के निर्देशों के अंतर्गत का निर्धारित एन.ई.आई.ए. पर्यावरण / कार्य संस्था, पर्यावरण, उन ही पर्यावरण परियोजना पर्यावरण, नई दिनांक की पूर्ण अनुमोदित की किए जारी किया जाए।







7. यह उचित है कि नदी नती किया जाएगा; न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की नदी नती तक (हार्ड रोड) के आस-पास बना आवश्यक है।
8. येा व्यवस्था नहीं की हो कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो होना हो किया जाएगा, ताकि नदी नती का कार्य न हो। इसलिए व्यवस्था नहीं की सीमा में न्यूनतम 40 मीटर की दूरी से नती किया जाएगा; किसी भी पुलिंग, ब्यापिंग, बांध, एनीकट, लज क्लब, जलसंधारण एत अन्य स्थायी संरचनाओं के न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र होना आवश्यक है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि येा व्यवस्था के अंतर्गत नती तक का वेग, एरिडिटी, एत तक बांध के अंतर्गत नती किरीत प्रभाव न हो।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यवस्था अंतर्गत नती तक में किया जाए किसी तरह जिसके अंतर्गत-वेग के बीच पर कोई भी जोड़-जम्प व्यवस्था हो किरीत न हो। बांधों के प्रारम्भ इकाईयां / रोडो का संरक्षण आवश्यक है, जो इन बांधों के अंतर्गत येा व्यवस्था नहीं किया जाए।
11. येा व्यवस्था एवं नती / अतिरिक्त विन के-समय ही किया जाए। यह कार्य लंबे का समय नहीं किया जाए।
12. अधिसूचना संरक्षण द्वारा येा व्यवस्था विभिन्न प्रकारों तथा अतिरिक्त / अतिरिक्त अतिरिक्त के समस्त इन बांधों अतिरिक्त अतिरिक्त के विवरण हेतु उपयुक्त अनुसंधान विभाग संरक्षण नती तक संरक्षण अथवा अन्य उपयुक्त संरक्षण ही जाए। यह व्यवस्था बीच में अतिरिक्त अनु की सुखता नती संरक्षण, पर्यावरण, इन और इन अनु संरक्षण, संरक्षण, नती दिल्ली द्वारा अधिसूचना संरक्षण से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. येा का परिष्कार संरक्षण अथवा अन्य उपयुक्त संरक्षण से इनके हुए संरक्षण से किया जाए, ताकि येा संरक्षण से बाहर नती किरीत; अतिरिक्त का अधिसूचना नती संरक्षण को अंतर्गत से अधिक नहीं भंग होना सुनिश्चित किया जाए।
14. व्यवस्था द्वारा से अतिरिक्त नती न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतक को संरक्षण की संरक्षण हेतु कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज होव को अनुसंधान अनुसंधान, बांध, बंध, सीपल, नीच, करज, लीज, नती, नती, इपली, लीज आदि अन्य स्थायी संरक्षणों के कुल 1,200 मीटर का संरक्षण नती तक पर तथा इनके अतिरिक्त 500 नम मीटर वर्गिक नती से किया जाए। संरक्षण की सुरक्षित रखने की लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कानूनगत संरक्षण की बांध का उपयुक्त) किया जाए। बांधोंका संरक्षण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नती दिल्ली के अतिरिक्त दिनांक 01/08/2018 के अनुसार नती संरक्षण (Corporate Environment Responsibility) हेतु निर्धारित संरक्षण नती कार्य किया जाए-









नेसाई की सुनीत कुंआर बन्दा, पी-1 खुसपट्टी रोड मार्टिन  
की सरासरी क्रमांक 147, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टर, ग्राम-खुसपट्टी,  
तहसील-अमरा, जिला-जांजगीर-बांसा (झ.प.) में बसानवी से रेत उत्खनन समता  
₹5,000 परमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. ग्राहक उत्खनन (डिस्टेंशन स्टडी) रिपोर्ट - पर्यावरण प्रस्तावक से उत्खनन क्षेत्र में आगामी 1:5 स्केल में तैयार ग्राहक उत्खनन (Distances Study) प्रस्ताव, साथ ही रेत के कुल नमूने (Sample/collected) का एक नया आवक, रेत उत्खनन का नया स्टेशन, स्थानीय जनश्रुति, लीज एवं कुल लीजों का प्रभाव तथा नदी के पानी की शुद्धता पर का प्रस्ताव में प्रभाव की सभी जानकारी प्राप्त हो सके। प्रस्ताव ग्राहक उत्खनन (डिस्टेंशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने से अगला ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. रेत उत्खनन शक्ति विभाग द्वारा अधिसूचित किलो क्वेस्टर में ही अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल क्रमांक 5 हेक्टर में अधिक होना ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उत्खनन से रेत का अधिकतम उत्खनन ₹5,000 परमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा उत्खनन की पूर्व खनन लीज को खनन / नदी तट (टोपी जीव) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी किनारे के सारी (Levels) का भी पूर्ण विचार करेगा। उत्खनन वाली नदी किनारे के सारे (Levels) का नती 25 गुण 25 मीटर की आकृति (Grid) में किया जाएगा। रेत खनन की अवधि में नदी किनारे के पूर्ण नदी तट के अंतिम सतह / खुदाई में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र की अवधि में एक वाटरमार्क से 100 मीटर तक एक एक खनन लीज को खनन / नदी तट (टोपी जीव) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी किनारे के सारी (Levels) का भी पूर्ण विचार किए बिना नदी तट पर किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व नदी (खुदाई) इसी तरह बिन्दुओं पर रेत सतह की लंबाई Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह की पूर्ण निर्धारित बिन्दुओं पर रेत सतह की लंबाई Levels में मापन का नती आगामी 3 वर्ष तक तैयार किया जाएगा। दोस्ट-मानसून के आकड़े दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं डी-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अधिसूचित रूप से एम्प्लॉयडेट, जलवायु की प्रस्तुत किए जाएंगे।
6. रेत की खुदाई शक्ति द्वारा (Manual) की जाएगी। इस अवधि में कितने किलो उत्खनन सतह (Mastwork) यदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत क्षेत्र में नदी किनारे का प्रभाव पर्यावरण होगा। लीज क्षेत्र में किया रेत खुदाई नदी किनारे (Watercourse) से अधिन ग्राहक तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन समता विभागत सीमांकित एवं परिचित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा अधिकतम खनन गहराई 2000 सेंटीमीटर तक से ही अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिधि

ने जल सतह से नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर नीचाई तक की लंबाई तक (दोनों ओर) को जल धोना जल्दा आवश्यक है।

8. जो संरचनाएँ नहीं लगी हैं जिन से कम 7.5 मीटर अथवा नहीं की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो अधिक हो संभव हो किया जाएगा तबले नहीं लगे हुए रहने न हो। इसलिए संरचना नहीं की सीमा से न्यूनतम 40 मीटर की दूरी को बंद किया जाएगा। किसी भी पुलिंग, कांस्ट्रैट, बस, एम्बेड, एक अथवा बाइसा एक जल सतह से संरचनाओं की न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाना अनिवार्य है।

9. जो सुरक्षित किया जाय कि जो संरचना की संरचना नहीं लगे का जग, अतिरिक्त यह जल सतह के अन्तर्गत या कोई विद्युत उपकरण न हो।

10. जो सुरक्षित किया जाय कि संरचना अथवा लगी जग से किया जाय कि जल सतह किताबें जल-पत्र के दोष को छोड़ें की बीच-तक प्रयत्न हेतु निर्मित न हो। जल सतह के अन्तर्गत / दोषों का संरक्षण आवश्यक है जो जल सतह के जल सतह को संरक्षण नहीं किया जाय।

11. जो संरचनाएँ एक सतह / अतिरिक्त जल के समुद्र हो किया जाय। जो जल सतह के अन्तर्गत नहीं किया जाय।

12. परिष्कार प्रस्तावक द्वारा जो संरचना विभिन्न प्रकारों का जल सतह / अतिरिक्त जाय से संरचना होने वाले अतिरिक्त जल सतहों के निर्माण हेतु आवश्यक जाय अथवा निर्माण आवश्यक जल सतह अथवा अन्य जल सतहों को संरक्षण की जाय। जो संरचना जल से अतिरिक्त जल की सुरक्षा अथवा संरक्षण परीक्षण, जल सतह जल जल अतिरिक्त, संरक्षण, नई विद्युत द्वारा अतिरिक्त संरक्षण से अधिक नहीं लगे जाय।

13. जो जो अतिरिक्त संरक्षण अथवा जल सतहों को जल सतह से जल सतह से किया जाय ताकि जो जल सतह से जल सतह से, अतिरिक्त जो अतिरिक्त जल सतहों को संरक्षण से अतिरिक्त नहीं लगे जल सतह सुरक्षित किया जाय।

14. संरचनाओं से जल सतहों को जल सतह से जल सतह सुरक्षित किया जाय।

15. प्राथमिकता के आधार पर अथवा प्रयत्न द्वारा वर्ष 2025 में नदीसत को कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टर लीच क्षेत्र को अनुसार अथवा, जल सतह, नदी, पीपल, नीम, करज, चीसू, आम, इगली, चीरस अथवा अन्य स्थानीय पौधाओं को कम 3,000 बीघों का क्षेत्र नदी सतह पर तथा इसके अतिरिक्त 100 नग बीघों पर्यंत जल से किया जाय। क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिये जल सतहों को अथवा अथवा (जल सतहों को जल सतह का उपयोग) किया जाय। अथवा अथवा प्रयत्न वर्ष से शुरू किया जाय।

16. जल सतह, परीक्षण, जल सतह अथवा अतिरिक्त संरक्षण, नई विद्युत से अतिरिक्त जल सतह 01/05/2018 से अथवा नदी सतह (Corporate Environment Responsibility) हेतु निर्माणों को जल सतह से जल सतह किया जाय।



संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24 इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य व्यक्तियों के अधिकार हानि के नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी संस्थान को पुनःस्थापित अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकार अथवा अन्य, राज्य एवं भारतीय नागरों / विदेशी के पर्यावरण हेतु अतिक्रमण करता है।

25 एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय संसदीय संस्था को दृष्टि से पर्यावरण को संरक्षण में परिवर्तन अथवा विविधित जारी के पर्यावरण रूप से राज्य न करने की दृष्टि से किसी भी रूप में संरक्षण / निष्ठा करने अथवा नई कार्य जीवन अथवा संरक्षण / निष्ठा के संस्था को और लक्ष्य करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।

26 पर्यावरण प्रशासन गुणवत्ता 2 राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो कि पर्यावरण और न-वातावरण प्रशासन रूप से संरक्षित हो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 9 दिनों के भीतर इस आदेश की प्रमाण प्रस्तुति करेगा कि पर्यावरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वन की स्वीकृति पर्यावरण, भारतीय संसदीय संस्था मंत्रालय में प्रस्तुत हेतु उपलब्ध है। साथ ही इससे संबंधित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.environment.in](http://www.environment.in) एवं एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय संसदीय संस्थाएं [www.naiia.org](http://www.naiia.org) पर भी किया जा सकता है।

27 पर्यावरणीय स्वीकृति में ही नई कार्य के प्रारंभ हेतु की गई कार्यवाही को जो प्राथमिक रिपोर्ट पर्यावरण प्रशासन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय संसदीय संस्थाएं, पर्यावरण प्रशासन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय संसदीय संस्थाएं, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाए। पर्यावरण प्रशासन एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अथवा कार्य के प्रारंभ की सुनिश्चित की जाएगी।

28 एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय संसदीय संस्थाएं, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / राष्ट्रीय पर्यावरण प्रशासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / भारतीय पर्यावरण प्रशासन मंत्रालय के वेबसाइट / अतिरिक्तों को कार्य के अनुष्ठान के प्रारंभ में ही जारी सुनिश्चित हेतु पूर्ण संबंधित प्रदान किया जाए।

29 पर्यावरण प्रशासन भारतीय संसदीय संस्थाएं मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा ही नई कार्य का अधिकार रूप से प्रारंभ करेगा। 8 अर्थ नाल (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 एवं प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इससे संबंधित अन्य विधायक पर्यावरण अधिनियम (प्रदूषण प्रदूषण एवं संरक्षण संस्थाएं) विधायक 2008 (संसाधन प्रशासन) एवं अन्य अधिनियम 1987 (संसाधन प्रशासन) के अधिनियम अधिनियम की जा सकती है।









Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
81.2	2%	82.8	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kareli chhoo	
			Rain Water Harvesting System	3.40
			Portable Drinking water Facility	3.18
			Running water facility for Toilets	3.17
			Plantation with treeing	6.25
			<b>Total</b>	<b>1.00</b>

17 वीं पैरा (Corporate Environment Responsibility) का पालन किया गया एवं कार्य किया एक वर्ष में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव किया जाए। वीं पैरा के लिए निर्दिष्ट कार्यवाही 23 महीने अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18 परियोजना प्रभावों का निर्धारण / राज्य सरकार के निर्देशों का पालन होना अन्य मामलों से होना आवश्यक होना करने से पूर्ण आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त करना। परियोजना प्रभावों का जहाँ एक वर्ष में पूर्ण किया गया कार्यवाही करना होना समय-समय पर रोक / राज्य सरकार, कंपनी प्रमुख निर्धारण करें / उपरोक्त कार्यवाही संकलन समझ द्वारा जारी निर्देश / मांगों/का होना पूर्ण किया जाए।

19 परियोजना से संबंधित निर्देश, 2019, राज्य सरकार द्वारा होना प्रभावों को जारी अनिवार्य दिनांक 2/2/2020 के अनुसार/सभी एवं अनुसार जारी किया निर्देश, अनुमति/संकलन योजना एवं मांगों/का प्रकल्प योजना का पालन पूर्ण किया जाए।

20 कार्य पूरा हो कर निर्धारित भूमि कार्य पर जारी रहने से हो कर निर्धारित के अनुसार निर्धारित प्रभावों परियोजना प्रभावों द्वारा हो जारी। जारी/का प्रभावों अनुसार जारी/का हो कर हो कर जारी हो, जिसे परियोजना पूर्ण होने के बाद ही जारी हो कर।

21 निर्धारित के लिए करण करण का प्रभाव प्रभाव निर्धारित/का पूर्ण, संकलन प्रभावों/का हो कर निर्धारित प्रभावों द्वारा हो जारी।

22 निर्धारित का समय-समय पर अनुमति/का प्रभाव निर्धारित जारी जारी।

23 प्रभावों की तकनीक कार्य हो कर अनुमति/का प्रभावों के अनुसार निर्धारित प्रभावों से निर्धारित हो कर निर्धारित एवं/का एवं/का / जारी प्रभाव, प्रभावों, एवं जारी प्रभावों परियोजना प्रभावों, सर्व दिवसों को पूर्ण अनुमति हो कर जारी किया जाए।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संगठित या अधिकांश पक्षों को नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी अर्थव्यवस्था को सुसंभाल पहुँचाने, अथवा व्यक्तिगत अधिकारों की अधिकतम रक्षा के लिए राज्य एवं अल्पसंख्यक समूहों / विविधों के सम्बन्ध में हेतु स्वीकृति करता है।
25. एच.ई.आई.ए.ए. पर्यावरण परियोजना संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की संरचना में परिवर्तन अथवा विविधता जारी कें संशोधन एवं की योजना में करने की क्षमता में किसी भी दृष्टि में संशोधन / विस्थापन करने अथवा नई दृष्टि जोड़ने अथवा संशोधन / विस्थापन के सुझावों को और अथवा करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
26. परियोजना समायोजक समूहों में 2 सालों का समय है, जो कि परियोजना क्षेत्र के अंत-अंत अथवा क्षेत्र से प्रभावित की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की 2 दिनों के भीतर इस आदेश को सुचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति तथा की विविध परियोजना पर्यावरण परियोजना संरक्षण संरक्षण में अद्यतन हेतु उपलब्ध है। अथवा ही इसका अद्यतन भारत सरकार, परियोजना, जन और अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, एवं किसी भी संसाधन [www.epa.gov.in](http://www.epa.gov.in) एवं एच.ई.आई.ए.ए. पर्यावरण की वेबसाइट [www.ecaocg.org](http://www.ecaocg.org) पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही नई दृष्टि को प्रदान हेतु की नई परियोजना की जो अधिक विवेक अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण संरक्षण, नई समूह अल्पसंख्यक, विद्या-संस्कृत अल्पसंख्यक परियोजना, पर्यावरण परियोजना संरक्षण संरक्षण, संस्कृत, एच.ई.आई.ए.ए., पर्यावरण एवं क्षेत्रीय अल्पसंख्यक परियोजना, एवं एवं अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, संरक्षण संरक्षण, संरक्षण एवं विविध किया जाय। अल्पसंख्यक परियोजना परियोजना, एवं एवं अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, अथवा संरक्षण, नागपुर एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदान जारी की प्रकल्प को मानिटरिंग की जाएगी।
28. एच.ई.आई.ए.ए., पर्यावरण, परियोजना, एवं एवं अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, भारत सरकार / क्षेत्रीय परियोजना, परियोजना, एवं एवं अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, भारत सरकार, नागपुर / क्षेत्रीय अल्पसंख्यक परियोजना, एवं एवं अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, भारत सरकार / अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, भारत सरकार, नागपुर एवं परियोजना संरक्षण, भारत सरकार, नागपुर एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदान जारी की प्रकल्प को मानिटरिंग की जाएगी।
29. परियोजना परियोजना पर्यावरण परियोजना संरक्षण संरक्षण एवं राज्य सरकार द्वारा की नई दृष्टि का अधिकार एवं की प्रकल्प करेगा। वे दृष्टि एवं अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, भारत सरकार / क्षेत्रीय परियोजना, परियोजना, एवं एवं अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, भारत सरकार, नागपुर / क्षेत्रीय अल्पसंख्यक परियोजना, एवं एवं अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, भारत सरकार, नागपुर एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदान जारी की प्रकल्प को मानिटरिंग की जाएगी।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एच.ई.आई.ए.ए., पर्यावरण में अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, भारत सरकार / क्षेत्रीय परियोजना, परियोजना, एवं एवं अल्पसंख्यक परियोजना संरक्षण, भारत सरकार, नागपुर एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदान जारी की प्रकल्प को मानिटरिंग की जाएगी।

यस पर विचार कर रही की वास्तुवासी अर्थात नदीन हार्ड सिस्टिम करन, अस्त  
विशेष से करे। अस्तम में कोड की विस्तार अस्तम हस्तमन एच.ई.एच.ए.  
प्रतीकमद १ भावत सरकार ग्यामलन, पन अोन अस्तमनु कोविमोन मगतम गद  
दिली की पुन अनुमती के विच नही गिया कए।

21 प्रतीकमद ग्यामलन अस्तम मगतम ग्यामलन कोविमोन की प्रति की अस्तम अस्तम  
अस्तम, गिद-अस्तम एन अस्तम अस्तम एन अस्तम, ग्यामलन अस्तम म  
३० दिवस की अस्तम के विच पदकिल अस्तम।

22 ग्यामलन कोविमोन की गिद अस्तम अस्तम अस्तम अस्तम की अस्तम ग्यामलन  
अस्तम अस्तम अस्तम 2010 की अस्तम म से विद एन अस्तम अनुमति, 30 दिन की  
अस्तम अस्तम से की जा सकती।

अस्तम अस्तम, एच.ई.ए.सी.

अस्तम, एच.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री सैनिक सिविल इंजीनियर्स, कर्नालीबंदी रोड, साईन  
को कार्यालय क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.98 हेक्टर, गांव-कर्नालीबंदी,  
तहसील-नगरलोड, जिला-पंजाबी (एच.ए.) में महानदी से रेत उत्खनन करवा  
75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरण सौंपति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गांव उत्खनन (मिल्टेडन स्टडी) रिपोर्ट - सविशालता प्रस्तावक से कुलन क्षेत्र के आसपास 1.5 कि.मी. के विकृत गांव उत्खनन (Investigation Study) कराया जाये ताकि रेत की पुनर्स्थापना (Replenishment) काया नहीं होकर, रेत उत्खनन का नतीजा नदीका, कलापीय जलमयि, जोड का खुल नदी पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की पुनर्स्थापना पर का प्रभाव का प्रभाव की नतीजा जलमयि प्रभाव हो सके। तबत गांव उत्खनन (मिल्टेडन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आसपास आसपास की लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का विचार किया जाएगा।
3. यदि उत्खनन क्षतिग्रस्त जिनका द्वारा अधिस्थिति किसी वस्तुएं में है, उत्खनन 300 मीटर से नीचे स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टर से अधिक होना है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.98 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उत्खनन से रेत का अधिउत्पाद उत्खनन 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व रेत खान के उत्खनन क्षेत्र में पूर्व (पूर्व) गांव के अतिरिक्त (पूर्व/पूरु) में साईन रोड क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र में आसपास का उत्खनन क्षेत्र में 100 मीटर तक तथा खान लीज के ऊपर / नदी का किनारे (सीट) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी का नतीजा (Levee) का नतीजा पूर्व निर्धारित किए बिना नहीं पर किया जाएगा। इसी प्रकार गांव-सैनसुन में रेत उत्खनन काय करने के पूर्व गांव उत्खनन इसी लिए बिना ही रेत खान के उत्खनन Levee का नतीजा किया जाएगा। रेत खान के पूर्व निर्धारित किए बिना ही रेत खान के उत्खनन Levee का नतीजा का नतीजा आसपास 3 कि.मी. तक निर्धारित किया जाएगा। गांव-सैनसुन के अतिरिक्त दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं सी-सैनसुन में उत्खनन जमात 2020, 2021, 2022 तक अतिरिक्त गांव से प्राप्त गांव 50, उत्खनन की प्रस्तुत किए जायें।
6. रेत की खुदाई योजना द्वारा (Manually) ही जायेंगी। इस प्रयोजन के लिए किसी प्रकार का साधन (Machinery) अतिरिक्त का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत खान में नतीजा नतीजा का प्रभाव अधिस्थिति क्षेत्र। लीज क्षेत्र में किया रेत खुदाई गांव (Excavation pit) से अतिरिक्त गांव रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा काया किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल निर्धारित सीमांकित एवं अधिस्थिति क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिउत्पाद गांव 1.5 मीटर अधिक उत्खनन प्राप्त गांव की उत्खनन क्षेत्र, गांव में ही काय हो, से अधिस्थिति नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी पर्यावरण में उत्खनन की नतीजा नहीं किया जाएगा। नतीजा 3 मीटर गांव रेत की रेत नतीजा गांव (गांव क्षेत्र) के उत्खनन क्षेत्र काय जाएगा है।



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
79.85	2%	1.59	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Karli badi	
			Rain Water Harvesting System	1.10
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
<b>Total</b>			<b>1.50</b>	

17. कोई भी अर्थ के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही का माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित बंध / बांध कागजात के निशानों, मसौदा एवं अन्य आवश्यकताओं के साथ पर्याप्त आरंभ करने का पूर्ण आश्वासन सभी अनुसंधान क्षेत्रों को देना। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं पौधे प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर बंध / बांध कागजात, बंधों/ बांधों का निशान देना / प्रमाणित कार्यवाही संस्था कागजात द्वारा जारी निर्देशों / कार्यवाही के पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. पर्यावरण में गैर अनिष्ट प्रभाव, 2016, राज्य सरकार द्वारा एक पर्यावरण हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के अन्तर्गत/द्वारा एक अनुसंधान जारी किया निर्देशों, अनुसंधान प्रस्तावक को एक पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20. कार्य स्थल पर यदि पर्यावरण बर्हिषक कार्य का अभाव पाया है, तो ऐसे बर्हिषकों को अद्यतन उचित आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही करावी। अद्यतन कार्यों को अद्यतन पर्यावरण के रूप में जो अभाव है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के बाद ही दूर किया जा सके।

21. भविष्य में किए गए कार्य का प्रत्येक मासिक विहित/सर्वेक्षण सुविधा, संसाधन प्रस्तावक द्वारा ही व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

22. अनिष्टों का समय-समय पर आकस्मिक/सर्वेक्षण हेतु बर्हिषक कराया जावे।

23. पर्यावरण की रक्षा/कार्य, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधान प्रस्तावक को अनुसंधान बर्हिषक कार्यवाही में किसी भी प्रकार का पर्यावरण एम.ई.आई.ए. प्रमाणित / संस्था





20. प्रशासित परिवारण के तहत में एन.ई.अर्द्ध.ए.ए. प्रतीकण्ड में उल्लुन किलरु से कोर्टे नी किलरुन अल्लुन प्रदिलरुन कोने की टगा में एन.ई.अर्द्ध.ए.ए. प्रतीकण्ड को पुन लवेन उल्लुनको भविल सुविल कियु जारु लकि एन.ई.अर्द्ध.ए.ए. प्रतीकण्ड इस लन किलरु कर शकी की किलरुलल अल्लुन कोरु कुरी निरिण्ट कलन किलरु निरुण के लके। किलरु न कोर्टे नी किलरु अल्लुन उल्लुन एन.ई.अर्द्ध.ए.ए. प्रतीकण्ड / ललल अल्लुन प्रतीकण्ड लन की किलरुनु प्रदिलरुन लकलल नई किलरु नी पुने अल्लुन के विन्द नही किलरु जारु।
21. प्रतीकण्ड प्रतीकण्ड किलरुन मण्डल प्रतीकण्ड लीकुरी की प्री को उल्लुन प्रतीकण्ड अल्लुननु किलरु-किलरु लन उल्लुन केन्द एन अल्लुन/प्रतीकण्डनु किलरुलल से 20 किलरु को अल्लुन के किलरु प्रतीकण्ड किलरु।
22. प्रतीकण्ड प्रतीकण्ड के किलरु अल्लुन किलरुन डीन डीकुरुल के ललल लकलल डीन डीकुरुल एन.ई.अर्द्ध.ए.ए. की किलरु 18 में किलरु नई प्रतीकण्डनु अल्लुननु 20 किलरु की ललल अल्लुन से की किलरु ललल।

सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.

मैसर्स श्री आशीष सुक्ला, सीमा रोड सड़क  
की समस्त समस्तक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टर पर, पाप-सीमा, तहसील-मगरखीड़,  
जिला-जयपुर (उ.प्र.) में मगरखीड़ से रेल कटछानने समस्त 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष  
हेतु अस्थापित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (मिडिअन स्टडी) रिपोर्ट - परिचालन प्रस्तावक को जलन क्षेत्र में अपना 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Midation Study) करवाकर तबिले रेल की पूरनभरण (Replenishment) बाधा नहीं आना, रेल परतलन का नहीं, मदीराल, जलसीय वनस्पति, जीव वन वनन जीवों पर प्रस्तावक नदी की कालों की सुधारणा पर रेल परतलन को प्रभाव की पूरी जानकारी देना ही। इसके अलावा माद अध्ययन (मिडिअन स्टडी) रिपोर्ट अनुसार कालों में परतलन की जानकारी अवधि में, रेल पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि जलन क्षतिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी जलन में है अथवा 300 मीटर के भीतर मौकित रेल खडनों का कुल लम्बा 5 किलोमीटर से अधिक होगा, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. जलन क्षेत्र 5 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी जलन जलन को रेल का अधिकांश जलन 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष की अधिक नहीं होगा।
5. परिचालन प्रस्तावक द्वारा जलन की पूर्व वनन जीव के मादर / नदी पर (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी मादर के कालों (Levels) का भी नदी किनार परतलन; जलनका सभी नदी मादर के कालों (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के जलन (Grid) में किया जाएगा। रेल वनन के जलन अनुसार की पूर्व नदी मादर के अधिसूचित (जलन/जलन) में स्वीकृति जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र की अधिसूचित रेल अधिसूचित में 100 मीटर तक तथा जलन जीव के मादर / नदी पर (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी मादर के कालों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विध विन्डुओं पर किया जाएगा। इसी जलन परतलन-मनुसूच में रेल जलनका कालों कालों की पूर्व मादर अधिसूचित इसी विध विन्डुओं पर रेल मादर के जलनका Levels का काल किया जाएगा। रेल मादर के पूर्व निर्धारित विध विन्डुओं पर रेल मादर के जलनका Levels के मादर का सर्वे जलनकी 3 वर्ष तक किया किया जाएगा। परतलन-मनुसूच के कालों दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं रेल-मनुसूच के कालों जलन 2020, 2021, 2022 तक अधिसूचित रूप में एनईआईएड, पर्यावरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेल की सुदार्थ बर्तियों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस परतलन के सिधे किसी धाराधन बर्तियों (Machinery) अधि का अधिसूचित नहीं किया जाएगा। रेल काल में नदी मादरों का प्रोजेक्ट अधिसूचित होगा। जीव क्षेत्र में सिधे रेल सुदार्थ गडदों (Excavation pits) की अधिसूचित तक रेल का अधिसूचित ट्रैक्टर टीलर द्वारा किया जाएगा।
7. रेल का जलनका कालों विन्डुओं, अधिसूचित रूप अधिसूचित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेल जलनका की अधिसूचित कालों 1.5 मीटर अथवा अधिसूचित जल काल की अधिसूचित मादर, कालों में दो तक जल ही, ही अधिक नहीं होगी। रेल का जलनका सिधे की अधिसूचित

में जल सतह को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर भीटाई तक की गहराई तक छापीं (रिफ) के द्वारा खोज जल उपकरण है;

8. रेत उपकरण नहीं गहराई का कम से कम 2.5 मीटर ऊपर नदी की भीटाई में 30 प्रतिशत की दूरी की भी अधिक ही उपकरण ही किया जाएगा, ताकि नदी गहराई कम न हो। इसीलिए उपकरण नदी की सीमा से न्यूनतम 120 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिस, कालक्रम, बंधन, एसीएन, जल प्रदाता उपकरण एवं अन्य स्थायी उपकरणों की न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उपकरण के कारण नदी जल का वेग, एरिरोटि एवं जल सतह के स्तर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उपकरण केवल जमीन क्षेत्र में किया जाए, जिससे जल सतह जल-सतह के क्षेत्र पर कोई भी जल-जल प्रभाव हेतु निर्धारित न हो। उपकरण के प्रभाव इकाईयां / क्षेत्रों का सतह उपकरण है, जल इन क्षेत्रों में जमीन पर रेत उपकरण नहीं किया जाए।
11. रेत उपकरण एवं सहाई / परिधान दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परिधान उपकरण द्वारा रेत उपकरण विभिन्न क्षेत्रों में करना चाहिए / उपकरण के सतह से जल सतह होने वाले अनुचित दूरत उपकरणों की निर्धारण हेतु उपकरण एवं उपकरण निर्धारण उपकरण जैसे जल सतह उपकरण अन्य उपकरण उपकरण की जाए। रेत उपकरण क्षेत्र में निर्धारण कार्य की सुरक्षा क्षेत्र उपकरण निर्धारण, पर और जल जल निर्धारण, निर्धारण, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित उपकरणों की अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिधान उपकरण उपकरण क्षेत्र उपकरण उपकरण के द्वारा हुए उपकरण को किया जाए, ताकि रेत सतह से सतह नहीं गिर। उपकरण का निर्धारण एवं रेत उपकरणों को उपकरण का अधिक नहीं भरा अन्य सुनिश्चित किया जाए।
14. उपकरण क्षेत्र में जल उपकरण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता की आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीगत को सतह को रोकने हेतु कम से कम 100 नग प्रति हेक्टर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र को उपकरण उपकरण, जल, नदी, पीपल, नदी, कचरा, सीसू, जल, इकाई, सीसू आदि अन्य स्थायी उपकरणों के कुल 1,000 पीपी का रोकण नदी गत पर जल इसकी निर्धारण 100 नग पीपी रोकण क्षेत्र में किया जाए। रोकण को सुरक्षित रखने के लिए उपकरण एवं परमाणु उपकरण (जल सतह क्षेत्र का बाड़ का उपकरण) किया जाए। उपकरण वृक्षाधीन प्रबंधन क्षेत्र में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, निर्धारण, जल और उपकरण निर्धारण निर्धारण, नई दिल्ली के निर्धारण दिनांक 01/09/2018 के अनुसार निर्धारण (Corporate Environment Responsibility) हेतु निर्धारण उपकरण का कार्य किया जाए -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.05	2%	1.08	Following activities at Nearby Government Middle School Village- Saung	
			Rain Water Harvesting System	1.11
			Plantation with fencing	0.15
			<b>Total</b>	<b>1.21</b>

17. कीर्तिपुरा के लक्ष्य निर्धारित कार्यवाही 09 मार्च में अधिसूची क्रम में पूर्ण किया जाए।
18. परिशिष्टकृत प्रस्तावक समिति संसद / राज्य सरकार के विधायी सभकों द्वारा उक्त कार्यवाही की को प्रस्तावना प्रस्तुत करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिगत कार्य कराने। परिशिष्टकृत प्रस्तावक द्वारा उक्त एवं अन्य उद्देश्य निम्नलिखित अन्य पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर संसद / राज्य सरकार, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघीयस्तरीय पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा जारी निर्देशों / कार्यवाही के माध्यम सुनिश्चित किया जाए।
19. पर्यावरण गीत अधिनियम 2019, राज्य सरकार द्वारा को प्रस्तावना हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2020 के अंतर्गत / जारी एवं लागूकरण जारी किया निर्देशों, अनुमतिगत आवश्यकताओं एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रस्तावक के माध्यम सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य प्रारंभ पर यदि संश्लेषण अधिक तथ्यों पर रसादी जारी है तो ऐसे अधिसूची के अंतर्गत अधिनियम पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक उपकरण अधिसूची संश्लेषण के रूप में की जा सकती है, जिसे परिशिष्टकृत पूर्ण होने के अंतर्गत प्रस्ताव या करे।
21. अधिसूची के लिए प्रारंभ प्रस्ताव पर संश्लेषण निम्नलिखित सुनिश्चित, संश्लेषण प्रस्तावक आवेदन की आवश्यक परिशिष्टकृत प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. अधिसूची का समय-समय पर अनुमतिगत प्रस्तावक द्वारा जारी किया जाए।
23. प्रस्तावक को आवश्यक जारी होकर एवं अनुमतिगत प्रस्तावक प्रस्तावों में अनुमति प्राप्त प्रस्तावक ने किसी भी प्रकार के परिशिष्टकृत एवं/अथवा एवं पर्यावरण / राज्य सरकार, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान पर्यावरण संरक्षण, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. पर्यावरण संश्लेषण को जारी करने का प्रस्ताव किसी पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण पर अधिसूची जारी करने का नहीं है एवं न ही वह पर्यावरण संश्लेषण किसी किसी समिति को प्रस्तावक पर्यावरण प्रस्तावक पर्यावरण पर्यावरण के अधिनियम प्रस्ताव संसद, राज्य एवं संघीय संसदीय / निर्देशों के अंतर्गत हेतु अधिसूची जारी है।

- 25 एफ.ई.आई.ए.ए. (अतीसमय परीक्षण संस्था की पुष्टि से) परिचोचना की संस्था में परिवर्तित करना विनिर्दिष्ट करों के संशोधन को ही लागू न करने की दावा के बिना भी करों में परिवर्तन / विराट करने अथवा नई करों जोड़ने अथवा समाप्ति / विराट के संसाधन को और लागू करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
- 26 परिचोचना प्रस्तावक 'बुलाव' के अंतर्गत समावेश नहीं हैं, जो कि परिचोचना करों के आवक-आवक ब्याज को प्रभावित हो, पर्याप्ततया स्वीकृति प्राप्त होने की इच्छाओं के बिना इस आवक की सुचना प्रस्तुत करने कि परिचोचना को पर्याप्ततया स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्याप्ततया स्वीकृति एवं की प्रविष्टी अधिकतम पर्याप्ततया पर्याप्ततया संसाधन में परिवर्तन हेतु उपलब्ध है। तथा ही द्वारा आवक-आवक भाग संसाधन पर्याप्ततया को और उचिततया पर्याप्ततया संसाधन, नई विधियों की वेबसाइट [www.amfor.ac.in](http://www.amfor.ac.in) एवं एफ.ई.आई.ए.ए. (अतीसमय की वेबसाइट [www.aetiaa.org](http://www.aetiaa.org)) पर भी किया जा सकता है।
- 27 पर्याप्ततया स्वीकृति में ही नई करों के लागू होने की नई पर्याप्ततया की कई प्रविष्टी विराट पर्याप्ततया पर्याप्ततया संसाधन तथा संसाधन प्रदाता संसाधन प्रदाता, विराट-संसाधन संसाधन, अतीसमय पर्याप्ततया संसाधन संसाधन, संसाधन, एफ.ई.आई.ए.ए. (अतीसमय एवं एतीसमय पर्याप्ततया, एवं एवं उचिततया पर्याप्ततया संसाधन, भाग संसाधन, संसाधन की प्रविष्टी किया जाए; संसाधन पर्याप्ततया संसाधन, एवं एवं उचिततया पर्याप्ततया संसाधन, भाग संसाधन, संसाधन द्वारा पर्याप्ततया स्वीकृति में प्रदाता करों के लागू की मानिकता की साधनी।
- 28 एफ.ई.आई.ए.ए. (अतीसमय पर्याप्ततया, एवं एवं उचिततया पर्याप्ततया संसाधन, भूदा संसाधन / संसाधन पर्याप्ततया, पर्याप्ततया, एवं एवं उचिततया पर्याप्ततया संसाधन, भाग संसाधन, संसाधन / संसाधन प्रदाता विराट करों / अतीसमय पर्याप्ततया संसाधन संसाधन के विराट / अधिकतमों को करों के अनुमानों के संसाधन में ही जारी करों मानिकता हेतु एवं उचिततया संसाधन किया जाए।
- 29 परिचोचना प्रस्तावक अतीसमय पर्याप्ततया संसाधन प्रदाता एवं उचिततया द्वारा ही नई करों को अधिकतम एवं के लागू करेगा। वे करों जोड़ (प्रदाता विराट करों विराट) अतीसमय प्रदाता एवं (प्रदाता विराट करों विराट) अतीसमय प्रदाता, पर्याप्ततया (संसाधन) अतीसमय, प्रदाता तथा इनमें द्वारा इनमें एवं विराट, पर्याप्ततया अतीसमय (प्रदाता संसाधन एवं एतीसमय संसाधन) विराट, प्रदाता (संसाधन संसाधन) तथा उचिततया अतीसमय, प्रदाता (संसाधन संसाधन) के अतीसमय विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
- 30 प्रस्तावित परिचोचना के तारे से एफ.ई.आई.ए.ए. (अतीसमय) में प्रस्तावित विराट अथवा विराट होने की दावा में एफ.ई.आई.ए.ए. (अतीसमय) को पुनः सर्वोपरि प्राथमिकी अधिकतम किया जाए, लक्ष्य एफ.ई.आई.ए.ए. (अतीसमय) द्वारा एवं विराट एवं करों की अनुमानों अथवा सर्वोपरि करों विनिर्दिष्ट करने अथवा विराट के तारे। प्रदाता के करों में विराट अथवा अथवा एफ.ई.आई.ए.ए. (अतीसमय / भाग संसाधन पर्याप्ततया, एवं एवं उचिततया पर्याप्ततया संसाधन, नई विधियों की पुनः अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

- 21 भारतीयमातृ पर्यावरण संरक्षण कानून अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वीकृति को प्रति एक जम्मा राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान-प्रकार एवं राष्ट्रीय सेंट्र एवं क्लोस्टर/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आयोग न 30 दिना को आवेदन को निम्न प्रकारित करें।
- 22 भारतीयमातृ पर्यावरण को विनाश करीब निम्नलिखित डीएम टिप्पणियों से संबंधित विनाश डीएम टिप्पणियों एवं 2015 को प्राय 18 से विद्यमान प्रायवर्ती अनुसंधान 30 दिना को समय आवेदन से को कर सकते।

सदस्य सुमित, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

## मेवाड़ की राष्ट्रीय नृपजा, कुसवा रोम्बल गाईन

की धाई अधीक लम्बाय कुसवाक 1954, कुसवा जीव रोम्बल 5 सेक्टोवर में से 4.54 सेक्टोवर, बाम-कुसवा, पावरीज-मणसरोवर, जिला-बमसारी (18.7) से पैरी नदी की पैर प्रखण्डन लम्बाय 48,000 मन्मीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में की जाने वाली शर्तें

1. पैर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु पैर है।
2. गाईन अध्ययन (सिस्टीम स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक को लक्ष्य क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाईन अध्ययन (Station Study) करावेगा ताकि पैर के पुनर्भरण (Rehabilitation) सम्बन्धी शर्तें जासके, पैर का लक्षण का नदी नदीपाल, स्थानीय जनतासे, जीव एवं कुसवा जीवों पर प्रभाव को नदी को नदी की नृपकला पर पैर पर्यावरण में प्रभाव की शर्तें जानकारी प्राप्त हो सके। प्रस्तावित अध्ययन (सिस्टीम स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय शर्तें प्रदान करने का विचार किया जाएगा।
3. यदि लक्ष्य क्षेत्र विभाग द्वारा अधिसूचित किसी स्थान पर है, लम्बाय 500 मीटर का नदी स्वीकृति को लक्ष्य में आगामी 1.5 सेक्टोवर से अधीक क्षेत्र में ही प्रस्तावित स्वीकृति सम्बन्धी शर्तें हैं।
4. लक्ष्य क्षेत्र 4.54 सेक्टोवर से अधीक नहीं होगा। इसी प्रकार लक्ष्य क्षेत्र को अधीकतम लक्ष्य 48,000 मन्मीटर प्रतिवर्ष से अधीक नहीं होगा। पैर राष्ट्रीय जीव एवं पर्यावरण शर्तें पर पैर पर अधिसूचित क्षेत्र को लक्ष्य विभाग से लक्ष्य स्वीकृति करने के पश्चात् ही अधीक विभाग द्वारा लक्ष्य की अनुमति दी जाएगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लक्ष्य क्षेत्र के पूर्ण क्षेत्र जीव के क्षेत्र / नदी लक्ष्य क्षेत्रों को 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी लक्ष्य के शर्तें (Levels) का पैर शर्तें विचार करावेगा। लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य के शर्तें (Levels) का पैर 25 मन् 25 मीटर के क्षेत्रों में किया जाएगा। पैर क्षेत्र को लक्ष्य क्षेत्रों के पूर्ण शर्तें क्षेत्र की अधीक लक्ष्य / क्षेत्र में अधिसूचित लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र लक्ष्य क्षेत्र में 100 मीटर तक लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य क्षेत्र / नदी लक्ष्य क्षेत्रों को 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी लक्ष्य के शर्तें (Levels) का पैर पूर्ण निर्धारित शर्तें विभाग पर विचार करावेगा। इसी प्रकार लक्ष्य-मणसरोवर में पैर लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य क्षेत्र के पूर्ण लक्ष्य क्षेत्र इसी शर्तें विभाग पर पैर लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य क्षेत्र का लक्ष्य विचार करावेगा। पैर लक्ष्य क्षेत्र के पूर्ण निर्धारित शर्तें विभाग पर पैर लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य क्षेत्र (Levels) को लक्ष्य का लक्ष्य आगामी 3 वर्ष तक विचार किया जाएगा। लक्ष्य-मणसरोवर के लक्ष्य विभाग 2020, 2021, 2022 वर्षों को लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य क्षेत्र 2021, 2021, 2022 तक अधिसूचित लक्ष्य से एस.ई.आई.ए. परियोजना को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. पैर की लक्ष्य अधिसूचित क्षेत्र (Mechanism) की जाएगी। इस प्रस्ताव को विचार किसी लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य (Mechanism) अधीक को लक्ष्य क्षेत्र नहीं किया जाएगा। विचार क्षेत्र में लक्ष्य लक्ष्य का लक्ष्य अधिसूचित क्षेत्र। लक्ष्य क्षेत्र में विचार पैर लक्ष्य क्षेत्र (Mechanism) की अधिसूचित लक्ष्य क्षेत्र का लक्ष्य अधिसूचित क्षेत्र लक्ष्य क्षेत्र किया जाएगा।





Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.2	2%	1.18	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Handa	
			Rain Water Harvesting System	1.05
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Plantation	0.15
			<b>Total</b>	<b>1.50</b>

17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का कार्याचार विनियम लागू एवं कार्य विवरण एक मास में अधिसूचित रूप में प्रस्तुत किया जाए। सीईआर के मास विवरण कार्याचारी 05 मास में अधिसूचित रूप में पूर्ण किया जाए।
18. परिसर/अन्तः प्रशासन संबंधित कंत्र / कार्य सामान की विभागी, मण्डली एवं अन्य संस्थाओं की सेवा अवसरान् प्राप्त करने की पूर्ण आवश्यक सभी अनुमोदित कार्य कराए। परिसर/अन्तः प्रशासन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सभी प्रमुख निबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर कंत्र / कार्य सामान, कंत्रों पर प्रमुख निबंधन कार्य / कार्यसमय पर्यावरण संरक्षण समझौते द्वारा जारी निर्देशों / कार्यसूचिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. कंत्रों/समय सीमा अधिनियम, 2015, राज्य सरकार द्वारा रोक लगायत हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2016 की प्रावधानों/शर्तों एवं अनुसूचक नवीन दिशा निर्देशों, अनुमोदित-संरक्षण योजनाएं एवं पर्यावरणीय प्रशासन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्वयं कर यदि कर्मिका अधिनियम द्वारा जारी जारी है जो एक कर्मिका को आवश्यक कर्मिका अवकाश परिसर/अन्तः प्रशासन द्वारा भी कराएगी। अवकाश अवकाश अवकाशों संरक्षण/अन्तः प्रशासन में भी कराएगी है, किन्तु परिसर/अन्तः प्रशासन द्वारा जारी जा सके।
21. कर्मिका की विधि पालन स्वयं कर स्वयं कर केवल विधिक/अन्तः प्रशासन संबंधित कार्य/अन्तः प्रशासन परिसर/अन्तः प्रशासन द्वारा भी जाए।
22. कर्मिका का समय-समय पर अनुमोदित/अन्तः प्रशासन संबंधित कार्य कराए जायें।
23. पर्यावरण की तकनीक कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित पर्यावरण संरक्षण से अनुमोदित कार्य/अन्तः प्रशासन में किन्तु भी प्रशासन का परिसर/अन्तः प्रशासन कंत्र/अन्तः प्रशासन / कार्य समझौते पर्यावरण, 2016 और आवश्यक परिसर/अन्तः प्रशासन, नई दिशियों की पूर्ण अनुमोदित के विन्दु नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय संरक्षणों की जारी करने का आशय किन्तु अधिनियम अनुसार अन्य अनुमोदित पर अधिसूचित कार्य/अन्तः प्रशासन का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय परिसर/अन्तः प्रशासन

विशेष समिति को कुख्यात स्वीकृत अथवा नकारित अभियानों के अतिरिक्त अन्य  
संबंधित कार्य एवं कार्रवाई करना / विविधों के दायित्व इन अभियानों में है।

25 एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय पर्यावरण संरक्षण को सुविधा से परिचित करे करार  
के अतिरिक्त अन्य विविध कार्य को दायित्व रूप से प्रदान न करने की उद्देश्य से  
किसी भी कार्य में संशोधन/सिद्ध करने अथवा नई कार्य जोड़ने अथवा हटाने /  
विचलन के कारणों को और प्रदान करने का अतिरिक्त सुनिश्चित करता है।

26 परिचालन प्रणाली स्थापना 2 भारतीय संरक्षण कार्य में, जो कि परिचालन रूप  
के अन्त-गत प्रदान रूप से प्रदान हो पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के 5  
दिनों में भीतर इस अथवा की स्थापना कराए कि परिचालन को पर्यावरण  
स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरण स्वीकृति एवं की प्रतीति अतिरिक्त,  
भारतीय पर्यावरण संरक्षण अथवा में अतिरिक्त को प्रदान है। साथ ही इसका  
अतिरिक्त भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली  
की वेबसाइट [www.epw.gov.in](http://www.epw.gov.in) एवं एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय पर्यावरण की वेबसाइट  
[www.epw.gov.in](http://www.epw.gov.in) में किया जा सकता है।

27 पर्यावरण स्वीकृति में हो गई कार्य को प्रदान रूप से नई कार्यकारी को अति  
रिक्त विविध भारतीय पर्यावरण संरक्षण अथवा तथा राष्ट्रपति अथवा कार्य  
विभाग-राज्य अतिरिक्त भारतीय पर्यावरण संरक्षण अथवा, राष्ट्रपति एवं ई.  
आई.ए.ए. भारतीय एवं अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
संरक्षण, भारत सरकार, नमस्कार को अतिरिक्त किया जाय। अतिरिक्त पर्यावरण,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नमस्कार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति  
में प्रदान कार्य को प्रदान की अतिरिक्त की जाएगी।

28 एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय पर्यावरण वन एवं जलवायु अतिरिक्त संरक्षण, भारत  
सरकार / अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत  
सरकार, नमस्कार / अतिरिक्त प्रदान विभाग कार्य / भारतीय पर्यावरण संरक्षण  
अथवा की प्रदानियों / अतिरिक्तों को कार्य में अनुपालन के अथवा के की जाते  
जाती अतिरिक्त रूप पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाय।

29 परिचालन प्रणाली भारतीय पर्यावरण संरक्षण अथवा एवं साथ साथ ही  
मई कार्य को अतिरिक्त रूप से प्रदान करता है। कार्य अतिरिक्त प्रदान विभाग तथा  
विभाग; अतिरिक्त 1974 तथा प्रदान विभाग तथा विभाग; अतिरिक्त 1981,  
पर्यावरण (संरक्षण); अतिरिक्त 1986 तथा अतिरिक्त कार्य तथा विभाग;  
पर्यावरण अतिरिक्त (अन्त-गत अथवा एवं सीमागत संरक्षण); विभाग 2008 (यथा  
संशोधित) तथा अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त 1989 (यथा संशोधित) के अतिरिक्त  
विधि को जा सकता है।

30 अतिरिक्त परिचालन को करने में एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय पर्यावरण म  
अतिरिक्त विभाग अथवा अतिरिक्त होने की उद्देश्य में एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय पर्यावरण को  
पूर्ण तरीके अतिरिक्त अतिरिक्त सुनिश्चित किया जाय, यदि एन.ई.आई.ए.ए. भारतीय पर्यावरण  
इस पर विचार कर कार्य को अनुपालन अथवा अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त  
विधि के अतिरिक्त। प्रदान के अतिरिक्त विभाग अथवा अतिरिक्त एन.ई.आई.ए.ए.



उत्पत्ति/संरचना, कार्यप्रणाली, वन जीव आवासों में परिष्कार-संरक्षण, नए  
विधों की नई अनुप्रति की विना नई विधि काट।

- 21 उत्पत्ति/संरचना संरक्षण काटने पर पर्यावरणीय प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए  
संरक्षण, विना-अनुप्रति एवं संरक्षण के लिए एवं कार्यप्रणाली/उत्पत्ति/संरक्षण काटने से  
30 दिनों में प्रतिक्रिया की विधि प्रतिक्रिया करेगा।
- 22 पर्यावरणीय प्रतिक्रिया के विधि प्रतिक्रिया संरक्षण में प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, संरक्षण  
में प्रतिक्रिया के लिए 2010 की धारा 56 में विधि एवं कार्यप्रणाली अनुसार 30 दिनों में  
संरक्षण प्रतिक्रिया के लिए 30 दिनों में।

सदस्य राशि, ~~एन.ई.ए.सी.~~

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.



में जल सतह को नीचे नहीं गिरा जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर नोटार्ड-तक की गैर-नदी  
एक एराई-रीक्यू के अंतर अंतराल जाना आवश्यक है।

8. वेग अनुमान नदी लकी से कम से कम 1.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई की 10  
प्रतिशत की दूरी को भी अधिक हो होना ही किया जाएगा, ताकि नदी लकी पर  
बाध न हो। इसलिए उपरान्त नदी की चौड़ाई से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी को बाध  
किया जाएगा। किसी भी पुलिस स्टेशन, बंध, एम्बेल्ड, जल प्रदाय उपकरण एवं  
अन्य कच्ची संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र भीना जाना  
अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि वेग अनुमान के कारण नदी जल का वेग, लक्षित  
एक जल सतह के स्तर पर 10 मीटर अधिक न हो।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरान्त क्षेत्र उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा  
दिसाई जल-साठ के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन क्षेत्र निर्धारित न हो।  
कचुप्री के प्रजनन इच्छाओं / क्षेत्रों का सख्त आरक्षण है, यह इन क्षेत्रों की  
आवश्यक वेग अनुमान नहीं किया जाए।
11. वेग अनुमान का नोटार्ड / लक्षित दिनों के समय ही किया जाए। यह कार्य हरि  
के कार्य नहीं किया जाए।
12. परिष्कार प्रस्ताव द्वारा वेग अनुमान विभिन्न प्रकारों का लक्षित / अनुमानित  
आदि से उपरान्त होने वाले नोटार्डित जल उपकरणों की निर्माण हेतु उपरान्त जल  
प्रदाय निर्माण उपकरणों को जल उपकरण जल अन्य उपकरण उपकरण ही  
करे। वेग अनुमान क्षेत्र में लक्षितित जल की सुगमता अथवा सहकर, पर्याप्त,  
एक और जल जल उपकरण, नोटार्ड, नई दिल्ली द्वारा अधिलेखित भाषाओं से  
अधिक नहीं होने लगे।
13. वेग का निर्माण उपरान्त अथवा अन्य उपकरण नोटार्ड से जल सतह से  
किया जाए, ताकि वेग सतह से बाध नहीं हो। लक्षित का निर्माण जल से  
जलनों को अथवा से अधिक नहीं नोटार्ड जल सुनिश्चित किया जाए।
14. उपरान्त क्षेत्र में जल उपकरण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता की आधार पर सदान परंपरा द्वारा वर्ष 2020 से नदीजल के  
कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नम प्रति हेक्टर पर लीच क्षेत्र को  
अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, चीन्हा, आम, इमली, सीता  
आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर  
एक इसके अधिलेखित 500 नम पौधे पौधे मार्ग में किया जाए। रोपण को  
सुरक्षित रखने के लिये उपकरण एवं पर्याप्त व्यवस्था (जबकि नोटार्ड सतह  
की बाध का उपकरण) किया जाए। उपरान्त प्रस्तावित प्रथम वर्ष में पूर्ण  
किया जाए।
16. सतह सतह, नोटार्ड, एक और उपकरण लक्षित नोटार्ड, नई दिल्ली से जल,  
दिनांक 01/05/2015 के अनुसार नोटार्ड (Corporate Environment  
Responsibility) हेतु निर्माणित उपकरण पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Parsul	
			Rain Water Harvesting System	1.22
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			<b>Total</b>	<b>1.37</b>

17. गौ. /अप. के तहत निर्दिष्ट कार्रवाई 03 मंत्र में अनिवार्य स्तर से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र / ग्राम सभा के विचारों, सुझावों एवं अन्य सुझावों से वेत सम्बन्धन प्राप्त करने की पूर्ण व्यवस्था सभी अनुसूचित क्षेत्र करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं तापु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर वृक्ष /समय-समय, संशोधन अनुसंधान विधान, बाँके / ग्रामीणस्तरीय पर्यावरण संरक्षण-सम्बन्धित कार्य जारी निर्देशों / सुनिश्चितता का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. ग्रामीणस्तरीय गौ. अधिनियम, 2019, राज्य सरकार द्वारा वेत व्यवस्था हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2020 से प्रत्येक/कार्य एवं अनुसूचित कार्य किया निर्देशों, अनुसूचित क्षेत्रों में योजना एवं आवासीय प्रकल्प योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20. कार्य अलग-अलग यदि अधिनियम अधिनियम कार्य पर अग्राह्य कार्य है कि ऐसे अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो लागू है। आवासीय प्रकल्प अधिनियम अधिनियमों के साथ ही जो संभव है, जिस परियोजना पूरी होने में पर्याप्त संस्था के साथ।

21. अधिनियम के लिए अलग-अलग पर अग्राह्य पर्यावरण विविधतापूर्ण सुनिश्चित, संरक्षण प्रकल्प कार्य की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

22. अधिनियम का समय-समय पर अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यालय कराया जाए।

23. पर्यावरण की आवासीय, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्रों में योजना के अनुसूचित अधिनियम अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.डी.आई.टी.ए. ग्रामीणस्तरीय / ग्राम सभा, पर्यावरण, जल और स्वास्थ्य, परिवहन, कक्षा, नई दिल्ली की पूर्ण अनुसूचित के विना नहीं किया जाए।





इस पर विचार कर शाही की अनुमति अवकाश नहीं है। विशेष करने का  
सिद्ध है। तबान ने कोई-सी विधान अवकाश एन.ई.आई.ए.  
अधीनस्थ / भारत सरकार काविल, उन और अवकाश अधिनीय काविल, नई  
दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

11. भारतीय-अधीनस्थ अवकाश अवकाश अधिनीय अधिनीय की प्रति को तबान कोणीय  
काविल, जिला-व्यापार 23 काविल बन्द एक अधिनीय / भारतीय-अधीनस्थ काविल 11  
30 दिनांक की अधिनीय के लिये प्रस्तुत किया।
12. भारतीय-अधीनस्थ अधिनीय अधिनीय अधिनीय अधिनीय के लिये, तबान  
की अधिनीय एक 2010 की अधिनीय 16 में विद्युत काविल अधिनीय 30 दिन की  
अधिनीय अधिनीय के लिये तबान।

तबान अधिनीय एन.ई.ए.सी.

अधिनीय, एन.ई.ए.सी.





Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.80	2%	0.28	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Rhodri	
			Rain Water Harvesting System	0.19
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.29</b>

17. सीईएआर के कार्य निर्धारित कार्यवाही इस रूप में अभियोजन रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक (अभियोजक) / राज्य सरकार को विभागीय मन्त्रालय एवं अन्य संस्थानों से जो आवश्यक आदेश देने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करना। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक एक एक अनु अनुमान विवरण तथा परियोजना संरचना हेतु समस्त-समय पर कंपनी/राज्य सरकार, संश्लेषित अनुमान विवरण बोर्ड / कार्यवाही परियोजना संरचना संरचना द्वारा जारी निर्देशों / पर्यवेक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. पर्यावरण नीति अधिनियम, 2016, राज्य सरकार द्वारा रीत अनुमति हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 3/3/2018 के प्रावधानों, शर्तों एवं अनुसंधान जारी दिशा निर्देशों अनुमतिपत्र (अनुमति संरक्षण एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि कृत्रिम भूमिक कार्य एवं उत्पन्न होते हैं तो ऐसे भूमिकों को आवश्यक अनिवार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक पर्यावरण प्रभावशीलता अध्ययनों के रूप में से राखनी है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात कराया जा सके।
21. कार्यवाही के लिए पर्यावरण प्रभाव पर स्वयंसेवक प्रस्तावित विभिन्नप्राणीय सुविधा, संसाधन उपलब्ध जारी एवं आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. भूमिकों का समस्त-समय पर अनुसंधान हेतु अधिनियम कक्षाएं जारी।
23. पर्यावरण की स्थानीय, राज्य क्षेत्र एवं अनुमतिपत्र पर्यावरण योजना के अनुसार राष्ट्रीय योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एरंड/एरंड/एरंड, कार्यवाही / कार्यवाही, पर्यावरण, एम और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिशाओं की पूर्ण अनुमति को प्राप्त नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय नीतिपत्र को जारी करने पर असाध्य किसी परिवर्तन अनुभव अन्य सम्बंधित पर अधिकतर पर्यावरण का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय नदी/नदी किसी किसी सम्बंधित नदी नुसारण पर्यावरण अथवा परिवर्तन अधिकारी की अधिकतम अथवा कंपनी/राज्य एवं स्थानीय अनुमति / निर्देशों को पर्यावरण हेतु अधिसूचना कराए है।



11. भारतीय संसद पर्यावरण संरक्षण समिति पर्यावरणीय स्वीकृति की शक्ति को लागू करीब कलकत्ता, त्रिपुरा-बामन एच इंदिरा केंद्र एवं कलकत्ता/राजनीतिक पर्यावरण में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
12. पर्यावरणीय स्वीकृति के निरस्त अपील नमानने वाले टिप्पणन के समक्ष, नमानने वाले टिप्पणन एक्ट 2016 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की अवधि अवधि में की जा सकती है।

  
सदस्य, पर्यावरण, एच.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एच.ई.ए.सी.